अंक २

संख्या १२

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार

२४ जुलाई, १९५२

1st Lok Sabha

# संसदीय वाद विवाद

## लोक सभा

### शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३०८३—३१२७]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३१२७—३१६४]

(मूल्य ४ आने)

674 PSD.

३०८३ ३०८४

# लोक सभा

वृहस्पतिवार, २४ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### सामुदायिक परियोजनायें

*२०३८. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या टेक्निकल सहायता करार के अन्तर्गत बनाई गई ग्राम्य-व-नगरीय सामुदायिक परियोजनाओं का कार्य आरम्भ हो गया है?

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये पहिले कौन कौन से क्षेत्रों को चुना गया है?

**योजना तथा सिंचाई व विद्युत मंत्री (श्री नन्दा):** (क) इन परियोजनाओं पर १ अक्तूबर १९५२ को आगामी रबी की ऋतु के समय पर कार्य आरम्भ होगा।

(ख) मैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन करार संख्या ८ के अनुच्छेद २ की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** अगला प्रश्न संख्या २०३९।

**कुछ माननीय सदस्य:** मंत्री महोदय अनुपस्थित हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** कोई प्रभारी नहीं है? हम इसे बाद में लेंगे। अगला प्रश्न।

### औद्योनिक कार्य

*२०४०. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की औद्यानिक शाखा के दिल्ली तथा नई दिल्ली में १९४९-४८ से १९५१-५२ तक प्रतिवर्ष आद्यानिक कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई?

(ख) १९५२-५३ में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि व्यय किये जाने का विचार है?

(ग) इन वर्षों में (प्रतिवर्ष) आद्यानिक कार्यों से कोई आय भी हुई है?

(घ) अब तक इस विभाग से प्रकाशित प्रचार पुस्तिकाओं आदि के नाम क्या हैं?

(ङ) क्या ये प्रचार पुस्तिकायें आदि बेची जाती हैं या बिना मूल्य बांटी जाती हैं?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन):** (क), से (ग) तक: एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ९]**

(घ) 'गार्डेन चैट' नामक एक मासिक पत्र तथा फूलों, शाक-सब्ज़ियों और वृक्षों के सम्बन्ध में पौधों की सूचियां ।

(ङ) 'गार्डेन चैट' नामक पत्र जो कि पहिले बिना मूल्य बांटा जाता था जनवरी १९५२ से मूल्य वाला प्रकाशन बना दिया गया था, अप्रैल १९५२ से इस प्रकाशन को बन्द कर दिया गया है । अन्य प्रचार पुस्तिकायें बिना मूल्य बांटी जाती हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** श्रीमान्, मैं अत्यधिक खेदपूर्वक यह निवेदन करता हूं कि जिस विवरण के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उसे पटल पर रख दिया गया है वह मुझे दिया नहीं गया है । मैं अभी अभी सूचना कार्यालय गया था । कल भी ऐसी ही बात हुई थी । श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या आप इस बात का ध्यान रखने के लिये कार्यवाही करेंगे कि विवरण समय पर दिये जायें ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस बात की जांच करूंगा । यदि माननीय मंत्री के पास इस की कोई प्रति हो तो वे कृपा करके इसे दे दें ।

**श्री बुरागोहिन :** मैं इसे भी दिये देता हूं तथा यदि माननीय सदस्य को और किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो वह भी दे दूंगा ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं यह जान सकता हूं कि इन औद्यानिक कार्यों के लिये संसद सदस्यों से कितना किराया लिया जाता है ?

**श्री बुरागोहिन :** संसद सदस्यों से सत्र के दिनों में उद्यान का कोई व्यय नहीं लिया जाता ; फूलों की क्यारियों के लिये २ रूपये १ आना लिया जाता है । जिन दिनों सत्र न हो रहा हो उद्यान का व्यय ११ रुपये १० आने तथा फूलों की क्यारियों के लिये २ रु० ७ आने लिये जाते हैं । ७८ बंगले जिन्हें मिले हुए हैं उन में से प्रत्येक से वार्षिक रूप से उद्यान का व्यय ७ रु० तथा फूलों की क्यारियों का २ रु० ४ आने लिया जाता है ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** जिन दिनों सत्र न हो रहा हो उन दिनों बहुत अधिक पैसे लिये जाते हैं । मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय में किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिस से कि इतने अधिक पैसे न लिये जायें ?

**श्री बुरागोहिन :** जैसा कि माननीय सदस्य निस्सन्देह जानते हैं, हमने हाल में यह निश्चय किया है कि किराया एफ़ आर ४५क के आधार पर लिया जायेगा । इस निर्णय को देखते हुए सत्र तथा सत्र न होने के दिनों में कोई भेद नहीं रह जायेजा और अब संसद के सभी सदस्यों से सारे वर्ष कार्यरत जैसा व्यवहार किया जायगा और यदि वे बंगलों म रहते होंगे तो उन्हें एफ़ आर ४५क के अधीन निवासस्थानों का किराया देना पडेगा और फूलों की क्यारियों का २ रुपये १ आने व्यय देना पड़ेगा । उन से उद्यान का कोई व्यय नहीं लिया जायेगा ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं यह जान सकता हूं कि इन एम० एल० ए० के बंगलों के निवासियों को जिन में कि सरकारी पदाधिकारियों के बंगले भी सम्मिलित हैं क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

**श्री बुरागोहिन :** सरकारी नौकरों तथा संसद के सदस्यों को भी जो एफ़ आर ४५क के अधीन किराया देते हैं उन्हें घास के मैदानों तथा झाड़ियों के संधारण के व्यय के लिये, जो कि सरकार करती है, कुछ नहीं देना पड़ता । फूल की क्यारियों तथा शाक

सब्जी को उगाना उन लोगों का काम है जिन्हें कि मकान मिले हुए हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं यह जान सकता हूं कि इस शाखा द्वारा कितने पौधाघरों का संधारण किया जाता है और क्या मकानों के निवासियों को बिना मूल्य या मूल्य देने पर बीज और पौधे दिये जाते हैं ?

**श्री बुरागोहिन :** इस शाखा के पास हुमायूं के मकबरे के निकट सुन्दर पौधाघर नामक एक पौधाघर है जहां से बीज, तोड़े हुए फूल, पौधे और चारे जनता को बेचे जाते हैं ।

**श्री गाडगिल :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने फर्नीचर के भाड़े के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है ?

**श्री बुरागोहिन :** मेरे विचार में इस विषय पर भी विचार किया जा रहा है । पहिले फर्नीचर की आयु पांच वर्ष समझी जाती थी । हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं कि हमें यह १० वर्ष निश्चित कर देनी चाहिये ।

**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नार्थ और साउथ एवेन्यू में रहने वालों पर भी, जहां कि फ्लावर बैड्स (फूलों की क्यारियां) नहीं हैं, ज्यादा चार्ज किया जाता है ?

**श्री बुरागोहिन :** मेरे विचार में नार्थ और साउथ एवेन्यू के फ्लैट्स से ऐसा कोई व्यय नहीं लिया जाता । यह तो बंगलों के लिये लिया जाता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** हम अगला प्रश्न लेंगे । अब वह प्रश्न संख्या २०३९ पूछ सकते हैं ।

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** श्रीमान्, मुझे बड़ा खेद है ; मैं आप से और सदन से क्षमा चाहता हूं । रास्ते में मेरी कार में कुछ खराबी हो गई थी, इसलिये मैं १ मिनट देर से पहुंचा ।

**विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्तियां**

*२०३९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिये ३१ मार्च, १९५२ तक कितनी बस्तियां बसाई गई हैं ;

(ख) उन बस्तियों में कुल कितने मकान बन चुके हैं ;

(ग) कितने मकान बन रहे हैं ;

(घ) मकान बनाने के सम्बन्ध में पूर्वी महाखण्ड में अपनाई गई सामान्य नीति में तथा पश्चिमी महाखण्ड में अपनाई गई नीति में क्या अन्तर है ;

(ङ) पूर्वी तथा पश्चिमी महाखण्डों में अब तक कितने मकान बनाये जा चुके हैं ; और

(च) पश्चिमी महाखण्ड में कितने मकान बन रहे हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :**

(क) ४२२ ।

(ख) ५६,४२२ ।

(ग) १७,५८५ ।

(घ) पूर्वी महाखण्ड में सामान्य नीति यह है कि विस्थापित व्यक्तियों को तैयार प्लाट (भूमि के टुकड़े) दे दिये जायें और उन्हें अपने आप मकान बनाने के लिये गृह निर्माण ऋण दिये जायें । सरकार ने तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रदेश में बहुत कम मकान बनाये हैं । पश्चिमी महाखण्ड में गृहनिर्माण योजनाओं को अधिकांशतया सरकार ने क्रियान्वित किया है, किन्तु गृहनिर्माण सहकारी समितियों तथा निजी

विस्थापित व्यक्तियों के साधनों का भी उन्हें तैयार प्लाट तथा गृहनिर्माण के लिये ऋण देकर प्रयोग किया जाता है ।

(ङ) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बतलाया गया है पूर्वी महाखण्ड में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में ५६,४२२ मकान बनाये जा चुके हैं। सरकार को उन घरों की संख्या ज्ञात नहीं है जो कि विस्थापित व्यक्तियों ने इन बस्तियों के बाहर बनाये हैं। पश्चिमी महाखण्ड में १ अप्रैल १९५२ तक ९३,२०३ मकान बनाये जा चुके हैं ।

(च) १७,०४७ । इस के अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों को निजी रूप से मकान बनाने के लिये ३७,००० प्लाट भी दिये गये हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : उत्तर के भाग (ख) तथा (ग) के सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि स्वयं सरकार ने कितने मकान बनाये थे या बना रही है ?

**श्री ए० पी० जैन**: इस समय सरकार कोई मकान नहीं बना रही है। उन मकानों की संख्या बतलाने के लिये जिन्हें कि सरकार पहिले ही बना चुकी है, मुझे पूर्व-सूचना मिलनी चाहिये ।

**श्री एस० सी० सामन्त**: मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है कि पुराने अलीपुर के हवाई अड्डे पर चौमंजिले मकान बनाय जायेंगे और प्रत्येक फ्लैट का १२०० रुपये किराया लिया जायेगा ?

**श्री ए० पी० जैन**: अलीपुर के हवाई अड्डे के स्थान पर मकान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है । इस के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं बतला सकता ।

**श्री एस० सी० सामन्त**: मैं यह जान सकता हूं कि बिना अधिकार के भूमि पर अधिकार करने वालों की कितनी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं तथा उन के लिये अन्य बस्तिया बना दी गई हैं ।

**श्री ए० पी० जैन** : अभी तक बिना अधिकार के भूमि पर अधिकार करने वालों की कोई बस्ती नहीं उजाड़ी गई है । बिना अधिकार के भूमि पर अधिकार करने वालों की बस्तियों के सम्बन्ध में नीति यह है कि यदि इस प्रकार बिना अधिकार के भूमि पर अधिकार करने वाले को नियमित रूप से भूमि दी जाये तो उस समय उसे जितनी भूमि पाने का अधिकार होगा उस का मूल्य उस के अधिकतम मूल्य से कम हो तो उस बस्ती को नियमित रूप दे दिया जायेगा और वहां की भूमि को अधिगृहीत कर लिया जायेगा ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : हमें यह सूचना मिली थी कि उस स्थान पर मकान बनाने के लिये ५०० रुपये गृहनिर्माण ऋण के रूप में दिये गये थे । मैं यह जान सकता हूं कि क्योंकि ५०० रुपये में मकान बनाना असम्भव है इसलिये क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

**श्री ए० पी० जैन**: ग्रामीण क्षेत्रों में एक मकान बनाने के लिये ५०० रुपये दिये जाते हैं । इस के अतिरिक्त भूमि खरीदने के लिये भी ७५ रुपये दिये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक कमरे की झोंपडी बनाने के लिये यह राशि बिल्कुल पर्याप्त है ।

**अयनमण्डलीय अध्ययन**

*२०४१. **श्री एस० सी० सामन्त**: (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के अनुसन्धान विभाग के १९५१-५२ के अध्ययन का क्या फल हुआ है ?

(ख) क्या अयनमण्डलीय अध्ययन के लिये विशेष उपकरण बना लिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो उस की क्या लागत आई है और वह कैसा कार्य कर रहा है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) एक विवरण, जिस में अनुसन्धान विभाग के १९५१-५२ के अध्ययन के फल दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ख) जी हां । एक यंत्रचालित अयनमण्डलीय अभिलेखक जिस का क्षेत्र ०-५-२० एमसी / एस तक है अनुसन्धान विभाग द्वारा बनाया गया था ।

(ग) इस में जिन पुर्जों का प्रयोग किया जाता है उन का लगभग लागत मूल्य ५००० रुपये है । इस अभिलेखक का परीक्षणात्मक रूप से प्रयोग किया जा रहा है और यह सन्तोषजनक रुप से कार्य कर रहा है । इस के प्रयोग से कुछ सुधारों की आवश्यकता प्रतीत हुई है जिन्हें कि क्रियान्वित किया जा रहा है ।

**श्री एस० सी० सामन्त**: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या मिट्टी की सुवाहकता तथा वायुमण्डलीय कोलाहल की परीक्षा करने का उपकरण तैयार हो चुका है और यह कैसा कार्य कर रहा है ?

**डा० केसकर**: श्रीमान्, यह पूरा होने वाला है ।

**श्री एस० सी० सामन्त**: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि विश्व के भण्डार को अयनमण्डलीय आंकडे देने में एक अंशदाता के रूप में भारत का कौन सा स्थान हो गया है ?

**डा० केसकर**: यह एक बड़ा प्रविधिक प्रश्न है जिस का मैं तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता । यदि मेरे माननीय मित्र अलग से एक प्रश्न पूछें तो मैं निश्चय ही इस का उत्तर दे दूंगा ।

**श्री एस० सी० लाभन्त**: मेरा प्रश्न यह था कि अन्य देशों में जिन उपकरणों का प्रयोग होता है उन की तुलना में क्या कोई विशेष चीज भी की गई है ?

**डा० केसकर** : इसे विशष दिशा में अनुसन्धान करने के लिये हमें जो उपकरण तथा धनराशि उपलब्ध है वह इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है और हम ने जो कुछ भी अनुसन्धान किया है वह न केवल हमारे लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है, अपितु कुछ एक प्रयोगों के परिणाम बाहर के लोगों को भी भेज दिये गये हैं । मैं तुरन्त यह नहीं बतला सकता कि अयनमण्डलीय क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षणों में इस का कौन सा स्थान है ।

**श्री एस० सी० सामन्त**: श्रीमान, मैं यह जान सकता हूं कि क्या अयनमण्डल सम्बन्धी परीक्षणों पर मितव्ययता के उपायों का कोई प्रभाव पड़ा है ?

**डा० केसकर**: बहुत अधिक, श्रीमान् ।

**चीनी मजदूर संघों से निमन्त्रण**

*२०४२. **श्री के० सुब्राह्मण्यम्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत के साम्यवादी दल द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के पीकिंग के मई दिवस समारोह में भाग लेने के लिये चीनी मजदूर संघों द्वारा निमंत्रित किये जाने पर कोई आपत्ति की थी ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार के कहने पर निमंत्रितों का क्षेत्र बढ़ा दिया गया था जिस से कि अन्य मजदूर संघियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख) जैसा कि पहिले भी बताया जा चुका है, सभी मजदूर संघों के गुटों के ३५ प्रार्थियों में से २८ को पारपत्र दे दिये गये थे। दो ने बहुत देर से विचार के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे। जिन व्यक्तियों ने पारपत्रों के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे उन में से बहुतों के राजनैतिक सम्बन्धों के बारे में सरकार को कुछ भी पता नहीं है। प्रार्थनापत्र मजदूर सघों की ओर से प्राप्त हुए थे। सरकार ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया कि किस संघटन को निमंत्रित किया जाना चाहिये न ही सरकार के कहने पर निमंत्रितों के क्षेत्र को बढ़ाया या सीमित किया गया। प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर उस के निजी गुणदोष के आधार पर विचार किया गया था।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : इस देश के व्यक्तियों को विदेशी संघटनों के निमंत्रणों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाये।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : इस प्रकार विदेशों से निमंत्रित भारतीय जब बाहर जाते हैं तो क्या अन्य देशों में स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधियों से उन की गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये कहा जाता है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब वे बाहर जाते हैं ?

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : जब हमारे लोग विदेशों में यात्रा के लिये जाते हैं तो क्या हमारे राजदूतों या दूतावासों से हमारे उन लोगों की अन्य देशों में गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये कहा जाता है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का सूचना से क्या तात्पर्य है। हम किसी से कोई सूचना नहीं मांगते, किन्तु स्वाभाविकतया, यदि कोई सुप्रसिद्ध भारतीय कहीं जाता है तो हमारा राजदूत अपने पाक्षिक या मासिक वृतान्त में हमें यह बतला देता है कि वह अमुक स्थान पर गया और उसने अमुक अमुक सार्वजनिक कार्यों में भाग लिया। हमें सामान्यतया इस का पता लग जाता है, किन्तु इस विषय में कोई विशेष पूछ ताछ नहीं की जाती।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या किसी ने विदेशों में भारत विरोधी प्रचार किया ह ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : यदि ऐसी बात है, तो वे कौन हैं और उन्होंने कब और कहां ऐसा किया ?

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मेरे विचार में मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं यह जान सकता हूं कि व्यक्तिगत गुणदोष से क्या तात्पर्य है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह तो बिल्कुल स्पष्ट ही है।

**नमक**

*२०४३. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से मई से दिसम्बर, १९५२ तक की अवधि के लिये नमक के निर्यात का अभ्यंश दुगुना कर दिया गया है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : हां, श्रीमान् ।

**सरदार हुक्म सिंह** : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस निर्यात को दुगुना करने से पूर्व पशुओं को देने के लिये पर्याप्त नमक की व्यवस्था का विचार कर लिया गया है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, यह निर्यात का अभ्यंश केवल एक विशेष क्षेत्र के लिये नियत किया गया है, क्योंकि केवल सौराष्ट्र के नमक की ही मांग होती है । निर्यात का अभ्यंश नियत करने के से पूर्व सभी सम्बद्ध बातों पर विचार कर लिया गया है ।

**श्री दाभी** : हमारे देश की नमक की वार्षिक आवश्यकता कितनी होती है और कुल उत्पादन कितना होता है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मुझे खेद है कि इस विषय का सम्बन्ध उत्पादन मंत्रालय से है ।

**श्री नाना दास** : मैं यह जान सकता हूं कि पश्चिमी तट से देश के किन भागों को नमक का निर्यात किया जाता है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जैसा कि मैं ने बताया सौराष्ट्र के नमक की हमारे देश के कतिपय भागों में भी जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, नेपाल आदि में बड़ी मांग है, किन्तु देश से बाहर इस का निर्यात अधिकांशतया जापान को होता है ।

**पटसन की वस्तुयें**

*२०४४. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ में भारत से निर्यात की गई पटसन की वस्तुओं का कुल परिमाण और मूल्य तथा यह १९५०-५१ के निर्यात के आंकड़ों की तुलना में कैसा है ;

(ख) निर्यात शुल्क में कमी होने से पहिले के छै मासों में भारत से निर्यात की गई वस्तुओं का कुल परिमाण तथा मूल्य क्या था; और

(ग) शुल्क में कमी होने के पश्चात् भारत से कुल कितने मूल्य का तथा कितने परिमाण में निर्यात हुआ और कम निर्यात होने के क्या कारण थे ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) १९५१-५२ (अप्रैल-मार्च) में भारत से कुल ८,०८,९८५ टन पटसन की वस्तुओं का निर्यात किया गया था और उन का मूल्य २७० करोड़ रुपये था इस के विपरीत १९५०-५१ के उन्हीं मासों में ६,४८,८४४ टन पटसन की वस्तुओं का निर्यात किया गया था जिन का मूल्य ११४ करोड़ रुपये था ।

(ख) मई १९५२ से पूर्व के छै मासों में जब कि निर्यात शुल्क में अन्तिम बार कमी की गई थी कुल ३,९२,६०० टन का निर्यात किया गया था जिस का मूल्य ११८ करोड़ रुपये था ।

(ग) मई, १९५२ में ६९,८१८ टन का निर्यात किया गया था जिस का मूल्य १४.९९ करोड़ रुपये था । जून १९५२ में ६६,६९० टन की जिस का मूल्य लगभग १४ करोड़ रुपये था जहाज पर लाद कर ले जाने की स्वीकृति दे दी गई थी । यद्यपि इस के परिमाण में कोई कमी नहीं हुई थी किन्तु निर्यात शुल्क में कमी तथा भाव गिर जाने के कारण मूल्य कम हो गया था ।

**निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन**

*२०४५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या निर्माण कार्यों की विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हो सकती हैं । समिति मुख्यतया इन परिणामों पर पहुंची है कि यद्यपि इस देश में परम्परागत रूप से निर्माण कार्य के लिये उपयोग की जाने वाली सामग्री और रीति सामान्यतया आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक उपयुक्त है किन्तु परम्परागत नमूनों से आवश्यकता से अधिक सुरक्षित और इसलिये आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी मकान बनते हैं । समिति ने विभिन्न वेतन श्रेणियों के सरकारी नौकरों को उपयुक्त आवासस्थान देने के लिये ७ आदर्श नमूने तैयार किये हैं जिस में कि उन्होंने भवन की पूंजीगत लागत तथा उस के किराये में समन्वय स्थापित करने के लिये किराया इतना कम से कम रखा गया है जिस से कि वह आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त किराये के अधिक से अधिक निकट हो सके, अपने आवास तथा स्वरूप की उपयोगिता को बनाये रखने के विचार को भी निगमित कर दिया है । समिति ने इस सम्बन्ध में टेक्निकल जानकारी एकत्रित करने, उस की सूक्ष्म परीक्षा करने और उसे प्रसारित करने के लिये एक राष्ट्रीय भवन निर्माण संघटन तथा सामग्री और मकानों की शक्ति को जांचने के लिये प्रयोग-शालायें स्थापित करने की भी सिफारिश की है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में हाल में बनाये हुए कुछ मकान बहुत ही असन्तोषजनक सिद्ध हुए हैं, श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने भविष्य में बनाये जाने वाले मकानों का मानदण्ड ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में भी सिफारिश की है ?

**श्री बुरागोहिन** : श्रीमान्, मैं पहिले ही बता चुका हूं कि समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न वेतन श्रेणियों के सरकारी नौकरों को आवासस्थान देने के लिये ७ प्रकार के मकान होने चाहियें । उन्हों ने इस समस्या के सभी पहलुओं की परीक्षा करने का प्रयत्न किया है और इस प्रकार के घरों की सिफारिश करते समय उन्हों ने निम्न बातों का ध्यान रखा है : (क) स्वास्थ्य और सफाई की आवश्यकतायें, (ख) असुविधाओं को दूर करना तथा विभिन्न आय वर्गों के जीवन मानदण्ड के साथ सामान्यतया सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था करना और (ग) मकान की पूंजीगत लागत तथा उस के किराये में समन्वय रखना, जिस से कि अधिक आय के वर्गों के मामले में किराया यथासम्भव आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त किराये के अधिक से अधिक निकट रखना । किन्तु कम आय के वर्गों से जो किराया लिया जायेगा उन का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त किराया उस से कहीं अधिक है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इस समिति ने ठेकेदारों का मानदण्ड ऊंचा करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये हैं ?

**श्री बुरागोहिन** : मेरे विचार में उन्होंने ठेकेदारों के चुनाव के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है, किन्तु उन्हों ने नमूनों के रूप भेदों में बचत करने के अवश्य सुझाव दिये हैं । एक उदाहरण के रूप में मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर सकता हूं कि हाल ही में हम ने इस समिति से कतिपय मकानों के विस्तृत विवरण तथा नमूनों के प्राक्कलनों की जांच करने की प्रार्थना की थी और उन की परीक्षा

करने के पश्चात् उन्हों ने २६·१ प्रतिशत बचत का सुझाव दिया है ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या राज्यों के पथ-प्रदर्शन के लिये इस प्रतिवेदन को उन में परिचालित कर दिया गया है ?

**श्री बुरागोहिन** : श्रीमान्, स्थिति यह है कि इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर यह देखा गया कि प्रतिवेदन के कतिपय भाग अन्य प्रकाशनों से नकल किये हुए हैं । इस बात को समिति के सचिव से पूछा गया और उस ने इन के इस प्रकार नकल किये जाने को स्वीकार कर लिया है और अब प्रतिवेदन को पुनः प्रारूपित करने के लिये इस की परीक्षा की जा रही है । परीक्षा हो चुकने के पश्चात् इसे विधिवत् प्रकाशित किया जायेगा । इस समय इस की कुछ प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखी हुई हैं और ये केवल सरकारी प्रयोग के लिये हैं ।

**श्री ए० सी० गुहा** : मंत्री महोदय ने जो बात मानी है उसे ध्यान में रखते हुए क्या समिति के सदस्यों या सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

**श्री बुरागोहिन** : श्रीमान्, बात केवल इतनी ही थी कि समिति ने इसे अपने प्रतिवेदन में स्वीकार नहीं किया था । अतः यदि वे अब इसे स्वीकार कर लेंगे तो मेरे विचार में इस से सन्तोष हो जायेगा ।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या नार्थ तथा साउथ एवेन्यू के भवन बनाते समय इस समिति से परामर्श कर लिया गया था ?

**श्री बुरागोहिन** : मुझे पक्का निश्चय नहीं है, किन्तु श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इन मकानों के सम्बन्ध में भी उन की मंत्रणा उपलब्ध थी ।

**भारत में फ़्रांसीसी बस्तियां**

*२०४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में फ़्रांसीसी बस्तियों के भविष्य का जनमत ले कर निश्चय करने के प्रश्न को फ्रेंच सरकार ने अभी हाल के लिये स्थगित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि भारत की फ़्रांसीसी बस्तियों में हाल के कुछ मासों में जनमत लेने के लिये स्थिति काफी खराब हो गई है ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, स्थिति खराब हो गई है । वहां की स्थिति काफी समय से खराब है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि स्थिति के खराब होने के क्या कारण हैं और सरकार को उन में कैसे सुधार करने की आशा है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये तो फ़्रांसीसी बस्तियों के आन्तरिक कारण हैं । मैं पहिले ही इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्नों का कुछ विस्तार से उत्तर दे चुका हूं और मैं ने कतिपय निष्पक्ष प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में से जो कि वहां गये थे, उद्धरण भी दिये थे ।

**बाबू रामनारायण सिंह** : फ्रेंच सरकार से रिफरेन्डम् के बारे में प्रधान मंत्री कोई लिखा-पढ़ी करते हैं कि नहीं, अगर करते हैं तो उस का फल क्या होता है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, कुछ बीज बोये थे लेकिन अभी तक दरख्त निकले नहीं हैं ।

**श्री पी० टी० चाको** : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या चन्द्रनगर का हस्तान्तरण पूरा हो चुका है और यदि हां, तो इस समय वहां का प्रशासन कैसे चलता है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, चन्द्रनगर का वास्तविक हस्तान्तरण तो कुछ समय पहिले ही हो गया था किन्तु इस का विधि-पूर्वक हस्तान्तरण अभी हाल में ही हुआ था । उस के तुरन्त बाद ही चन्द्रनगर का प्रशासन जो कि एक नगरपालिका जैसा प्रशासन था विधि अनुसार समापित कृत्य हो गया और नये चुनाव होने तक इस समय शासन प्रबन्ध को किसी प्रकार चलाया जा रहा है ।

**श्री ए० सी० गुहा**: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि चन्द्रनगर के लिये भविष्य में क्या योजना है—क्या इसे पश्चिमी बंगाल के साथ मिला दिया जायेगा अथवा एक अलग इकाई ही रखा जायेगा ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यह मैं अभी नहीं बतला सकता । हां इतना बतला सकता हूं कि चन्द्रनगर के लोगों की सलाह ली जायेगी ।

**श्री टी० के० चौधरी** : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि पांडिचेरी के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: इस की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

## सीमेन्ट

*२०४७. **श्री धूसिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का इस वर्ष कहां से और कितने सीमेन्ट का आयात करने का विचार है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : इस का उत्तर नकारात्मक है ।

## कर्मचारियों का राज्य बीमा

*२०५०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना किन स्थानों पर निकट भविष्य में लागू की जाने वाली है ;

(ख) इस योजना के कानपुर तथा दिल्ली में कार्य करने से क्या अनुभव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस में नियोजकों का कहां तक सहयोग प्राप्त हुआ है ।

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** : (क) इस समय कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना को निकट भविष्य में पंजाब तथा बृहत्तर बम्बई में लागू करने का इरादा है ।

(ख) दिल्ली तथा कानपुर में कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना का कार्य सामान्यतया सन्तोषजनक रहा है । इस समय बीमा किये हुए व्यक्ति डाक्टरी देख भाल तथा चिकित्सा करवा सकते हैं । रोगी और बच्चा होने की अवस्था में नकदी के रूप में लाभ पहुंचाने का कार्य दिल्ली और कानपुर में २२ नवम्बर से आरम्भ होगा । नियोजकगण इस योजना के लाभों को अधिकाधिक अनुभव कर रहे हैं और जहां कहीं आवश्यक हो सेवा में सुधार करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) नियोजक लोग इस योजना को ठीक ढंग पर चलाने में सामान्यतया न केवल दिल्ली तथा कानपुर में ही सहयोग कर रहे हैं, अपितु देश के शेष भागों में भी सहयोग कर रहे

हैं जहां कि अधिनियम के अन्तर्गत विशेष अंशदान देने पड़ते हैं।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि दिल्ली तथा कानपुर में इस योजना के संचालन के लिये सरकार को कितना वित्तीय अंशदान देना पड़ा ?

**श्री वी० वी० गिरि :** मेरे विचार से यह ५ प्रतिशत है।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** श्रीमान्, मैं राशि जानना चाहता था।

**श्री वी० वी० गिरि :** मुझे पक्का पता नहीं है ; मेरे पास इस की ठीक ठीक संख्या नहीं है। मैं इस का पता लगाऊंगा।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** इस योजना को लागू करने के लिये उद्योगों या स्थानों का चुनाव करने में किस सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता है ?

**श्री वी० वी० गिरि :** वास्तव में इस योजना को लागू करने के लिये कतिपय उद्योग निश्चित कर दिये गये हैं। जैसा कि मैं ने बताया इस समय कानपुर और दिल्ली को चुना गया है और यह विचार है कि अगस्त १९५२ तक इस योजना को पंजाब में, जनवरी १९५३ तक बम्बई और बंगलौर में, जुलाई १९५३ तक मद्रास, कलकत्ता, नागपुर और जबलपुर में, अक्तूबर १९५३ तक अहमदाबाद, शोलापुर आगरा, कोयम्बटूर, आसनसोल और बर्नपुर में, अप्रैल १९५४ तक अन्य सब स्थानों में जहां कि औद्योगिक कामकरों की संख्या ५००० या इस से अधिक हो और जुलाई १९५४ तक शेष सब केन्द्रों में लागू कर दिया जाये।

**पडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** इन स्थानों या इन उद्योगों को चुनने में किस बात का ध्यान रखा गया था ?

**श्री वी० वी० गिरि :** वहां ५००० से अधिक कामकर हैं और वे महत्वपूर्ण केन्द्र हैं।

**श्री एच० एन० शास्त्री :** क्या ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं जिन में कि ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें कि इस योजना के अन्तर्गत हस्पतालों या चिकित्सालयों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें नहीं मिलतीं अपना अंशदान देते रहने के बावजूद भी अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है ?

**श्री वी० वी० गिरि :** मैं पूछूंगा।

**श्री एच० एन० शास्त्री :** क्या सरकार को यह विदित है कि इस योजना के लागू होने के बाद से कानपुर तथा दिल्ली में भी विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की छुट्टी की सुविधाओं पर उल्टा प्रभाव पड़ा है और नियोजक इस अधिनियम के प्रभाव से बचने के लिये कामकरों की छुट्टियों की सुविधाओं को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

**श्री वी० वी० गिरि :** सरकार को विदित है और हम इस प्रश्न को निबटा रहे हैं।

**श्री नाना दास :** श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का इस योजना को मद्रास राज्य में इस वर्ष लागू करने का विचार है ?

**श्री वी० वी० गिरि :** मद्रास के लिये तिथि निश्चित कर दी गई है और हम मद्रास सरकार से इस विषय में निरन्तर परामर्श करते रहते हैं और हमें आशा है कि नियत तिथि तक यह योजना वहां लागू कर दी जायेगी।

## लन्दन स्थित उच्चायुक्त का वित्तीय मंत्रणाकार

***२०५१. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या लन्दन स्थित उच्चायुक्त से सम्बद्ध वित्तीय मंत्रणाकार उस का एक अधीनस्थ पदाधिकारी है; और

(ख) सरकार ने लोक लेखा समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त का वित्तीय मंत्रणाकार उच्चायुक्त के प्रशासनात्मक नियंत्रण में है ।

(ख) लोक लेखा समिति की सामान्य सिफारिशों पर आधारित अनुदेश विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों को पालन करने के लिये तथा भविष्य में मार्गदर्शन के निमित्त दिये जा रहे हैं ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या वित्तीय मंत्रणाकार को विभिन्न प्रस्तावों की विशुद्ध वित्तीय दृष्टिकोण से सूक्ष्म परीक्षा करने का अधिकार है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू:** इसी काम के लिये तो वित्तीय मंत्रणाकार वहां है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि किन मामलों में उच्चायुक्त ने वित्तीय मंत्रणाकार की समिति नहीं ली थी और उस के अनुसार कार्य नहीं किया था ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मैं यह जानकारी कैसे दे सकता हूं ? यह तो बहुत विस्तृत है ।

**श्री वेलायुधन:** श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या वित्तीय मंत्रणाकार लन्दन में भाण्डारों के क्रय की कोई जांच पड़ताल करता है ? क्या उसका इस पर कोई नियंत्रण या अधीक्षण या इसी प्रकार की कोई चीज़ होती है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

**बन्दरों का निर्यात**

*२०५२. **श्री दाभी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत से प्रति वर्ष हजारों बन्दरों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो जिन देशों को ये भेजे जाते हैं वहां ये किस काम में लाये जाते है ;

(ग) बन्दरों के निर्यात व्यापार से प्रति वर्ष औसत कितनी आय होती है और यह किसे मिलती है ; और

(घ) किन देशों को इन बन्दरों का निर्यात किया जाता है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वैज्ञानिक अनुसन्धान ।

(ग) गत तीन वर्षों में इन का औसत वार्षिक निर्यात लगभग २ लाख रुपये का हुआ है। क्योंकि बन्दरों का निर्यात व्यापारिक ढंग पर किया गया था इस लिये उन का मूल्य निर्यात करने वालों को मिला था।

(घ) बन्दरों का निर्यात मुख्यतया संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, डेन्मार्क और नीदरलैण्ड्स को किया जाता है।

**श्री दाभी:** श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इन बन्दरों का निर्यात चीरफाड़ के लिये किया जाता है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मेरे पास तो केवल यही सूचना है कि उन का वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये निर्यात किया जाता है ।

**श्री दाभी:** क्या सरकार को यह विदित है कि पशुओं की चीर-फाड़ करने का यह ढंग बहुत ही अमानवीय है और क्या सरकार ने

बन्दरों के निर्यात को बन्द करने का विचार किया है?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मैं प्रश्न के पहिले भाग के सम्बन्ध में कोई सम्मति देने में असमर्थ हूं, अतः दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री पटेरिया :** यह बन्दर बाहर भेज का काम सरकार कब से कर रही है ?

**श्री के० के० बसु :** क्या सरकार के पास यह जानने के लिये कोई व्यवस्था है कि जिन देशों में बन्दरों को ले जाया जाता है वह इन का उचित प्रयोग किया जाता है?

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

**मध्य प्रदेश को परियोजनाओं के लिये अंशदान**

*२०५३. **श्री जसानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त हुए चार वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार को औद्योगिक तथा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिये ऋण अनुदान या अन्य किसी रूप में कोई राशी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना के लिये प्रति वर्ष कितनी राशी दी गई और किन शर्तों पर वह राशी दी गई ; और

(ग) इन परियोजनाओं में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [ **देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ११** ]

**श्री जसानी :** श्रीमान्, विवरण में यह लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सरकार को विद्युत परियोजनाओं तथा औद्योगिक परियोजनाओं के विकास के लिये ४ करोड़ ४० लाख की राशी दी गई है। इस में एक अल्यूमीनियम के कारखाने की स्थापना भी सम्मिलित है। मैं यह जान सकता हूं कि अल्यूमीनियम के कारखाने की स्थापना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

**श्री जसानी :** क्या यह सत्य है कि अल्यूमीनियम के कारखाने के लिये आई हुई ८० लाख रुपये से अधिक की मशीनरी चमर्पा म व्यर्थ पड़ी है?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** पूर्वसूचना चाहिये।

**श्री जसानी :** क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस अल्यूमीनियम के कारखाने को बनाने के लिये चमर्पा से कोर्बा तक रेलवे लाइन बनाने के लिये कहा है जिस का कि केन्द्रीय सरकार ने बचन दिया था?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** श्रीमान्, मुझे खेद है कि अल्यूमीनियम के कारखाने सम्बन्धी इन सभी प्रश्नों के लिये मुझे पूर्व-सूचना मिलनी चाहिये।

**डा० पी० एस देशमुख :** क्या मध्य प्रदेश सरकार की कोई प्रस्थापनायें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन हैं?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** हो सकती हैं, श्रीमान्। किन्तु मैं यह नहीं बतला सकता कि वे प्रस्थापनायें क्या हैं।

**श्री सारंगधर दास :** श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या राज्यों को विकास के लिये ये ऋण तथा अनुदान देते समय केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है जो कि इस बात का ध्यान रख सके या अधीक्षण कर सके कि इस धन का ठीक प्रकार से उपयोग किया जा रहा है या नहीं?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** केन्द्रीय सरकार के पास यह जानने के लिये बहुत से साधन हैं कि उस धन का उचित प्रकार से प्रयोग किया जाता है या नहीं क्योंकि मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रालय तथा धन चाहने वाली विभिन्न राज्य सरकारों में निरन्तर परामर्श और पत्र-व्यवहार होता रहता है। अतः वित्त मंत्रालय का स्वाभाविकतया उन पर नियंत्रण रहता है। इस के अतिरिक्त महालेखापरीक्षक का सर्वोपरि नियंत्रण भी रहता है जिस के बारे में कि माननीय सदस्य सम्भवतः जानते हैं।

**श्री जसानी:** मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने विद्युत योजनाओं के उत्पादन व्यय की पड़ताल कर ली है और यदि हां तो मैं यह जान सकता हूं कि विद्युत पर प्रति यूनिट क्या लागत आयेगी ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** वस्तुतः, यदि इन योजनाओं के लागत व्यय की कोई पड़ताल करनी होगी तो उस के लिये भारत सरकार के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी उचित प्राधिकारी होंगे । मेरे मंत्रालय के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

**श्री जसानी :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या नेपा मिल्स को चलाने के लिये राज्य सरकार को कच्चे पदार्थों के अभाव के कारण कठिनाई हो रही है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** नेपा मिल्स के सम्बन्ध में इस प्रश्न का उत्तर यहां पहिले कभी दिया जा चुका है । यदि माननीय सदस्य इस सदन में उत्तर दिये गये प्रश्नों के अभिलेखों को देखने की कृपा करें तो उन्हें पर्याप्त जानकारी मिल जायगी ।

**श्री जसानी:** किन्तु उस में कच्चे पदार्थों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया हुआ है ।

**अध्यक्ष महोदय:** वह विशेष रूप से कच्चे पदार्थों के अभाव की ओर निर्देश् कर रहे हैं ।

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी::** मैं नहीं जानता कि मैं इस प्रश्न का आज ही उत्तर दे रहा हूं या पहिले दे चुका हूं किन्तु मुझे यह स्मरण आता है कि मैं इस विशेष विषय पर किसी प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । कच्चे पदार्थों के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की सम्मति मांगी गई है और अब यह उपलब्ध है । मेरे विचार में इस विषय में कोई कार्यवाही करना मध्य प्रदेश सरकार का काम है । यदि भारत सरकार को उन्हें कोई सहायता देनी पड़ी तो मुझे पक्का निश्चय है कि वह अवश्य देगी ।

**बाल-बियरिंग्स**

*२०५४. **श्री ए० सी० गुहा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बाल-बियरिंग्स का औसत वार्षिक उत्पादन कितना होता है ;

(ख) कौन से कारखाने इसे बनाते हैं; और

(ग) औसत वार्षिक आवश्यकता कितनी होती है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):** (क) उत्पादन अगस्त १९५० में आरम्भ हुआ था । १९५१ में संख्या में २,३४,३८३ का उत्पादन हुआ था ।

(ख) केवल मैसर्ज नेशनल बियरिंग कम्पनी लिमिटेड जयपुर ।

(ग) संख्या में लगभग दस लाख ।

**श्री ए० सी० गुहा: :** क्या यह सत्य है कि सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में

जर्मनी से कुछ बाल-बियरिंग्स की मशीनरी प्राप्त हुई थी और यदि हां तो मैं यह जान सकता हूं कि इस का क्या किया गया है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

**श्री ए० सी० गुहा :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक कामों के लिये एक अत्यधिक आवश्यक वस्तु है, इस का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का इरादा है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** इस विशेष उद्योग की जिस का कि मैं ने उल्लेख किया है उत्पादन क्षमता इस के इस समय के उत्पादन से कहीं अधिक है । इसे अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस समय तटकर आयोग इस उद्योग को संरक्षण देने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस उद्योग को किसी प्रकार की तटकर सम्बन्धी सहायता दे रही है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मैंने बताया है कि तटकर आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या मैं इस संयंत्र की कुल उत्पादनक्षमता जान सकता हूं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** यह ५,००,००० और ६,००,००० के बीच है ।

**श्री थानू पिल्ले :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस उद्योग की उत्पादनक्षमता हमारी आवश्यकताओं की केवल २५ प्रति शत है क्या इस उद्योग को तटकर सम्बन्धी संरक्षण देने से उपभोक्ताओं को अन्य ७५ प्रति शत के सम्बन्ध में कठिनाई नहीं होगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में वह सम्मति पूछ रहे हैं ।

**श्री राधा रमण :** क्या यह सत्य है कि कुछ कारखानों को अभी हाल में ही बन्द करना पड़ा ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मेरे पास विद्यमान अभिलेखों के अनुसार तो केवल जयपुर की नेशनल बियरिंग कम्पनी लिमिटेड ही बाल-बियरिंग्स तैयार करती है । इस समय यही इन का उत्पादन कर रही है ।

**श्री ए० सी० गुहा :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस कम्पनी को सरकार से कोई सहायता मिली है और यदि मिली है तो किन शर्तों पर ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय वित्तीय सहायता से है तो मेरे विचार में ऐसा नहीं हुआ है ।

**श्री ए० सी० गुहा :** क्या क्षतिपूर्त्ति की मशीनरी उन्हें दे दी गई है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** यदि क्षति-पूर्त्ति की मशीनरी की ओर निर्देश किया गया है तो मुझे इस के लिये पूर्वसूचना मिलनी चाहिये ।

**आवेष्टित तांबें की तारें**

*२०५५. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में आवेष्टित बंधी हुई तांबे की तारों का वार्षिक उत्पादन कितना होता है ;

(ख) यह कौन से कारखानों में बनती हैं; तथा

(ग) औसत वार्षिक आवश्यकता कितनी होती है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) १९५१ में २९६ टन।

(ख) मैसर्स इंडियन केबल कम्पनी लिमिटेड, टाटानगर और मेसर्स नेशनल इन्स्यूलेटेड केबल कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, शामनगर।

(ग) १,४०० टन।

**श्री ए० सी० गुहा** : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार की इन कम्पनियों की या इन में से किसी की सहायता करने के लिये कोई शर्तें हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मैं यह चाहता हूं कि इस प्रश्न को स्पष्ट किया जाये क्योंकि मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का शर्तों से क्या अभिप्राय है।

**श्री ए० सी० गुहा** : क्या सरकार ने इंडियन केबल कम्पनी को कोई सहायता दी है और किन शर्तों पर दी है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यदि सहायता से अभिप्राय औद्योगिक (टेकनिकल) सहायता, कच्चे पदार्थों को प्राप्त कराने की सहायता, आयात अनुज्ञप्तियां देने की सहायता से है तो सरकार उन्हें निरन्तर सभी प्रकार की सहायता दे रही है। यदि माननीय सदस्य के मन में और कोई सहायता है तो मैं उस का अभी इस समय उत्तर देने में असमर्थ हूं।

**श्री के० के० बसु** : मैं यह जान सकता हूं कि क्या नेशनल इन्स्यूलेटेड केबल कम्पनी कोई भारतीय कम्पनी है अथवा भारत में निगमित कोई ब्रिटिश कम्पनी है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

**अण्डमान तथा नीकोबार में बसाये गये परिवार**

*२०५६. **श्री बाल्मीकी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-१९५२ में अंडमान और नीकोबार के द्वीपों में बसाये गये परिवारों की संख्या ; और

(ख) उन्हें क्या क्या सुविधायें दी गईं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) ९० परिवार।

(ख) २५ परिवारों को २,००० रुपये प्रति परिवार के हिसाब से घर बनाने, बैलों, खेती के औजारों, बीज, भरण-पोषण और यात्रा व्यय आदि के लिये ऋण के रूप में दिये गये थे। उन में से प्रत्येक परिवार को १० एकड़ भूमि भी दी गई थी और २ वर्ष के लिये लगान की छूट दे दी गई थी। उन्हें घर बनाने के लिये सरकारी जंगलों से बिना मूल्य इमारती लकड़ी काटने की सुविधा भी दे दी गई थी।

शेष ६५ परिवारों को १,५०० रुपये प्रति परिवार के हिसाब से भरण-पोषण, घर बनाने तथा व्यापार के लिये ऋण के रूप में दिये गये थे। प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिये १/३ एकड़ भूमि का प्लाट भी दिया गया था।

**श्री बाल्मीकी** : इन पुरुषार्थी फ़ैमिलीज (परिवारों) को बसाने में अब तक सरकार को कितना रुपया खर्च करना पड़ा है ?

**श्री ए० पी० जैन** : यह तो मैं नहीं कह सकता कि कितना खर्चा अभी तक हुआ है, लेकिन ९० परिवार बसाये हैं, और औसत

खर्चा फी परिवार करीब १,५०० और २,००० रुपये के बीच में है ।

**श्री बाल्मीकी :** पूर्वी बंगाल से आये हुये पुरुषार्थियों की कितनी फ़ेमिलीज अब तक बसाई गई हैं ?

**श्री ए० पी० जैन :** यह तो आंकड़े मैं कई दफा दे चुका हूं, जबानी तो मैं बिल्कुल ठीक ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन यह करीब ४००-४५० परिवार होंगे ।

**श्री बाल्मीकी :** अभी और कितनी फेमिलीज को इस स्थान में बसाया जा सकता है ?

**श्री ए० पी० जैन :** वैसे तो वहां भूमि काफी है, लेकिन यह इस बात पर मुन्नहसिर करता है कि वहां पर हमें कितना जंगल रखना हैं और कितनी भूमि हमें साफ करनी है । हमने एक योजना भी बनाई है जिस के अनुसार हमारी दो या तीन हजार परिवारों को बसाने की स्कीम (योजना) है, लेकिन मैं अभी कह नहीं सकता कि वहां पर कितने परिवार बसाये जायेंगे ।

**श्री कक्कन :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार की यह योजना स्थायी रूप से है या अस्थायी रूप से ?

**श्री ए० पी० जैन :** स्थायी रूप से श्रीमान् ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं यह जान सकता हूं कि इन क्षेत्रों के विकास के लिये जहां कि वे विस्थापित व्यक्ति रहते हैं कितनी राशि अलग रख दी गई है और अन्य स्थानों को कृषियोग्य बनाने के लिये कितनी राशि रख दी गई है ?

**श्री ए० पी० जैन :** वास्तव में कृषियोग्य बनाने का काम तो गृह-मत्रालय द्वारा किया जाता है और मेरा मंत्रालय केवल वहां बसन के लिये शरणार्थियों को भेज देता है । हम तो कुछ सहायता देते हैं जिस के बारे में मैं इस सदन में कई बार विस्तृत ब्यौरा बता चुका हूं ।

**श्री पी० एन० राजभोज :** पिछड़ी हुई जातियों के वहां पर पूर्वी बंगाल से कितने लोग आये हैं, मैं यह सवाल इसलिये पूछना चाहता हूं, क्योंकि पूर्वी बंगाल में हम लोगों की काफ़ी तादाद है ?

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को कारण बतलाने की आवश्यकता नहीं है; वह केवल जानकारी मांग सकते हैं । उन्हें क्या जानकारी चाहिये ?

**श्री पी० एन० राजभोज :** मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पूर्वी बंगाल से जो लोग इधर आये हैं, उन में हमारे अछूत भाइयों की क्या तादाद है ?

**श्री ए० पी० जैन :** इस विषय में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं जिन से मैं उन अछूत भाइयों की तादाद बता सकूं, हम अछूतों और दूसरी जातियों में कोई भेद-भाव नहीं रखते और सब को बराबरी का स्थान देते हैं ।

**श्री ए० सी० गुहा :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या कोई अन्य परिवार वहां सरकार की ओर से नहीं गये हैं ?

**श्री ए० पी० जैन :** मुझे ज्ञात नहीं है ।

**श्री एम० आर० कृष्ण :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन परिवारों ने और अधिक सुविधाओं के लिये कोई प्रार्थना की थी ?

**श्री ए० पी० जैन :** अंडमान जाने वालों को अन्यत्र कहीं जाने वालों की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधायें दी जाती हैं ।

**चपड़ा और कच्ची लाख**

*२०५७. **श्री जसानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में प्रति वर्ष कुल कितनी लाख का उत्पादन हुआ और किन राज्यों में हुआ ;

(ख) इस अवधि में इस उत्पाद के कितने भाग का विदेशों को चपड़े तथा कच्ची लाख के रूप में निर्यात किया गया और किन देशों को किया गया ;

(ग) इस अवधि में इस वस्तु के निर्यात व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(घ) उपरोक्त अवधि में चपड़ा तथा कच्ची लाख के बाजार भाव क्या थे और वर्तमान भाव क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (घ). दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ख) तथा (ग). "भारत के विदेशी सामुद्रिकतथा वैमानिक व्यापार सम्बन्धी मार्च, १९५२ का व्यौरा" नामक छपे हुए प्रकाशन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिस में कि अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

**श्री जसानी :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि भारत विश्व की लाख की खपत के एक बहुत बड़े भाग का उत्पादन करता है ?

**श्री करमरकर :** मैं यह पता लगाऊंगा कि हम इस देश में कितने प्रतिशत लाख का उत्पादन करते हैं।

**श्री जसानी :** विवरण से मैं देखता हूं कि लाख का मूल्य प्रतिदिन घटता जा रहा है। मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस का कारण विदेशियों द्वारा यहां के सारे व्यापार का नियंत्रण है ?

**श्री करमरकर :** कोरिया की स्थिति के कारण भारत में लाख की मांग बढ़ गई थी। अब वह मांग घट रही है और उसके परिणाम-स्वरूप मूल्य भी घट रहे हैं।

**श्री जसानी :** क्या सरकार उन व्यापारिक हितों की रक्षा के लिये कोई पग उठायेगी जिन्हें कि अपनी वस्तु का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है ?

**श्री करमरकर :** इस वस्तु का मूल्य मांग तथा सम्भरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है और सरकार का इस पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं है जिस से कि वह उन्हें अधिक मूल्य दे सके।

**श्री धूसिया :** मैं यह जान सकता हूं कि भारत में कितने प्रति शत लाख की खपत होती है और किन किन उद्योगों में होती है ?

**श्री करमरकर :** एक बहुत ही नगण्य से भाग की खपत होती है जब कि इस के बहुत बड़े भाग का बाहर निर्यात किया जाता है।

**श्री सारंगधर दास :** मैं यह जान सकता हूं कि सरकार आदिवासियों द्वारा लाख के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कर रही है ?

**श्री करमरकर :** हमें इस प्रकार के किसी संरक्षण की आवश्यकता का ज्ञान नहीं है, किन्तु यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो हम उस पर विचार करेंगे।

**बाबू राम नारायण सिंह :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का लाख के बाजार पर कोई नियंत्रण है और यदि है, तो मैं यह जान सकता हूं कि इस के भावों में इतनी घटा-बढ़ी क्यों होती है ?

**श्री करमरकर :** हमारा सभी प्रकार का नियंत्रण है किन्तु हम इस प्रकार के किसी नियंत्रण का प्रयोग नहीं करते रहे हैं क्योंकि मूल्य सदा सम्भरण तथा मांग के सामान्य सिद्धान्त पर निर्भर करते रहे हैं इसलिये ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया। सरकार चाहती है कि लाख के उत्पादन तथा मूल्य में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाये क्योंकि अधिक निर्यात से सरकार को,अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और सम्बद्ध व्यक्तियों को अधिक धन मिलता है।

**प्लाइवुड (आयात)**

*२०५८. **श्री जसानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत में कितनी प्लाइवुड का आयात किया गया ;

(ख) उसी अवधि में भारत में इस की कितनी मात्रा बनी;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस उद्योग को संरक्षण देने के लिये कोई पग उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) आरम्भ में प्लाइवुड उद्योग को विगत तटकर बोर्ड की सिफारिश पर सितम्बर १९४८ में ३१ मार्च १९५० तक तत्कालीन मूल्यानुपातेन ३० प्रतिशत के राजस्व शुल्क को उतने ही संरक्षण शुल्क में परिवर्तित करके संरक्षण दिया गया था। उस के बाद संरक्षण की अवधि को ३१ दिसम्बर १९५२ तक बढ़ा दिया गया है।

**श्री जसानी :** विवरण से मैं देखता हूं कि १९५०-५१ में हम ने ५० लाख रुपये के मूल्य की चाय की पेटियों की प्लाइवुड का आयात किया था, जब कि १९५१-५२ में हम ने १.४२ करोड़ रुपये के मूल्य की प्लाइवुड का आयात किया था। मैं यह जान सकता हूं कि इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** इस का कारण इस देश में इस के भण्डार की कमी और इस की मांग में वृद्धि ही होगी।

**श्री वेलायुधन :** मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि चाय की पेटियों के लिये अधिकांश प्लाइवुड का विदेशों से आयात किया जाता है, जब कि इस का भारत में बहुत बड़ा भण्डार उपलब्ध है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मेरे मंत्रालय के पास यह जानकारी नहीं है।

**डा० पी० एस० देशमुख :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह संरक्षण देने के बावजूद भी देश में इस का और अधिक आयात हुआ है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** यह तो स्पष्ट है।

**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर अनुमान से दिये जा रहे हैं, इसलिये यह अधिक अच्छा होगा कि विशिष्ट प्रश्नों के लिये पूर्वसूचना दी जाये।

**डा० पी० एस० देशमुख :** श्रीमान्, मेरा प्रश्न यह है। क्या संरक्षण देने के बाद आयात बढ़ गया है और यदि हां तो इस की वृद्धि के क्या कारण हैं ? जब संरक्षण दिया जाता है तो स्वाभाविकतया हम यह आशा करते हैं कि आयात कम होंगे। अतः मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करें।

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** संरक्षण शुल्क बढ़ा कर दिया जाता है। इस में शुल्क मूल्यानुपातेन ३० प्रतिशत है। स्पष्ट है कि जो लोग देश में इस वस्तु का आयात करते हैं वे यह समझते हैं कि इस के स्थानीय रूप से बनाने पर जो लागत आयेगी, ३० प्रतिशत शुल्क दे कर भी वे उस से अधिक सस्ते मूल्य पर इसका आयात कर सकते हैं। संभव है और भी कई बातों का विचार किया जाता हो, जैसे कि इस की किस्में भिन्न भिन्न होती हों। श्रीमान् जी, जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, इस प्रकार के प्रश्नों के लिये मेरे उत्तर केवल अनुमानिक ही हो सकते हैं, निश्चित नहीं हो सकते।

**श्री पोकर साहेब:** क्या मैं भारत में प्लाइवुड के कारखानों की संख्या जान सकता हूं और उन में से कितने दक्षिण भारत में स्थित हैं?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मेरे विचार में मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन में लगभग चौदह कारखाने हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** वह भारत में भी इन की कुल संख्या जानना चाहते थे।

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** कुल संख्या लगभग साठ है।

**श्री एच० एन० मुखर्जी:** ब्रिटिश चाय व्यापारियों के रुख को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात का आग्रह करने का विचार कर रही है कि निर्यात की जाने वाली भारतीय चाय को भारत में बनी हुई प्लाइवुड की पेटियों में ही बन्द करके भेजा जाये?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मुझे भय है कि हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है।

**श्री सारंगधर दास:** मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इन की किस्म को सुधारने के लिये क्या कर रही है, क्योंकि माननीय मंत्री के आनुमानिक उत्तरों से मैं यह समझ पाया हूं कि इस की किस्म के कारण ही भारतीय प्लाइवुड घाटे में रहती है?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मैं अपने माननीय मित्र को यह बतला सकता हूं कि चाय की पेटियां बनाने वाले प्लाइवुड निर्माताओं का एक प्रतिनिधिमण्डल कल ही मुझ से मिला था और मैं उन्हें यह विश्वास दिला सकता हूं कि जब वह प्रतिनिधिमण्डल वापिस लौटा तो उसे सरकार के रुख से पूर्ण सन्तोष था। हम यह करते हैं। हमारा एक निरीक्षणालय है और निर्माता लोग सरकार से निरीक्षण करवाने के लिये अपनी वस्तुएं वहां प्रस्तुत करते हैं। वहां से सामान्यतया यह सूचना मिली है कि अब उत्पादन संतोषजनक होता है। मैंने एक चाय संघ का प्रतिवेदन देखा था जिस में बहुसंख्या यूरोपियन लोगों की है। उस में यह लिखा था कि भारतीय चाय की पेटियों में काफी सारभूत सुधार हुए हैं और इन में अब बहुत कम को अस्वीकार किया जाता है। अब स्थिति यह है कि चाय उद्योग की लगभग ७० प्रतिशत आवश्यकताएं भारतीय प्लाइवुड निर्माताओं द्वारा पूरी की जाती हैं।

## ट्रैक्टरों के पुर्ज़े

*२०५९. **श्री एल० एन० मिश्र:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या ट्रैक्टरों का आयात करने वाले समवायों के लिये ट्रैक्टरों के पुर्जों का आयात करना भी अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो जिन समवायों ने पुर्जे न मंगवा कर कई ट्रैक्टरों को बिना पुर्जों के बेकार पड़े रहने दिया है उन के

विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):** (क) तथा (ख). मैं यह मान लेता हूं कि इस प्रश्न का सम्बन्ध 'कृषि सम्बन्धी ट्रैक्टरों' से है। आयात करने वालों के लिये यह आवश्यक है कि वे आयात किये गये ट्रैक्टरों के मूल्य के १५ प्रतिशत तक के पुर्जों के सम्भरण की व्यवस्था करें। जो बिना किसी उचित कारण के ऐसा नहीं करते उन्हें ट्रैक्टरों के लिये आगे कोई अनुज्ञप्ति देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है।

**श्री एल० एन० मिश्र:** मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस बात की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि बिहार सरकार के बहुत से भारी भारी ट्रैक्टर जिन्हें कि परती भूमि को कृषियोग्य बनाने के काम में लाया जाता है, ट्रैक्टरों का आयात करने वाले समवायों द्वारा पुर्जों तथा आवश्यक भागों का सम्भरण न किये जाने के कारण ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मैं ने इस शिकायत को पहिली बार सुना है।

**श्री एल० एन० मिश्र:** मैं यह जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से ट्रैक्टरों के आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं और यूरोप के देशों से ट्रैक्टरों का आयात करने के लिये विशेष सुविधायें दी जाती हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मैं इस विशेष प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, किन्तु इतना बतला सकता हूं कि सरकार की नीति यह है कि जहां तक सम्भव हो डालर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से आयातों को प्रोत्साहित किया जाये जिस से कि हमारे डालर बच सकें।

**श्री एल० एन० मिश्र:** क्या सरकार को यह विदित है कि चेकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टर भारतीय मिट्टी और खेती के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हुए हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मुझे यह जानकारी माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है ?

**श्री रघवय्या:** मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने बम्बई की औद्योगिक प्रदर्शनी में रूस के ट्रैक्टरों की बिक्री को इस आधार पर रोक दिया था कि उन के पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

**श्री के० जी० देशमुख:** माननीय मंत्री के इस उत्तर के संबंध में कि सरकार उन आयातकों के विरुद्ध कार्यवाही करती है जो १५ प्रतिशत पुर्जे नहीं मंगवाते, मैं यह जान सकता हूं कि ठीक ठीक क्या कार्यवाही की जाती है और कितने मामलों में अनुज्ञप्तियां रद्द की गई हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

**श्री टी० एस० ए० वेट्टियर:** हम ने समझा था कि सरकार भारत में पुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। क्या कुछ प्रतिशत विदेशी पुर्जे लेने के लिये बाधित करने से इस देश में पुर्जों के निर्माण में उत्साह कम नहीं होगा ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** यह तो समय का प्रश्न है। यदि इस देश में बहुत से ट्रैक्टर होंगे तो इन १५ प्रति शत पुर्जों से भी उन की आवश्यकतायें पूरी नहीं होंगी। इसलिये पुर्जों के स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। परन्तु ट्रैक्टरों को चालू रखने के लिये उन की कम से कम आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिये सरकार ट्रैक्टर आयातकों द्वारा १५ प्रतिशत पुर्जों का आयात किये जाने का आग्रह करती है ।

## पूर्वी बंगाल में हिन्दू

*२०६०. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल के सप्ताह में पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के साथ कोई भेदभावपूर्ण और अनुचित व्यवहार के समाचार मिले हैं ; और

(ख) यदि हां तो (१) किन विशेष क्षेत्रों में (२) किस प्रकार के और कैसे और (३) भारत सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां ।

(ख) (i) मुख्यतया खुलना, बाकरगंज, फरीदपुर और सिलहट के ज़िलों से जहां कि आर्थिक अवस्था खराब होती हुई बताई जाती है ।

(i) (१) सरकारी सहायता विधि से पीड़ित हिंदुओं को सहायता देने में भेद-भाव करने के समाचार प्राप्त हुए हैं ।

(२) यह सूचना मिली है कि सिलहट जिले में अमुस्लिम चाय श्रमिकों को चुनाव नामावलियों के प्रारूप में दर्ज नहीं किया जा रहा है ।

(३) नियोजकों पर यह दबाव डाला जाता है कि वे व्यापारिक समवायों में अमुस्लिमों को काम पर न लगायें ।

इसके अतिरिक्त भेदभावपूर्ण कार्यों की पुरानी शिकायतें विशेषतया घरों के अधिग्रहण के संबंध में पूर्ववत् जारी हैं ।

(iii) भेदभाव तथा अनुचित व्यवहार की विशेष विशेष घटनाओं के संबंध पकि-स्तान सरकार से पूछ-ताछ की जाती है ।

**श्री ए० सी० गुहा :** क्या सरकार को यह विदित है कि बिल्कुल हाल ही में अन्सारों को एक गश्ती पत्र भेजा गया है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से विशेषतया आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करें ?

**श्री सतीश चन्द्र :** मुझे यह ज्ञात नहीं है कि अन्सारों को ऐसा कोई गश्ती पत्र भेजा गया है किंतु यह सत्य है कि ये अन्सार लोग हिंदू अल्पसंख्यकों को कुछ सताते रहे हैं ।

**श्री ए० सी० गुहा :** मंत्री महोदय ने बताया है कि पीड़ित क्षेत्रों में सहायता देने के सम्बन्ध में भी हिन्दुओं के साथ भेदभाव बरता जाता रहा है मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने विशेष रूप से इस बात की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** माननीय सदस्य को विदित है कि हम अपने उच्चायुक्त तथा अपने मंत्रियों द्वारा निरन्तर पाकिस्तान सरकार के सम्पर्क में रहते हैं । सामान्यतया, किसी अन्य राज्य के आन्तरिक मामलों में सरकारी तौर पर कोई कार्यवाही करना कुछ कठिन है, किन्तु मैं समझता हूं कि मंत्रिगण इन बातों की ओर समय समय पर अवश्य ध्यान दिलाते रहते हैं ।

**श्री ए० सी० गुहा :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने वहां के पीड़ित हिन्दुओं की सहायता करने के लिये अन्तर्रा-ष्ट्रीय रेड क्रास सोसाइटी या इस की भार-तीय शाखा का ध्यान आकर्षित किया है ?

**श्री जवाहर लाल नेहरू :** श्रीमान् । मेरे विचार में किसी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संस्था से अपने प्रदेश से बाहर सहायता देने के लिये कहना सर्वथा अनुचित होगा । सामान्यतया ऐसा नहीं किया जाता है ।

**श्री ए० सी० गुहा :** अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसाइटी विश्व भर के पीड़ित

लोगों की सहायता करती रही है। अतः भारतीय रेड क्रास सोसाइटी इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय रेंड क्रास सोसाइटी से कह सकती है।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास कोई सरकारी निकाय नहीं हैं। वे निजी रूप से सहायता कर सकते हैं और उन्होंने बहुत अधिक सहायता की भी है।

**डा० एन० बी० खरे** उठे—

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न-काल समाप्त।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### पटसन मिलों का अभिनवीकरण

*२०४८. **श्री बी० के० दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन पटसन मिलों की संख्या जिन्होंने अपनी मिलों के अभिनवीकरण का कोई कार्यक्रम अपनाया है :

(ख) उन्होंने इस कार्य के लिये कुल कितनी अतिरिक्त पूंजी लगाई है; और

(ग) इस से उत्पादन में कितनी वृद्धि तथा लागत व्यय में कितनी कमी होने की आशा है?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). "अभिनवीकरण" का सामन्यतया यह अर्थ होता है कि किसी कारखाने में फालतू श्रम तथा सामग्री आदि के खराब होने से बचने के लिये उस के उत्पादन के ढंग की परीक्षा करना। पटसन मिलों में इस प्रकार की परीक्षा सदा होती रहती है। किन्तु भाग (ख) तथा (ग) से यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य "आधुनिकीकरण का निर्देश कर रहे हैं जिस की ओर कि हाल में जनता का कुछ ध्यान आकर्षित किया गया है। यद्यपि कुछ मिलों ने अपनी मशीनरी के आधुनिकीकरण की नीति अपनाई है किन्तु यह अभी पूरा नहीं हुआ है। आधुनिकीकरण के विषय में मेरी इस बात से कुछ अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि भारतीय जूट मिल संघ की मिलों के कुल करघों के लगभग ९.८ प्रति शत में आधुनिक मशीनरी लगा दी गई है या उस के लिये व्यादेश दे दिये गये हैं। अब तक लगभग ५ करोड़ रुपये की पूजी लगाई जा चुकी है या लगाये जाने का विचार है। किन्तु आधुनिकीकरण का कुल उत्पादन को बढ़ाना इतना उद्देश्य नहीं है जितना कि उत्पादन व्यय को घटाना है। तैयार करने तथा कातने की मशीनरी के पूर्ण आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप मिलों को अपने वार्षिक लागत व्यय में १०.५ प्रति शत बचत होने का अनुमान है।

### सामूहिक विकास योजना के अधीन स्वास्थ्य तथा मनोरंजन केन्द्र

*२०४९. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामूहिक विकास योजना (स्वास्थ्य तथा मनोरंजन-केन्द्र) के अधीन उन स्थानों पर क्या क्या विशेष सुविधायें दी जायेंगी, जहां एक हजार से अधिक मज़दूरों को काम करना पड़ता है और बड़ी ही कठिन स्थिति में रहना पड़ता है?

**योजना तथा सिंचाई व विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : क्षेत्रों के पर्यालोकन के पश्चात् ही योजनायें बनाई जायेंगी। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक मंडी इकाई में एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और परियोजना क्षेत्र के प्रधान कार्यालय में एक चलता-फिरता स्वास्थ्य एकक तथा एक छोटा स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की व्यवस्था की गई है।

प्रत्येक मंडी इकाई में एक सामूहिक मनोरंजन केन्द्र भी होगा।

**अखिल भारतीय अन्ध सहायता समाज**

*२०६१. **श्री रघवय्या :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने १९५१-५२ के लिये कितनी राशि अखिल भारतीय अन्ध सहायता समाज के सहायतार्थ-अनुदान के लिये मंजूर की है?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) :** केन्द्रीय सरकार ने १९५१-५२ में अखिल भारतीय अन्ध सहायता समाज को पांच हज़ार रुपये दिये थे। इस के अतिरिक्त, कोयला खान श्रम कल्याण निधि तथा अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि में से क्रमश: ४,००० रुपये तथा १००० रुपये के अनुदान मंजूर किये गये थे।

**कच्चा रबड़ (मूल्य)**

*२०६२. **श्री ए० एम० टामस :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने कच्ची रबड़ के मूल्य किन सिद्धान्तों पर निर्धारित किये थे ; और

(ख) सरकार का किस तिथि तक वर्तमान भावों को जारी रखने का विचार है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :** (क) कच्ची रबड़ के वर्त्तमान भाव भारतीय तटकर बोर्ड की सिफ़ारिशों पर निर्धारित किये गये थे। बोर्ड ने रबड़ के उत्पादन की लागत निश्चित करते समय जिन सिद्धान्तों का अनुसरण किया था वे उन के प्रतिवेदन की कण्डिका १५ में दिये हुए हैं।

(ख) जब तक कि तटकर आयोग जो कि मूल्य में पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर रहा है, अपना प्रतिवेदन नहीं देता तब तक यह बतलाया नहीं जा सकता कि वर्तमान तिथि कब तक जारी रहेगी।

**रबड़ का उत्पादन**

*२०६३. **श्री बी० एन० राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में रबड़ का उत्पादन देश की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होता है ; और

(ख) यदि नहीं तो सरकार ने रबड़ उद्योग के विकास के लिये क्या पग उठाये हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) रबड़ बाग उद्योग के लिये एक विकास योजना सरकार के विचाराधीन है जिस के लागू होने पर कच्चे रबड़ का उत्पादन देश की वर्तमान खपत से अधिक होने की आशा है। इस बीच सरकार उगाने वालों को अपनी भूमि में अधिक रबड़ उत्पादित करने वाली कलमें पुन: लगा कर उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित कर रही है और रबड़ विकास आयुक्त द्वारा आधुनिक अनुसन्धान के लाभ पहुंचा रही है।

**कृषि श्रम जांच**

*२०६४. **श्री एच० एस० प्रसाद :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कृषि श्रम जांच का प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा ;

(ख) सरकार ने जांच के लिये कितने कर्मचारी नियुक्त किये हैं ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों में से कितनों को वैकल्पिक नौकरियां दी गई हैं ; और

(घ) कृषि श्रम जांच सम्बन्धी कार्य पूरा होने के पश्चात् शेष कर्मचारियों को खपाने के लिये सरकार के पास क्या योजना है ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** : (क) बंडालर, दोरवान, आर्कीकराहल्ली, वृन्दावनपुर, खापड़ी, मागुरपाड़ा, खुन्तुनी और खलीसपुर नामक गांवों में की गई प्रारम्भिक कृषि श्रम जांच के प्रतिवेदन पहिले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं। मुख्य जांच की प्रथम अवस्था के सम्बन्ध में 'भारत में कृषि मजदूरी इस शीर्षक से एक लेख के रूप में प्रकाशित होने वाला प्रतिवेदन छप रहा है। सामान्य परिवार पर्यालोकन सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी तैयार हो रहा है। विस्तृत परिवार पर्यालोकन सम्बन्धी प्रतिवेदन को सेना की सांख्यिक संस्था द्वारा सामग्री के सारणीबद्ध कर दिये जाने के पश्चात् लिया जायेगा। यह कार्य इस समय किया जा रहा है।

(ख) ४८२—जिसमें ३० गजेटेड तथा १०० श्रेणी ४ के पदाधिकारी सम्मिलित हैं।

(ग) २०० व्यक्तियों को या तो राज्य सरकारों को वापिस भेज दिया गया है अथवा अन्यत्र कहीं खपा लिया गया है। कुछेक व्यक्ति अब भी कृषि श्रम जांच के प्रधान कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) श्रम मंत्रालय से संलग्न कार्यालयों तथा राज्य सरकारों से ऐसे पदों के लिये जिन में कि इन व्यक्तियों के भूतकाल के अनुभव से लाभ उठाया जा सके और यदि ये व्यक्ति अन्यथा योग्य तथा उपयुक्त हों तो विशुद्ध रूप से बाहर के व्यक्तियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों के मामलों पर अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की प्रार्थना की गई है।

**फ़ैक्टरी रोड की बैरकों से विस्थापित व्यक्ति**

***२०६५. सरदार हुक्म सिंह**: क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सम्पदा पदाधिकारी द्वारा नई दिल्ली की फ़ैक्टरी रोड की बैरकों से हाल में कोई विस्थापित व्यक्ति निकाले गये हैं; और

(ख) क्या उन के लिये उसके बदले में कोई आवासस्थान की व्यवस्था की गई है?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सात परिवारों को, जिन्हें कि इस प्रकार के आवासस्थान मिलने चाहियें थे, बदले में अवासस्थान दे दिये गये हैं।

**सुअर के बालों का उद्योग**

***२०६६. श्री गणपति राव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे;

(क) क्या यह सत्य है कि १९४७ के बाद से सुअर के बालों का उद्योग बहुत विकसित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इस उद्योग के अधिक विकसित होने की संभावना है; और

(ग) कौन से अन्य देश इस प्रकार के बालों का आयात करते हैं और तैयार वस्तुओं का भारत को निर्यात करते हैं और १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में इन का कुल कितना निर्यात हुआ है और प्रतिवर्ष इसमें कितने प्रति शत वृद्धि या कमी हुई है?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य सुअर के बालों के उद्योग से है तो यह बताया जा सकता है कि यह उद्योग १९४७ से पूर्व भी विद्यमान था।

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास बिहार, आसाम, और उड़ीसा।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १४**]

**कच्ची खालें (निर्यात)**

*२०६७. **श्री गणपति राम:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत से विदेशों को जनवरी, १९५२ से अप्रैल, १९५२ तक कितनी कच्ची खालों का निर्यात किया गया था, इस के साथ ही उन देशों के नाम भी बतलाये जायें जिन्हें कि यह निर्यात किया गया था; और

(ख) क्या यह सत्य है कि १९४९ के बाद से कच्ची खालों का निर्यात घट गया है और यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने प्रति शत ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जनवरी, १९५२ से अप्रैल, १९५२ तक ४५ टन कच्ची खालें तुर्की तथा पश्चिमी जर्मनी को निर्यात की गई थीं।

(ख) १९४९ की तुलना में १९५० में कच्ची खालों का निर्यात २० प्रति शत घट गया था, किन्तु १९५१ में इसमें १०० प्रतिशत वृद्धि हो गई थी। अब इस के निर्यात की आज्ञा नहीं है।

**ट्रैक्टर निर्माण**

*२०६८. **श्री बी० एन० राय:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ट्रैक्टर निर्माण उद्योग में भारतीय पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितने प्रतिशत भारतीय पूंजी और कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी लगी हुई है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०** स्तान सरकार से पूछ-ताछ की जाती है। अब तक केवल तीन सार्थों ने भारत में ट्रैक्टर बनाने का अपना इरादा प्रकट किया है। इन में से दो की पूंजी सर्वथा भारतीय है। तीसरे सार्थ में जिस ने कि ट्रैक्टरों के अतिरिक्त मोटर तथा अन्य उत्पाद भी बनाने का कार्यक्रम बनाया है ६.७ प्रतिशत विदेशी पूंजी लगी हुई है।

**नेपाल में भारतीय कृषक**

*२०६९. **श्री बी० एन० राय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नेपाल सरकार उन भारतीय नागरिकों को उस देश से भारत को धान या चावल का आयात करने देती है जिन के कि नेपाल में खेत हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो भारत सरकार ने नेपाल में भारतीय कृषकों के हितों की रक्षा के लिये क्या पग उठाये हैं ?

**प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). नेपाल स्थित भारतीय दूतावास को हाल ही में कतिपय भारतीयों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें अपनी नेपाल की भूमि में उगाया हुआ चावल भारत लाने में कुछ कठिनाई होती है। दूतावास ने इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से प्रार्थना की है।

**दावों की पड़ताल**

*२०७०. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दावों को दावा पदाधिकारियों में सम्पत्ति के पाकिस्तान में स्थान के अनुसार वितरित किया जाता है, अर्थात्, भारत के किसी नगर या जिले रहने वाले व्यक्तियों के दावे उस स्थान के एक या एक से अधिक दावा पदाधिकारियों के पास भेज दिये जाते हैं ; और

(ख) क्या यह सत्य है कि इन दावा पदाधिकारियों को प्रायः बहुत बार बहुत थोड़े समय के लिये बहुत दूर के स्थानों के दौरे पर जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें जिन दावों की पड़ताल करनी पड़ती है उन की संख्या बहुत कम और राशि बहुत थोड़ी होती है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

**फ़रीदाबाद से बिजली**

*२०७१. **श्री राधा रमण** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) नई दिल्ली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार को फ़रीदाबाद से कब तक बिजली मिलने की आशा है ;

(ख) इस योजना में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे ; और

(ग) क्या पुरानी दिल्ली को भी यह मिलेगी और यदि हां, तो किस हद तक ?

**योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) सरकार को अब फरीदाबाद से बिजली मिलने की आशा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**नेपा मिल्स के लिये कच्चा माल**

*२०७२. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ जून, १९५२ को नेपा कागज़ मिल्स के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२०३ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कागज बनाने के लिये मुख्य कच्चा माल "बांस" इन कागज मिलों के आस-पास उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सत्य है कि बांस जैसे अन्य वृक्षों का गूदा जो कि इन कागज़ मिलों के आस पास उगाये जाते हैं, परीक्षा के लिये अमेरिका भेजा गया था ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार को उस की परीक्षा की क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) नहीं, श्रीमान्। मध्य प्रदेश में बांस बहुतायत से मिलते हैं।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) राष्ट्रीय समाचारपत्र तथा कागज़ मिलों को जो परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस से यह पता लगता है कि सलाई की लकड़ी तथा बांस का समाचारपत्र का कागज़ व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है।

**मैसूर प्रसारण केन्द्र**

*२०७३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसूर का प्रसारण केन्द्र बंगलौर बदल दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) मैसूर का वर्तमान प्रसारक यंत्र बंगलौर में नहीं लगाया जायेगा । बंगलौर में एक उच्च शक्ति के प्रसारक यंत्र को लगाने का विचार है ।

(ख) उच्च शक्ति का प्रसारक यंत्र यथा सम्भव शीघ्र से शीघ्र लगाया जायेगा । पंच वर्षीय विकास योजना में इसे अधिकतम प्राथमिकता दी गई है ।

**सिंचाई परियोजनाओं के अधीन मलेरिया नियंत्रण**

*२०७४. **श्री मादिया गौडा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय जो बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं उन में से प्रत्येक के अधीन मलेरिया-निरोधक कार्य करने के लिये कितनी राशि व्यय करने का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) क्या यह अलग रखी हुई राशि उन परियोजनाओं से सींचे जाने वाले क्षेत्रों में मलेरिया पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने के लिये पर्याप्त समझी जाती है ?

**योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा )** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र से शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**दामोदर घाटी निगम के लिये संयंत्र तथा उपकरण**

*२०७५. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दामोदर-घाटी निगम के वार्षिक वृत्तान्त के भाग एक के पृष्ठ १ पर निम्न लिखित शब्दों की ओर उन का ध्यान दिलाया गया है :

"उन के (अर्थात् संयन्त्र तथा उपकरण) के लिये उद्योग तथा रसद के महासंचालक के द्वारा जनवरी, १९५१ के आरम्भ में व्यादेश दिये गये थे, किन्तु सम्भरण के लिये आदेश वस्तुतः जून, १९५१ में दिये गये थे । इस विलम्ब का कोणार भार बांध के निर्माण के नियत समय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था" ;

(ख) व्यादेश देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार के विषयों में अधिक शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री ( श्री बुरागोहिन )** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) वृत्तान्त में जो स्थिति बतलाई गई है वह ठीक नहीं है । सम्भरणकर्त्ताओं को व्यादेश देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था । संभरण तथा वितरण के महासंचालक को ४ जनवरी १९५१ को दामोदर घाटी निगम से चार आवश्यक वस्तुओं की सूचियां प्राप्त हुई थीं । क्योंकि निगम के मन्त्रणाकारों के कथनानुसार सम्भरण की व्यवस्था जर्मनी तथा स्विट्ज़रलैण्ड के सम्भरणकर्त्ताओं से की जानी थी अतः ६ जनवरी १९५१ अर्थात् ४८ घंटे के अन्दर ही उन वस्तुसूचियों को आगे भारत भाण्डार विभाग, लन्दन के महासंचालक को भेज दिया गया । निगम द्वारा चुने गये सांथों की वित्तीय स्थिति आदि के सम्बन्ध में जर्मनी तथा स्विट्जरलैण्ड स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा आवश्यक जांच कर लिये जाने के पश्चात् फरवरी और मार्च १९५१ में तीन वस्तुसूचियों की मांग पूरी कर दी गई थी । चौथी वस्तुसूची की एक चीज़ बाद में निकाल दी गई थी । शेष चीज़ों के सम्बन्ध में निगम ने १२ मार्च १९५१ तथा २० मार्च १९५१ को नई वस्तुसूचियें भेज दी थीं । मंत्रणाकारों से पूर्ण विवरण मांगे गये थे और तब जून १९५१ में उन चीजों को सम्भरित कर दिया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**राजस्थान की सामुदायिक परियोजनायें**

*२०७६. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सामुदायिक परियोजनाये कब आरम्भ होने की आशा है ; और

(ख) उन पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

**योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ( श्री नन्दा )** : (क) १ अक्तूबर, १९५२ तक ।

(ख) तीन वर्षों में १५१·६७ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

**राजस्थान और मध्य भारत के लिये प्रसारण केन्द्र**

*२०७७. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार को यह विदित है कि राजस्थान या मध्य भारत में कोई प्रसारण केन्द्र नहीं है; और

(ख) सरकार इस विषय में क्या पग उठा रही है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) आकाशवाणी की पंचवर्षीय विकास योजना के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में प्रसारण केन्द्र खोलने का विचार है।

**राजस्थान में भाकड़ा नहर**

*२०७८. **श्री कर्णी सिंहजी** :
**श्री जयपाल सिंह** :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में भाकड़ा नहर के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) राजस्थान में भाखड़ा नहर पर इंजीनियरिंग के काम पर कितने कर्मचारी लगे हुए हैं ; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार को राजस्थान में भाकड़ा नहर बनाने के लिये भारत सरकार ने कोई ऋण दिया है ?

**योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) राजस्थान में ३१–५–१९५२ तक समाप्त होने वाली अवधि में भाकड़ा परियोजना में कहां तक प्रगति हुई है इसे बतलाने वाली एक टिप्पणी सदन पर पटल रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १५.**]

(ख) भाकड़ा परियोजना में इंजीनियरिंग का काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

| श्रेणी | स्वीकृत संख्या | वस्तुतः नियुक्त कर्मचारी |
|---|---|---|
| १. सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर | १ | १ |
| २. एक्जेक्टिव इंजीनियर | ४ | १ |
| ३. सहायक इंजीनियर | १२ | १२ |
| ४. ओवरसीयर्स | ६० | ३५ |

(ग) हां, श्रीमान्। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को इस प्रयोजन के लिये १९५१–५२ के वित्तीय वर्ष में २० लाख रूपये का ऋण दिया था।

**इस्कपल्ली का नमक का कारखाना**

*२०७९. **श्री नानादास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नेल्लोर जिले में इस्कपल्ली के नमक के कारखाने ने परिमाप संख्या १९५२ की भूमि को छोड़ कर कुल कितनी भूमि घेरी हुई है ; और

(ख) उस का कौन सा क्षेत्र खाद्य की फसलें उगाने के लिये उपयुक्त है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) कोई नहीं। इस्कपल्ली का सारा नमक का कारखाना परिमाप संख्या १०५२ में है जिस का कुल क्षेत्रफल १०६०·३८ एकड़ है जिस में से ४३८·८० एकड़ में यह कारखाना है।

(ख) कोई नहीं।

**मद्रास में कितने क्षेत्रफल में नमक बनता है**

*२०८०. **श्री नानादास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य में कुल कितनी भूमि पर नमक बनता है ;

(ख) कुल कितना क्षेत्र निजी लाइसेंसदारों के अधीन है ;

(ग) कुल कितना क्षेत्र सहकारी संस्थाओं के अधीन है ; और

(घ) ऐसे निजी लाइसेंसदारों की कुल संख्या जिन्हें पचास या पचास एकड़ से अधिक भूमि दी गई है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: (क) लाइसेंस प्राप्त निर्माण क्षेत्र का क्षेत्रफल १८,९३० एकड़ है। बिना लाइसेंस के जिस भूमि में नमक बनता है उस का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है।

(ख) १७,७०५ एकड़।

(ग) १,२२५ एकड़।

(घ) ४३।

**नमक का उत्पादन**

*२०८१. **श्री नानादास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३० जून, १९५२ को समाप्त हुए आधे वर्ष में भारत में नमक का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) मद्रास राज्य के आंध्र जिले में १ जनवरी, १९५२ को नमक का कुल कितना भण्डार था और उन जिलों में ३० जून, १९५२ को समाप्त हुए आधे वर्ष में नमक का कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ग) आन्ध्र के कुल भण्डार में से कितने में ९४ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड था ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: (क) ६०४ लाख मन।

(ख) १ जनवरी १९५२ को आन्ध्र जिलों में नमक के कारखानों में कुल ३५·५ लाख मन नमक था। ३० जून १९५२ को समाप्त हुए आधे वर्ष में उन में कुल उत्पादन ३६ लाख मन का हुआ था।

(ग) यह जानकारी अभी नहीं दी जा सकती क्योंकि सारे नमक के भण्डार का विश्लेषण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

**भारतीय पटसन की वस्तुओं के मूल्य**

*२०८२. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि यूरोप महाद्वीप के लोग अमेरिका को पटसन की वस्तुएं भारत की अपेक्षा कम मूल्य पर देने को तैयार हैं ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो भारतीय व्यापारियों के उन की तुलना में अधिक मूल्य बतलाने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख) भारतीय पटसन मिलों तथा यूरोप की पटसन मिलों में अमेरिका को अपनी वस्तुएं बेचने में परस्पर होड़ लगी हुई है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि किसी एक द्वारा बतलाये हुए मूल्य कभी दूसरे के मूल्यों से कम हों जो कि लागत व्यय, मांग के आकार-प्रकार, अधिक अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा कर सकने के सामर्थ्य तथा इसी प्रकार की अन्य बातों पर निर्भर है।

**तिलैया परियोजना**

*२०८४. **श्री तेलकीकर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत तिलैया परियोजना द्वारा जिन व्यक्तियों के विस्थापित होने की सम्भावना है उन के पुनर्वास के लिये कितने गांव बनाने पड़ेंगे ;

(ख) इन गांवों के निर्माण पर क्या व्यय आयेगा ;

(ग) दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत तिलैया तथा अन्य अर्धजलमग्न क्षेत्रों में कोई कृषियोग्य भूमि भी है ; और

(घ) क्या सरकार ने भूस्वामियों को भूमि देने का विचार किया है अथवा नगदी के रूप में प्रतिकर देने का विचार किया है ?

**योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव जल्दी से जल्दी सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**दक्षिण भारत के लिये संयुक्त नदी परियोजना**

*२०८५. **श्री काचिरोयर** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग की सिंचाई सम्बन्धी प्रौद्योगिक समिति हाल में जब मद्रास गई थी तो दक्षिणी आरकोट जिले के निवासियों ने दक्षिण भारत के लिये संयुक्त नदी परियोजनाओं के सम्बन्ध में उसे जो ज्ञापन प्रस्तुत किया था उस की प्रार्थना को पूरा करने के लिये क्या सरकार ने कोई पग उठाया है और यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

**योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : प्रौद्योगिक समिति का प्रतिवेदन सरकार को मिला नहीं है ।

**भारतीय दूतावासों पर व्यय**

*२०८६. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५१ में विदेशों में भारतीय दूतावासों के व्यय में कोई मितव्ययता की गई है ;

(ख) क्या लन्दनस्थित भूतपूर्व उच्चायुक्त को प्राप्त सभी सुविधायें उस के नये उत्तराधिकारी को भी मिलती रहेंगी या उस में मितव्ययता से काम लिया जायेगा ;

(ग) लन्दन स्थित उच्चायुक्त ने १९५१ में अपनी दवाइयों का व्यय चुकाने के लिये कितने धन की मांग की है ; और

(घ) क्या इस मांग की मंजूरी पर लेखापरीक्षा विभाग की ओर से कोई आपत्ति उठाई गई थी ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) आयव्ययक में मूल्य रूप से जिन मदों के लिये उपबन्ध किया गया था उस में २१,१३,००० रुपये की बचत की गई थी । बाद में नये सिरे से कुछ और निश्चय किये गये थे जिन में और वित्तीय व्यय की सम्भावना थी । इन में भारतीय तथा पाकिस्तानी मुद्राओं के विनिमय की दर के पुनर्निर्धारण तथा विदेशी प्रचार संघटन में कुछ विस्तार के प्रभाव भी सम्मिलित थे । यह अतिरिक्त व्यय ११,०८,१०० रुपये का हुआ था । यह सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय २,६२,२३,१०० रुपये के मूल स्वीकृत अनुदान में से पूरा किया गया था । इतना होने पर भी १९५१-५२ के वित्तीय वर्ष में कुल १०,०४,९०० रुपये की बचत हुई थी ।

(ख) जी हां । अब तक हम ने लन्दनस्थित उच्चायुक्त को जो भत्ते दिये थे वे कुछ अन्य मुख्य दूतावासों के अध्यक्षों को दिये गये भत्तों की तुलना में अधिक थे । अब

ये अन्य दूतावासों के अध्यक्षों के समान कर दिये गये हैं। नये उच्चायुक्त हमारे अलग दूतावास के भवन में रहते हैं जिस से उन्हें कुछ अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। हम ने अपने सभी दूतावासों के अध्यक्षों को यह अनुदेश दिये हुए हैं कि वे अपने उच्च पद के उत्तरदायित्व को सम्मानपूर्वक निभायें, किन्तु कोई अतिव्यय या आडम्बर न करें।

(ग) तथा (घ). लन्दनस्थित उच्चायुक्त ने १९५१ में अपनी दवाई का व्यय चुकाने के लिये कोई धनराशि नहीं मांगी थी।

**राजस्थान में विस्थापित परिवार**

*२०८७. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान और विशेष रूप से बीकानेर डिवीज़न में कितने विस्थापित परिवार फिर से बसाये गये हैं ;

(ख) राजस्थान तथा विशेष रूप से बीकानेर में विस्थापित व्यक्तियों के लिये घर तथा दूकानें बनवाने के लिये ऋण के रूप में देने को चालू वर्ष में कितनी धन राशि मंजर की गई है ;

(ग) राजस्थान में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये १९५१-५२ तक कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है ; और

(घ) राजस्थान और विशेष रूप से बीकानेर डिवीज़न में कितने परिवार अपने लिये सरकारी सहायता से मकान बनवा सके हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) लगभग ६२,००० परिवार राजस्थान में बसाये गये हैं। इन में से ४७,००० भूमि पर बसाये गये हैं, जिन में १६,००० बीकानेर के भी सम्मिलित हैं। इन में जो नगरीय क्षेत्रों में बसाये गये हैं उन में से लगभग १०,००० को सरकार से ऋण मिल चुके हैं और उन में से ८०० बीकानेर के हैं।

(ख) यह विचार है कि राजस्थान सरकार को १९५२-५३ में विस्थापित व्यक्तियों के लिये घर बनाने की योजना पर ३८ लाख रुपये तक व्यय करने की अनुमति दे दी जाये।

(ग) १७३·२१ लाख रुपये।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

**नियंत्रित कपड़े का वितरण**

*२०८८. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अनुज्ञप्तिप्राप्त व्यापारियों के द्वारा नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिये अनुदेशों के रूप में कोई निश्चित योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह क्या है ;

(ग) क्या यह सभी राज्यों के प्रशासनों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है ;

(घ) क्या राज्य सरकारें इन नवीनतम अनुदेशों को लागू कर रही हैं ; और

(ङ) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी इन अनुदेशों को लागू कर दिया है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से कपड़े का व्यापार करने के लिये खुले रूप से अनुज्ञप्तियां देने के लिये कहा गया है।

(ग) यदि किसी विशेष राज्य में इनके प्रतिकूल कोई सुदृढ़ कारण न हों तो ये अनिवार्य रूप से लागू होते हैं।

(घ) अधिकांश राज्य सरकारों ने ये अनुदेश लागू कर दिये हैं।

(ङ) हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कतिपय प्रतिबन्ध लगा दिये हैं और इस विषय में उस सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

**कुछ शेष नहीं के प्रमाणपत्रों को देना**

*२०८९. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर :** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्ति को प्राय: जो "कुछ शेष नहीं के प्रमाणपत्र" लेने पड़ते हैं वे कुछेक मामलों में सम्पदा कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा छै छै मास से भी अधिक समय तक जारी नहीं किये जाते ;

(ख) ऐसी कौन-सी परिस्थितियां हैं जिन के कारण कि इस प्रकार के प्रमाणपत्र इतनी देर तक जारी नहीं किये जाते ; और

(ग) कितने मामलों में और किन परिस्थितियों में इन "कुछ शेष नहीं के प्रमाण-पत्रों" को जारी करने में दो मास से अधिक देर हुई है ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) :** (क) श्रीमान्, सम्भव है कि कुछ एक असाधारण मामलों में ये प्रमाण-पत्र जारी करने में इतना समय लग गया हो।

(ख) "कुछ शेष नहीं का प्रमाणपत्र" सम्बद्ध व्यक्ति को जब से सरकारीम कान मिला है उस सारी अवधि के उस के लेखे की जांच करके और इस बात की पुष्टि करके कि उसे मकान में जो सुविधायें दी गई थीं वे सब उस ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को लौटा दी हैं और उस से प्राप्य धन राशि ले कर ही दिया जाता है। इस में स्वाभाविकतया कुछ समय लगता है, किन्तु सरकारी नौकरों को "कुछ शेष नहीं के प्रमाण-पत्रों" के जारी करने में होने वाले विलम्ब से जो कठिनाइयां होती हैं उन से बचने के लिये गत फरवरी में यह निश्चय किया गया था कि सम्बद्ध सरकारी नौकरों के देय धन को रोकना नहीं चाहिये यदि सम्बद्ध व्यक्ति और किसी स्थायी सरकारी नौकर से कोई प्रतिभू बन्धपत्र दिलवा दे तो सम्बद्ध कार्यालय "कुछ शेष नहीं के प्रमाणपत्र " के बिना भी आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

(ग) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**भट्टी का तेल**

*२०९०. **डा० अमीन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जनवरी १९५२ से भट्टी के तेल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के फलस्वरुप भट्टी के तेल को ईन्धन के रूप में प्रयोग करने वाले कांच के उद्योग को बड़ी हानि पहुंची है ;

(ख) क्या सरकार को इस विषय में इस उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) भट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन व्यय निश्चय ही बढ़ गया है, किन्तु सरकार यह नहीं समझती कि इस से उद्योग को बहुत अधिक हानि पहुंची है।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**विन्ध्य प्रदेश में पुनर्वास**

*२०९१. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विन्ध्य प्रदेश में स्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर भारत सरकार द्वारा मार्च, १९५२ तक व्यय की गयी धनराशि ; तथा

(ख) उन को उद्योग चलाने के लिये ऋण के रूप में मार्च, १९५२ तक कितनी धनराशि दी गई ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) २३,८७ लाख रुपये ।

(ख) उद्योगों के लिये विशेष रूप से कोई राशि अलग नहीं रखी गई थी । तथापि, भारत सरकार ने जो धनराशि मंजूर की थी, राज्य सरकार ने उस में से १.२१ लाख रुपये विन्ध्य प्रदेश में उयोगों को चलाने के लिये दे दिये थे । पुनर्वास वित्त प्रशासन ने इसी प्रयोजन के लिये अलग से १७,००० रुपये दिये थे ।

**अभिधमन (ब्लास्ट) भट्टी**

*२०९२. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार भारत में एक अभिधमन (ब्लास्ट) भट्टी बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब और कहां पर आरम्भ की जायेगी ; और

(ग) उन विदेशी सार्थों के नाम क्या हैं जो इस उद्योग में सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) जी हां ।

(ख) इन बातों के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) क्योंकि बातचीत अभी चल रही है, इसलिये इस समय इस का विस्तृत विवरण बतलाना लोक हित में उचित नहीं है ।

**संसद् सदस्यों के लिये लेखन सामग्री**

*२०९३. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) संसद् सदस्यों के लिये पत्रसंचिकायें छापने के लिये जो कागज़ प्रयोग में लाया जाता है उस का प्रति रिम मूल्य क्या है ;

(ख) इस प्रकार प्रयोग किये जाने वाले कागज़ का आकार क्या होता है और इस प्रकार के एक पन्ने में से कितने पत्रों के कागज़ बनाये जाते हैं; और

(ग) पत्र के सिरे पर सरकारी चिन्ह छापने पर क्या लागत आती है और पत्रों के ५० तथा १०० कागज़ों के लिये सदस्यों से कितना मूल्य लिया जाता है ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) :** (क) ३२ रुपये ९ आने १.५ पाई प्रति रिम ।

(ख) इस के लिये प्रयोग किये जाने वाले कागज़ के पन्ने का आकार १८" × २१" होता है और इस में से विभिन्न आकार के जो पत्रों के कागज़ बनाये जाते हैं उन में से प्रत्येक पन्ने का आकार इस प्रकार होता है--

| | | कागज़ों की संख्या |
|---|---|---|
| (१) | डी० ओ० लिखने का कागज़ | ४½" ७" १२ |
| (२) | डी० ओ० लिखने का कागज़ | ८"X ५" ८ |
| (३) | डी० ओ० लिखने का कागज़ | ९"X ७" ६ |
| (४) | डी० ओ० लिखने का कागज़ | १०"X ८" ४ |
| (५) | डी० ओ० लिखने का कागज़ | १३"X ८" ३ |

(ग) पत्रों के सिरे पर राज्य चिन्ह छापने की लागत निम्न आती है——

| | रु० आ० पा० |
|---|---|
| (१) रंगीन छापने की प्रति हजार | ३२ १५ ० |
| (२) सादा छापने की प्रति हजार | २७ १४ ६ |

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित भिन्न भिन्न आकार के १०० पत्रों के लिये संसद् सदस्यों से निम्नलिखित मूल्य लिया जाता है :

| | रंगीन छपा हुआ | सादा छपा हुआ |
|---|---|---|
| (१) | ४रु० ७आ० ०पा० | ३रु० १४आ० ०पा० |
| (२) | ४रु० १२आ० ०पा० | ४रु० ३आ० ०पा० |
| (३) | ५रु० १आ० ०पा० | ४रु० ८आ० ०पा० |
| (४) | ५रु० ११आ० ०पा० | ५रु० २आ० ०पा० |
| (५) | ६रु० ५आ० ०पा० | ५रु० १२आ० ०पा० |

५० पत्रों की दरें ऊपर दी हुई १०० पत्रों की दरों की आधी होती हैं ।

### हिमालय की यात्रा

*२०९४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस ग्रीष्म ऋतु में कितने विदेशी यात्री दलों ने हिमालय की भिन्न भिन्न चोटियों पर चढ़ने अथवा हिमालय के प्रदेश में वैज्ञानिक खोज करने का प्रयत्न किया और वे किन किन देशों से आये थे;

(ख) उन के उद्देश्य क्या थे और उन्हें इन की प्राप्ति में कहां तक सफलता मिली;

(ग) क्या इन यात्री दलों को किसी प्रकार की सहायता दी गई थी और यदि हां, तो किस हद तक ;

(घ) क्या किसी भारतीय दल ने भी उस क्षेत्र में इसी प्रकार की यात्रा की थी और यदि हां, तो उस का क्या फल हुआ था; और

(ङ) क्या सरकार ने उन की किसी प्रकार से सहायता की थी ?

**प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). इस ग्रीष्म ऋतु में नेपाल को दो यात्री दल गये थे, एक स्विस और दूसरा ब्रिटिश, एक ब्रिटिश यात्री दल वानस्पतिक खोज के लिये नेपाल गया था; तीन यात्री दल, एक ब्रिटिश, एक फ़्रैन्च और एक इटैलियन गंगोत्री के प्रदेश में गये थे ।

इन यात्री दलों की प्रगति के बारे में सरकार के पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं हैं; हां, इतना अवश्य ज्ञात है कि कोई दल गौरीशंकर (एवरेस्ट) पर नहीं चढ़ सका है और फ़्रैन्च यात्री दल केवल चौखम्बा की चोटी तक चढ़ सका था ।

(ग) यात्री दलों को सज्जा संभार के आयात पर सीमा शुल्क न देने की छूट दी गई थी, किन्तु शर्त यह थी कि उन वस्तुओं का एक निश्चित अवधि के अन्दर ही भारत से पुनर्निर्यात कर दिया जाये ।

(घ) समाचारपत्रों के समाचार के अनुसार एक भारतीय दल ने पंचचूली की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न किया था, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली ।

(ङ) सरकारी सहायता के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई थी ।

### उड़ीसा में सामुदायिक परियोजनाओं के क्षेत्र

*२०९५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये उपयुक्त क्षेत्रों की सिफारिश करने को कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने किन क्षेत्रों की सिफारिश की थी और ये सिफारिशें कब की गई थीं ?

**योजना व सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) एक सूची पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १६**]

**चाय के बाग़ों में काम करने वाली स्त्रियां**

*२०९६. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल तथा आसाम के औद्योगिक न्यायाधिकरण इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि आसाम के चाय बागों में काम करने वाली स्त्रियां केवल अपने पतियों की सहायकमात्र हैं और उन्हें उन के पतियों के साथ ही निकाल देना चाहिये ; और

(ख) इस परिभाषा में कितनी काम करने वाली स्त्रियां आती हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** : (क) पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । आसाम में दो चाय के बागों में चार काम करने वाली स्त्रियों की सेवाओं को उनके पतियों के साथ उन के अत्यधिक दुर्व्यवहार के कारण नौकरी से अलग कर दिये जाने पर समाप्त कर दिया गया था । बाग की सीमा के अन्दर स्थित क्वार्टरों में नौकरी से अलग किये हुए नौकरों की अपने घरों में उपस्थिति को बाग की शान्ति, व्यवस्था और अनुशासन के लिये हानिकारक समझा गया था और उन के आश्रित उन की पत्नियों तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी उन के साथ ही बाग से जाना पड़ा । जिस औद्योगिक न्यायाधिकरण ने उक्त मामलों को निबटाया था उस ने यह निर्णय किया था कि उन परिस्थितियों में उन काम करने वाली स्त्रियों को नौकरी से अलग करना न्यायसंगत था । उन्होंने अपने निर्णय में यह लिखा था :

> "किसी चाय के बाग के कर्मचारी की पत्नी या बच्चे वस्तुत: कम्पनी के नौकर नहीं हो जाते । जब उन कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया जाता है तो वे अपनी पत्नियों तथा अन्य आश्रितों के साथ जिन की कि अपनी कोई अलग सत्ता नहीं होती चले जाते हैं. . ."

तथापि, सरकार यह समझती है कि इस में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उलझा हुआ है जिस की आगे और परीक्षा करने की आवश्यकता है; निम्नलिखित खण्ड (ख) के अधीन जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा किया जायेगा ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**डीज़ल इंजिन**

*२०९७. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि डीज़ल इंजिनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और यदि हां, तो क्यों ; और

(ख) प्रति वर्ष औसत कितने इंजनों का आयात करने दिया जाता है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) १९५२ के उत्तरार्ध के लिये आयात की नीति विचाराधीन है ।

(ख) डीज़ल इंजिनों के लिये अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । गत २ वर्षों में सभी प्रकार के तेल इंजिनों का निम्नलिखित आयात हुआ था :

| | |
|---|---|
| १९५०–५१ | ३६,००३ |
| १९५१–५२ | ७२,४३३ |

**श्रम कल्याण के लिये केन्द्रीय चाय बोर्ड का अंशदान**

*२०९८. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय चाय बोर्ड ने गत वर्ष या उससे पहिले वर्ष श्रम कल्याण के लिये कोई राशि अंशदान के रूप में दी थी ;

(ख) यदि दी थी, तो वह कितनी थी; और

(ग) क्या वह अंशदान इस वर्ष बन्द कर दिया गया है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). केन्द्रीय चाय बोर्ड १९५०–५१ में अर्थात् १ अक्तूबर १९५० से ३० सितम्बर, १९५१ तक श्रम कल्याण के लिये ४ लाख रुपये दिये थे।

(ग) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया हैं।

**ब्रिटेन में निगमित सार्थ**

*२०९९. **श्री पटेरिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि ब्रिटेन में निगमित बहुत से सार्थ जो कि कलकत्ते में कार्य करते हैं बंगाल व्यापार मण्डल द्वारा नियंत्रित हैं ;

(ख) क्या सरकार ने भूतकाल में ऐसा कोई आश्वासन दिया था कि इन सार्थों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा और अन्य भारतीय सार्थों के समान एक जैसा बर्ताव किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि १९५० के बाद से ये सार्थ अधिकाधिक ब्रिटिश लोगों को बड़े बड़े पदों पर काम पर लगा रहे हैं और इस प्रकार इन सार्थों में बड़े बड़े पदों पर भारतीयों के लिये उन्नति का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार ने इन सार्थों में आगे और विदेशियों की भर्त्ती को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की ; और

(ङ) इन सार्थों में निम्न बातों के विषय में कर्मचारियों की क्या शर्तें हैं ;

(१) एक ही श्रेणी में काम करने वाले भारतीयों तथा ब्रिटेनवासियों को किस दर से वेतन दिये जाते हैं और क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं; और

(२) दोनों को प्रशिक्षण की क्या सुविधायें मिली हुई हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) सरकार को यह विदित है कि बहुत से विदेशी सार्थ कलकत्ते में कार्य कर रहे हैं किन्तु उस के पास उन की ठीक ठीक संख्या तथा उन के बंगाल व्यापार मण्डल द्वारा नियंत्रित होने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिये गये हैं, किन्तु सामान्यतया हमारी यह नीति है कि इस देश में कार्य करने वाले सभी सार्थों के साथ समान बरताव किया जाये।

(ग) तथा (घ). सरकार ने कई सूत्रों से यह बात सुनी है। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(ङ) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

**सफ़ेद काग़ज़**

*२१००. **श्री पटेरिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सफेद काग़ज़ तैयार करने वाली विभिन्न मिलों के नाम, उन का प्रति वर्ष विशेष रूप से १९५१-५२ में वार्षिक उत्पादन ;

(ख) देश को प्रति वर्ष लगभग कितने सफेद कागज़ की आवश्यकता होती है;

(ग) सरकार ने सफेद कागज़ का वार्षिक उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन से पग उठाये हैं; और

(घ) १९५१–५२ में भारत में कितने सफेद कागज़ का आयात किया गया और किन किन देशों से इस का आयात किया गया ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य छापने और लिखने के कागज़ की ओर निर्देश कर रहे हैं । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ख) १,००,००० टन के आस पास मांग होने की सम्भावना है ।

(ग) सरकार निर्माण सामग्री प्राप्त करान, नई मिलें स्थापित करने तथा वर्तमान इकाइयों को बढ़ाने के लिये उद्योग को मशीनरी आदि के आयात के लिये आयात अनुज्ञप्तियां देने के रूप में सहायता देती है ।

(घ) १२,०९८ टन, मुख्यतया ब्रिटेन, कैनेडा, फिनलैण्ड, स्वीडन, नार्वे, आस्ट्रिया, जापान और सयुक्त राज्य अमेरिका ।

**पाठशाला जाने की आयु के विस्थापित बच्चे**

*२१०१. **श्री पटेरिया**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत की विभिन्न विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में छः से बारह वर्ष तक की आयु के अर्थात् पाठशाला जाने की आयु के बच्चों की संख्या कितनी है;

(ख) बस्तियों की पाठशालाओं में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं;

(ग) कितनी बस्तियों में अभी तक पाठशालायें नहीं बनी हैं; और

(घ) सरकार ने बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये क्या पग उठाये हैं और कितने समय में ये प्रस्ताव क्रियान्वित किये जायेंगे ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) से (घ). इस जानकारी को एकत्रित करने में जितना श्रम और धन लगेगा वह फल के अनुरूप नहीं होगा ।

**सहकारी-कृषि**

*२१०२. **श्री दिगम्बर सिंह**: **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किन कारणों से सरकार को भरोसा हो गया है कि किसान सहकारी-कृषि करने को तैयार हो जायेंगे ;

(ख) क्या किसानों से सम्पर्क करके ऐसी कोई सूचना प्राप्त की गई है ;

(ग) क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है जिस के द्वारा किसानों को, कुछ सीमा तक, सहकारी-कृषि अपनाने के लिये विवश किया जायेगा ?

**योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) यह विश्वास किया जाता है कि भूमि के टुकड़े टुकड़े कर देने से तथा उस के निरन्तर भाग उपभाग करते जाने से जो आर्थिक हानि होती है उसे ज्यों ज्यों लोग अनुभव करने लगेंगे त्यों त्यों किसानों में किसी प्रकार की सहकारी-कृषि को अपनाने की भावना बढ़ती जायेगी।

(ख) कई प्रतिनिधि सम्मेलनों में प्रकट की गई सम्मतियों के आधार पर यह विचार बनाया गया है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

**त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति**

*५३०. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) त्रिपुरा में कितने विस्थापित व्यक्ति हैं:

(ख) उन में से कितनों को पुनः वसाया जा चुका है ; और

(ग) उन व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं जिन्हें कि त्रिपुरा की सरकार ने अन्य व्यक्तियों की भूमि दे दी थी और जिन्हें अब इस प्रकार की भूमि खाली करने के लिये कहा गया है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) १,०१,२०१ ।

(ख) कोई उचित आर्थिक पर्यालोकन किये बिना यह बतलाना सम्भव नहीं है कि व्यक्तियों या गुटों को कितने अंश तक आर्थिक दृष्टि से पुनः बसाया जा जुका है ।

(ग) कभी किसी विस्थापित व्यक्ति को किन्हीं अन्य व्यक्तियों की भूमि नहीं दी गई है ।

**त्रिपुरा में सेवायोजनालय**

५३१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई सेवायोजनालय है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार का वहां एक खोलने का विचार है ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** : (क) नहीं ; श्रीमान् ।

(ख) निकट भविष्य में नहीं ।

**नेल्लौर की अभ्रक की खानों के मजदूर**

५३२. **श्री नानादास** : : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नेल्लौर ज़िले की अभ्रक की खानों तथा कारखानों (अभ्रक उद्योग) में १९४७, १९४८, १९४९, १९५०, १९५१, तथा १९५२ में कुल कितने मज़दूर काम पर लगे हुए थे ;

(ख) जून, १९५१ के महीने में कुल कितने मज़दूर काम पर लगे हुए थे ; और

(ग) जून, १९५२ में कितने मज़दूर काम पर लगे हुए थे ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)**: (क) से (ग) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

**बिहार की कोयला खानों के मज़दूर**

५३३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में, बिहार की कोयले की खानों में निम्न वर्ग के मज़दूरों की संख्या क्या थी ;

(१) स्त्रियां ;

(२) गर्भवती स्त्रियां ;

(३) दूध पिलाने वाली मातायें; और

(४) पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बच्चे ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** : (१) लगभग ३४,६०४ ।

(२) सन् १९५१ में ३,४८६ स्त्रियों ने खान प्रसूति लाभ अधिनियम, १९४१ के अधीन यह सूचना दी थी कि उन्हें सूचना की तिथि से एक मास के अन्दर बच्चा होने की आशा है । सम्भवतः कुछ गर्भवती स्त्रियों ने इस कारण सूचना न दी हो क्योंकि उन्हें प्रसूति लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं था; यह लाभ केवल उस स्त्री को प्राप्त होता है जिस ने कि किसी एक खान या एक ही स्वामी की कई खानों में बच्चा जनने से पूर्व कम से कम छै मास तक नौकरी की हो और यदि इस अवधि में वह बिना अनुज्ञा के २६ दिन से अधिक अनुपस्थित न रही हो ।

(३) मुझे खेद है कि यह सूचना उपलब्ध नहीं है । यद्यपि मुझे इस में सन्देह नहीं है कि श्रेणी (२) की बहुत सी स्त्रियां उस वर्ष बाद में इस श्रेणी में आ गई होंगी ।

(४) खान अधिनियम के अनुसार १५ वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना मना है ।

**कृषि सम्बन्धी दावों के लिये दावा आयुक्त**

५३४. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय के दावा संघटन में कृषि सम्बन्धी दावों के लिये कोई दावा आयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि सम्बन्धी दावों के लिये उस की क्या अर्हतायें हैं और भूमि सम्बन्धी कार्य का उसे क्या अनुभव है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** (क) कृषि सम्बन्धी भूमि के दावों की पड़ताल के लिये दो दावा आयुक्त हैं ।

(ख) एक विवरण, जिस में उनकी अर्हतायें दी हुई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १८**]

**नेल्लोर की अभ्रक की खानों में दुर्घटनायें**

५३५. **श्री नानादास:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि मद्रास राज्य के नेल्लौर जिले की अभ्रक की खानों में १९४८ से १९५२ तक जितनी दुर्घटनायें हुई हैं लगभग वे सब की सब विस्फोटकों के गलत छूटने के फलस्वरूप हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी घटनायें हुई थीं ;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने मनुष्यों की जीवन हानि हुई ; और

(घ) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि):** (क) तथा (ख). नेल्लौर जिले की अभ्रक की खानों में १९४८ से जुलाई १९५२ तक जो ग्यारह घातक दुर्घटनायें हुईं उन में से सात विस्फोटकों के कारण हुई थीं ।

(ग) दस ।

(घ) गलत छूटे हुए गोली के छिद्रों में छेद करके किस प्रकार दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है इस सम्बन्ध में सभी खानों के प्रबन्धकों को अनुदेश दे दिये गये हैं । भारतीय खान अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये २४-५-५० से नेल्लौर में खानों का एक कनिष्ठ निरीक्षक नियुक्त कर दिया गया है । उस ने १९५० में विस्फोटकारियों तथा खानों के अधीक्षक कर्मचारियों के लिये कक्षाओं की व्यवस्था की थी । उस के बाद से उस क्षेत्र में नियुक्त बहुत से विस्फोटकारियों की कनिष्ठ निरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा ली जा चुकी है और उन्हें यह दिखाने के लिये प्रमाणपत्र दिये जा चुके हैं कि वे खानों में विस्फोटकों के प्रयोग के लिये अर्ह हैं । धात्वीय खानों के लिये जो संशोधित विनियम बनाये गये हैं उन में विस्फोटकारियों की परीक्षा लेने तथा उन्हें प्रमाणपत्र देने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है । ये विनियम अब सरकार के विचाराधीन हैं । प्रबन्धकों से यह प्रार्थना भी की गई है कि वे सभी गोली चलाने वालों की नियुक्तियों की सूचना दे दें और केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करें जिन्हें कि योग्यता के प्रमाण पत्र मिले हुए हैं ।

**अभ्रक की खानों में जैक हथौड़े**

५३६. **श्री नानादास:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) नेल्लौर जिले की सभी अभ्रक की खानों में कुल कितने जैक हथौड़े काम में लाये जाते हैं; और

(ख) खान उद्योग में इन जैक हथौड़ों का प्रयोग आरम्भ होने के पश्चात् से इन्हें चलाने वालों के साथ कितनी दुर्घटनायें हुई ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि):** (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन**

५३७. **श्री वीरस्वामी:** सूचना तथा प्रसारण मंत्री उन समाचारपत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन्हें भारत सरकार विज्ञापन देती है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** माननीय सदस्य का ध्यान ९ अगस्त १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न खख्या ८७ के भाग (क) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

बृहस्पतिवार,
२४ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

पहला सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

3491-3578

# संसदीय वाद विवाद

## (भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

## शासकीय वृत्तान्त





# लोक सभा

## बृहस्पतिवार २४ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९.१५ म० पू०

## काश्मीर के सम्बन्ध में वक्तव्य

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान् जम्मू तथा काश्मीर राज्य से सम्बन्धित मामलों के बारे में आप ने जो मूझे एक वक्तव्य देने का अवसर दिया उसके लिये मैं आप का आभारी हूं। इन मामलों में न केवल इस सदन को अपितु बाहर जनता को भी दिलचस्पी है तथा इसलिये श्रीमान् मैं आपकी अनुमति से इस सदन का थोड़ा सा समय लेकर न केवल वर्तमान स्थिति का वर्णन करुंगा अपितु इसकी पृष्ठभूमि पर भी कुछ प्रकाश डालूंगा क्योंकि हम प्रायः गई गुजरी बातों को भूल भी जाते हैं। जब तक हम उस पुरानी स्थिति को याद न करेंगे तब तक हमारे लिये वर्तमान स्थिति को समझना कुछ कठिन होगा।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य बहुत से वर्षों तक उन लोगों के लिये एक मनभावना विहार स्थल था जिनके पास ऐसे विहार के साधन थे यद्यपि वहां की जनता गरीब थी फिर भी यह विश्व का प्रसिद्ध विहार स्थल बाहर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। यह काश्मीर जो कई वर्ष तक राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा रहा एक दम वर्तमान इतिहास के भवर में आ फंसा तथा उस समय वहां कई बातें—अच्छी तथा बुरी—हुई और स्वभावतः लोगों का ध्यान भी उस ओर गया। अब यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला बन गया। हमारे लिये इसका महत्व इस से भी कुछ ज्यादा है क्योंकि हमारे तथा काश्मीर के आपसी सम्बंध न केवल पिछले एक हजार वर्षों से चले आ रहे हैं अपितु हाल ही की घटनाओं के कारण भी हम एक दूसरे के बिलकुल निकट आ गए हैं इसलिये मैं इसकी पृष्ठभूमि पर भी कुछ प्रकाश डालता हूं।

भूगोल की दृष्टि से सदन यदि इस पर ध्यान देगा तो इसे मालूम होगा कि काश्मीर भारत के दक्षिणी कोण अर्थात कन्याकुमारी से दो हज़ार मील से भी अधिक दूर है। काश्मीर समुद्र से भी लगभग एक हज़ार मील दूर है। भारत का एक भाग होते हुये भी यह भौगोलिक दृष्टि से एशिया के मध्य में स्थिति है। युगयुगान्तर से भारत के बड़े

[श्री जवाहर लालनेहरू]

बड़े कारवां इस राज्य से होते हुये मध्य एशिया को गए हैं। यह मूलतः भारत के साथ निकटतमरूप से सम्बद्ध है तथा गत दो हज़ार वर्षों से ऐसे चला आया है, विशेषकर राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। यह कई तरह से मध्य एशिया से भी मिला हुआ है। कितने लोग आज भी यह जानते हैं कि काश्मीर तिब्बत से भी आगे उत्तर दिशा में स्थित है तो हमें इस मामले के अन्य पहलुओं को एक तरफ रख के विशेष भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से इस पर विचार करना होगा।

तो जैसे कि मैंने निवेदन किया काश्मीर को इतिहास रूपी जल की तेज धार में डाल दिया गया। यह धार विश्व के अन्य भागों में बड़ी तेज़ी से बह रही है और कहीं कहीं उग्र रूप धारण कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व में हम सब लोग अथवा अधिकांश लोग शान्ति रूपी एक पतली दीवार के सहारे बैठे हैं जिसके गिर जाने का किसी भी समय खतरा हो सकता है। तथा यह कभी कभी गिर भी जाती है। आज प्रातः के समाचारों से माननीय सदस्यों को मालूम हुआ होगा कि पश्चिमी एशिया के राज्यों में क्या हो रहा है, आकस्मिक राज विप्लव तथा अन्य बातें। शायद हम इस सम्बन्ध में यहां भारत में कुछ कुछ भाग्य शाली हैं क्योंकि बहुत सी बातों के बावजूद जिनकी कि कुछ माननीय सदस्य हम से शिकायत करें अथवा अपना विरोध प्रकट करें, यह बात मान ली गई है कि हमारी शासन-व्यवस्था में अथवा देश के मामलों में कुछ स्थिरता आ गई है तथा देश बिना किसी दरार के निरंतर प्रगति की ओर जा रहा है यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है। परन्तु आज के संसार में कोई भी व्यक्ति शान्ति की इस दीवार में दरार पड़ने की बात को भूल नहीं सकता है। इसी पृष्ठ-भूमि को हमें याद रखना होगा।

अन्य भूत-पूर्व भारतीय राज्यों की तरह जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भी जनता सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष करती रही तथा इसकी प्रेरणा उन्हों ने भारत के महान राष्ट्रवादी आन्दोलन से ली। वास्तव में वह उस महान आन्दोलन की शाखायें थीं तथा उनके सिद्धान्त तथा उद्देश्य भी इसी भारी आन्दोलन से तथा इसके महान नेता महात्मा गांधी से ग्रहण किये गए थे। गत बीस अथवा तीस वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों में जो भी आन्दोलन चल रहे थे उन में से जम्मू तथा काश्मीर राज्य की जनता का आन्दोलन सब से अधिक शक्तिशाली तथा संगठित था। इस की राज्य सरकार के साथ कई टक्करें हुईं जैसे कि अन्य राज्यों में भी हुई। इस आन्दोलन का निकटतम सम्बन्ध अखिल-भारत स्टेट पीपल्ज़ कान्फ्रेन्स से था। इस तरह से यह भारत के उस संयुक्त आन्दोलन का अंग बना जिसका देश के सभी राज्यों पर प्रभाव पड़ा। यही इसकी पृष्ठभूमि है।

भारत के अन्य राज्यों की तरह वहां भी इन वर्षों में राज्य प्रशासन तथा जनता में झगड़े हुये तथा वहां की लोक-प्रिय संस्था को भारी कष्ट तथा मुसीबतें झेलनी पड़ी। उन दिनों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परन्तु मैं कुछ हाल ही की बातों का उल्लेख करूंगा।

स्वतंत्रता तथा विभाजन के समय अथवा उस से कुछ पूर्व हमारे सामने छः सौ भारतीय राज्यों की विकट समस्या पेश आई। यह एक भयंकर समस्या थी तथा हमें इसे अत्यन्त ही शीघ्रता से हल करना था। ब्रिटिश सरकार की घोषणा में—जो कि मेरे विचार में जून १९४७ के शुरू में की गई थी—इन राज्यों के बारे में

स्थिति अस्पष्ट थी। हमें ब्रिटिश सरकार की घोषणा का यह भाग पसंद न आया क्योंकि इस से एक तरह से इन राज्यों में फूट की भावना को प्रोत्साहन मिला। इन राज्यों में कुछ लोग—मैं राजे महाराजों की बात कर रहा हूं—यह समझने लगे कि वह अधिकांश रूप से अपने कार्यकलाप में स्वतंत्र होंगे।

जुलाई तथा अगस्त १९४७ के महीनों में हमें इस भारी समस्या का सामना करना पड़ा। सौभाग्यवश उन दिनों सरदार पटेल जीवित थे, वह इसे हल करने में सामर्थ्यवान थे। तो क्या हुआ, स्वतंत्रता से पहले के उन दो तीन सप्ताहों में कुछेक राज्यों को छोड़ के—हैदराबाद, काश्मीर तथा दो एक छोटे मोटे राज्यों को छोड़ के—सभी के सभी राज्य भारतीय संघ में शामिल हुये। जैसे कि सदन को मालूम है, हैदराबाद का मामला एक विशेष प्रकार का था। काश्मीर का मामला चल रहा है। शेष कुछेक राज्य जो रह गए थे वह कुछ ज्यादा महत्व के नहीं थे। इस कार्य में हमें तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लार्ड माऊंटबेटन ने काफी सहायता दी। इसका बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि इन राज्यों के शासकों को इस बात का निश्चय हुआ कि वह भारत के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की सहायता पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इस तरह से उन्हें भारत की स्वतंत्रता का—जिसका कि उन्हें काफी भय था—सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी जनता का सामना करना पड़ा क्योंकि वह असन्तुष्ट थी तथा परिवर्तन चाहती थी। और जब उनके अन्तिम आश्रय, ब्रिटिश सरकार, ने भी उन्हें सहायता देने से इन्कार किया तो उनके पास चारा नहीं रहा और वह तुरन्त भारतीय संघ में शामिल होने लगे। उन्हों ने अपने तीन विषय अर्थात रक्षा, वैदेशिक मामले तथा संचरण व्यवस्था संघ सरकार के हाथ सौंप दिए। सभी राज्यों ने ऐसा किया। तो १५ अगस्त १९४७ को भारतीय उपनिवेश ने हैदराबाद, काश्मीर तथा दो एक छोटे राज्यों को छोड़ के शेष सभी राज्यों सहित काम करना शुरू किया।

काश्मीर के बारे में प्रश्न १५ अगस्त से भी पहले, जुलाई में हमारे सामने अनौपचारिक रूप में आया। हम ने उस समय जो सलाह दी वह यह थी कि कई कारणों से काश्मीर की स्थिति विशेष प्रकार की थी। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी भारत सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट रूप से घोषित की थी—राज्य मंत्री सरदार पटेल ने इसकी घोषणा की थी—कि जहां कहीं जनमत के बारे में संदेह हो वहां जनता से राय ली जाये। सामान्यतः इस में कोई संदेह नहीं था कि यह राज्य भारतीय संघ का अंग बनना चाहते हैं—इनके सम्बन्ध में राय लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था—परन्तु जहां कहीं संदेह था हम ने घोषणा की कि हम वहां के लोगों से राय पूछेंगे और जो उनका निश्चय होगा उसे स्वीकार करेंगे। वह नीति तथा वह सिद्धान्त भारत के सभी राज्यों के लिये था। परन्तु ऐसा कोई मामला ही नहीं था जहां यह प्रश्न उठता, यह एक अलग बात है। तो जिस समय काश्मीर का प्रश्न हमारे सामन अनौपचारिक रूप से आया, हम ने महाराजा की सरकार को तथा वहां की लोकप्रिय संस्था, नैशनल कान्फ्रेंस को जिनके साथ हमारे कुछ सम्पर्क पहले ही थे यह सलाह दी कि काश्मीर का

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

मामला एक विशेष मामला है तथा जल्द-बाजी से काम करना अच्छा नहीं होगा। हमने जो जनता से राय लेने का सिद्धान्त निर्धारित किया था वह विशेषकर काश्मीर पर लागू होता था। यह देश के विभाजन से पहले की बात है जब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी। हम ने यह बात स्पष्ट कर दी कि यदि वहां का महाराजा तथा उसकी सरकार भारत में प्रवेश करना भी चाहे, तो हम उस से भी बढ़ कर कोई और चीज चाहेंगे, और वह था जनता का अनुमोदन। हम चालबाजी से कोई कागजी फायदा नहीं चाहते थे, हम जनता के हृदय को मोह लेना चाहते थे, तथा वास्तविक हार्दिक मेल चाहते थे। वास्तव में इसकी नींव बहुत पहले डाल दी गई थी, तथा यह नींव किसी वैधानिक अथवा संवैधानिक दस्तावेज से अधिक चिरस्थायी हो सकती है। नींव हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनों की थी, जो जहां तहां चल रहे थे, जिन में हम ने संगठित रूप से काम किया है तथा पीड़ा उठाई है। नींव हमारे सिद्धान्तों के रूप में है जिनके लिये हम ने संघर्ष किया है। वास्तविक आधार तो यही था। तो जुलाई १९४७ में हम ने यह बात स्पष्ट कर दी कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को जल्दी में कोई निश्चय करने के लिये विवश न करना चाहिये; यद्यपि वहां के नेता वैयक्तिक रूप इस ओर झुकाव रखते थे, परन्तु वह अपने लोगों को भी जानते थे तथा उन्हों ने सुझाव दिया कि इस सम्बन्ध में जनता की ओर से पहल होनी चाहिये तथा केवल महाराजा की सरकार की ओर से न होनी चाहिये तभी तो यह सम्बन्ध चिरस्थायी हो सकते हैं। हम ने यह बात पूर्णतः मान ली तथा महाराजा की सरकार तथा लोकप्रिय संस्था के नेताओं को सूचना दी कि वह प्रवेश के मामले में जल्दबाजी से काम न लें तथा उस समय तक प्रतीक्षा करें जब तक कि लोगों की राय जानने का कोई उपाय ढूंढ न निकाला जाये। उस समय जिस बात की हम ने कल्पना की वह यह थी कि वहां एक प्रकार की संविधान सभा का चुनाव हो। वास्तव में हम ने दूसरे स्थानों के लिये भी ऐसा ही सोचा था जहां कि इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता। दरम्यानी काल के लिये हम ने मश्वरा दिया कि भारत तथा पाकिस्तान (जिसका कि प्रादुर्भाव हो रहा था) के साथ यथापूर्व करार किये जाएं जिस से कि कुछ मामूली फेर बदल के सिवाय किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता न पड़े, तथा फिर फुर्सत से इस मामले पर अगरेतर विचार किया जाये।

१५ अगस्त १९४७ के बाद हमारे पास बहुत कम फुर्सत थी। पाकिस्तान में, तथा पाकिस्तान की सीमा के पास के भारतीय राज्यों में विप्लव हुये तथा हमें उस काल में बड़ी संवेदना में से गुजरना पड़ा। हम काश्मीर अथवा किसी और मामले के बारे में सोच नहीं सकते थे। हमें तात्कालिक समस्याओं का निवारण करना था तथा यही समस्याएं हमें प्रातः से सायं तक घिरे रखती थीं।

सदन को याद होगा कि अक्तूबर १९४७ के अन्तिम सप्ताह में अकस्मात काश्मीर पर पाकिस्तान से हमला हुआ। पाकिस्तान में प्रायः यह कहा गया कि भारत काश्मीर के नेताओं के सहयोग से उस राज्य के विभिन्न भागों, पुणछ आदि में गड़बड़ कराने का षड़यंत्र रचे हुये था। यह भी कहा गया है कि हमें इन सभी घटनाओं की, आक्रमण आदि की, जानकारी पहले ही प्राप्त थी। सच तो यह है कि

जब हम ने पहली बार इस आक्रमण के बारे में सुना तो हम चकित रह गए। यह समाचार भी हमारे पास ठीक तरह से नहीं पहुंचा क्योंकि कोई संचरण व्यवस्था नियमित ढंग से काम नहीं कर रही थी। तथा ज्योंही हमें इसका पता लगा हम हैरान हुये। एक दो दिन तक हम ने इस पर गम्भीरता से विचार किया; हमें मालूम नहीं था कि हम इस सम्बन्ध में क्या कुछ कर सकते थे। हम वहां से बहुत दूर थे। सारा काम कठिन था। हम अपनी परेशानियों में बुरी तरह उलझे थे। ज्योंही यह आक्रमण बढ़ता गया, हमारे पास लूट मार तथा अग्निकांड के समाचार पहुंचे तथा स्वभावतः सारे भारत में एक प्रकार का दर्द पैदा हुआ। जनता में वह दर्द की भावना बढ़ गई तथा सदन इस बात की कल्पना कर सकता है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में जनता की भावना उस समय क्या थी। उस समय हमें महाराजा की सरकार तथा काश्मीर की लोकप्रिय संस्था से अलग अलग सहायता की अपीलें प्राप्त हुई। वह भारत से सहायता चाहते थे तथा इस में प्रवेश करना चाहते थे। हम इन अपीलों पर बहुत देर तक गंम्भीरता से विचार करते रहे तथा हमने इस की उपलक्षणाओं पर विचार करने की कोशिश की। हमें शीघ्रता से कोई न कोई फैसला करना था। मुझे याद है कि २७ अक्तूबर को दिन भर की बैठक के बाद सायं को हम इस निश्चय पर पहुंचे कि सभी खतरों के बावजूद हम उनकी अपील का नकारात्मक उत्तर नहीं दे सकते हैं तथा हमें उनकी सहायता पर जाना होगा। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हम केवल वायु-मार्ग से ही वहां जा सकते थे। हमें यह भी पता नहीं था कि क्या वहां का 'केवल' तथा अस्थायी हवाई-अड्डा शत्रुओं के हाथ में है अथवा अभी खाली है। वहां जल्दी पहुंच जाने का और कोई रास्ता नहीं था तथा समय एक महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि आक्रमणकारी दिन प्रति दिन तबाही मचाते जाते थे। हम ने उन्हें सहायता देने का निश्चय किया तथा इस निश्चय के समय से केवल बारह घंटे के अन्दर अन्दर हमारी सेना ने वायु-मार्ग द्वारा काश्मीर की ओर अभियान किया। यह हमारी सेना, तथा नौ-सेना के कार्य का एक सुन्दर नमूना था। वह ठीक मौके पर पहुंचे ; यदि केवल २४ घंटे का विलम्ब होता तो हवाई अड्डा शत्रु के हाथ में होता तथा उस से स्थिति और भी बिगड़ जाती। हवाई अड्डे से कुछ ही मील की दूरी पर वह शत्रु पर टूट पड़े। आक्रमणकारी पीछे हट गए। हम ने समझा कि आक्रमणकारी कबाइली लोग हैं जिन्हें निस्सन्देह ही पाकिस्तान ने उकसाया है। पहले तो हम ने यह सोचा था कि इन्हें निकाल देने में हमें कोई बड़ी सैनिक कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी। यहां मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारी सेना के वहां पहुंचने से तीन अथवा चार दिन पहिले काश्मीर की शासन-व्यवस्था पूर्णतया भंग हो चुकी थी। कोई प्रशासन नहीं था। वहां, मेरे विचार में पुलिस जैसी कोई चीज़ भी नहीं रह गई थी। इन नाजुक घड़ियों में जब कि निर्दयी शत्रु सुप्रसिद्ध शहर श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था, श्रीनगर की जनता को बचाने के लिये कोई भी व्यक्ति नहीं था। केवल जनता की कोशिशों ने, नैशनल कांफ्रेंस के स्वयंसेवकों की कोशिशों ने शहर को बचाया। यह नहीं कि उन्हों ने शत्रु का मुकाबिला किया—उनके पास ऐसा करने के लिये कोई हथियार न थे—अपितु उन्हों ने जनता को आवश्यक नैतिक साहस प्रदान किया ; तथा यह एक स्मरणीय बात है कि जब शत्रु शहर से केवल दस अथवा बारह मील

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दूर था, श्रीनगर में एक भी दुकान बंद न हुई थी। वह काम कर रहे थे। यह जनता तथा नैशनल कांफ्रेंस के उत्साह को प्रकट करता है जो कि उन्हों ने गम्भीर आपात के समय दिखाया। हम न इन आक्रमणकारियों को पीछे हटाया तथा ज्यों ही हम इन्हें ऊड़ी तक—जहां कि मैं केवल एक ही वर्ष पहिले महाराजा की सरकार का बन्दी था—हटाते गए, हमारी सेना को कुछ ही दूर मालूम हुआ कि वह कबाइली आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर रही है अपितु पाकिस्तानी सेना का मुकाबिला कर रही थी। यह एक भिन्न मामला था तथा इसका एक भिन्न तरीके से निवारण करना था। यहां तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमारी सेना उस स्थान से आगे न बढ़ी।

उस समय से—यह नवम्बर १९४७ था—वहां तथा राज्य के अन्य स्थानों पर लड़ाई जारी रही ; जम्मू की तरफ से, काश्मीर की तरफ से तथा उत्तर की ओर। यह लड़ाई डेढ़ वर्ष तक जारी रही। दिसम्बर में जब कि हमें पता चला कि हम पाकिस्तानी सेना का सामना कर रहे हैं, हम ने महसूस किया कि मामला उस से भी बढ़ जाने की सम्भावना है जितने की कि हमने कल्पना की थी तथा उससे भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण युद्ध छिड़ जाने की आशंका है।

मैं चाहता हूं कि सदन उस समय को याद रखे, क्योंकि हमें प्रत्येक घटना पर उसी प्रसंग में विचार करना चाहिये। यह वह समय था जब कि हम पाकिस्तान बनने के बाद तथा उस सारी गड़बड़ के बाद, पुनः स्थापित होना चाहते थे तथा उसके अलावा भी, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम यथा-सम्भव युद्ध नहीं चाहते हैं। जब हमने देखा कि इससे दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ जाने की आशंका है तो हमने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश करने का निश्चय किया, तथा यह मेरे विचार में दिसम्बर १९४७ में हुआ। हम ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यह कहा कि कुछ कबाइली लोगों ने काश्मीर पर आक्रमण किया है तथा निर्दयता का प्रदर्शन किया है आदि आदि, वह पाकिस्तानी इलाके से हो के आये हैं तथा पाकिस्तान ने उन्हें ऐसा करने के लिये उकसाया है तथा सहायता दी है। हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा सुरक्षा परिषद से प्रार्थना यह थी कि उन्हें पाकिस्तान को बता देना चाहिये कि वह इन लोगों की सहायता न करे और न ही इन्हें उकसाये। हमारी उनसे यही एक प्रार्थना थी, यही एक सवाल था। बाकी हमने प्रस्थापना की कि हम परिस्थिति का स्वयं ही निपटारा कर लेंगे। हमारा अभिप्राय यह था कि यह युद्ध इस तरह से फैलने न पाये। हमने अवश्य ही पाकिस्तान से भी प्रत्यक्ष रूप से यह प्रश्न पूछा था। परन्तु पाकिस्तान ने दृढ़ता से इस बात से इन्कार किया कि उनका इस मामले से कोई सम्बन्ध है। यह एक अजीब सी बात थी कि किस तरह से हज़ारों लोग पाकिस्तानी इलाके में से गुजरें तथा पाकिस्तान सरकार को इसका पता भी न चले। कुछ भी हो उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि कबाइली लोगों ने उनकी सहायता से पाकिस्तान से होकर काश्मीर की ओर अभियान किया है। तथा उन्होंने उस समय तथा कुछ और महीनों में भी इस बात से पूर्णतया इन्कार किया कि पाकिस्तानी सेना अथवा पाकिस्तानी सेना के किसी भाग ने काश्मीर पर किये गये आक्रमण में कोई हिस्सा लिया है। बाद में हमें इस सम्बन्ध में काफी साक्ष्य

प्राप्त हुई तथा दिल्ली में हमारे रक्षा विभाग ने एक अजायबघर खोला था जिस में पकड़ी गई सभी प्रकार की सामग्री, सैनिकों की डायरियां, सैन्य-चिन्ह आदि रखे गए थे, जिस से कि स्पष्ट होता था कि पाकिस्तानी सेना ने किस तरह से इस आक्रमण में भाग लिया है।

१९४८ की सर्दियों में यह सैनिक कार्यवाहियां बड़े जोरों से चलती रहीं। सर्दियों में १५००० फुट की ऊंचाई पर स्थित काश्मीर की घाटियों में जाना कोई आसान काम नहीं। इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद में भी बातचीत चलती रही। पहले पहल उन्होंने कई महीनों तक न्यूयार्क में इस पर तर्क-वितर्क किया। हम हैरान थे, क्योंकि हमारा एक सीधा सा प्रश्न था तथा इसका उत्तर भी सीधा ही था। हम ने उन से यह नहीं कहा था कि वह हमारी बात मान लें, यदि इस पर कोई आपत्ति उठाई जाती. जैसे कि पाकिस्तान ने उठाई थी, स्पष्टतया उनके लिये तरीका यह था कि वह इस बात की वास्तविकता मालूम करते कि आया हम सत्य कह रहे थे अथवा पाकिस्तान सत्य कह रहा था। चर्चा, बातचीत तथा मध्यस्थता के इन चार पांच वर्षों में हमारे उस सीधे से प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं दे दिया गया है और न ही इस पर उस दृष्टि से विचार किया गया है। इसका एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर दिया गया। यह उत्तर संयुक्त राष्ट्र आयोग, जो कि १९४८ में यहां आया था, के संकल्पों के रूप में दिया गया जब कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के काश्मीर में होने के कारण एक नई स्थिति उत्पन्न ई है। उन्हों ने ऐसा कहा। इस वक्तव्य से कुछ ही समय पहले पाकिस्तान सरकार दृढ़ता से इस बात से इन्कार करती रही कि उसकी सेनाएं काश्मीर में हैं। एक निराधार बात को तथा साफ़ झूठ को बार बार दुहराने की वह एक अजीब घटना थी, तथा संयुक्त राष्ट्र-संघीय आयोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था।

३१ दिसम्बर १९४८ को दोनों पक्षों ने युद्ध बंद करना मान लिया। उस समय से किसी बड़े पैमाने पर कोई सैनिक कार्यवाही नहीं हुई है। मामूली छापे हुये हैं; परन्तु कोई गम्भीर लड़ाई नहीं हुई है। उस समय से यही कुछ स्थिति है। स्थानीय गड़बड़, चोरी छिपे घुस के आना जैसी बातों को—ऐसी बहुत सी बातें हैं—छोड़ के सारा दृश्य बदल गया है। अब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्रीय आयोग, संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि जो कि यहां समय समय पर आते रहे हैं, मंच पर दिखाई देते हैं। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा।

अन्तिम मध्यस्थ डा० ग्राहम हैं। वह यहां दो बार आये हैं तथा उन्होंने हमारे तथा पाकिस्तान के साथ लम्बी बात चीत की है और वह इस समय भी इस वार्ता को न्यूयार्क में जारी रखे हुये हैं। उन्होंने अपनी पूछ ताछ राज्य के असैनीकरण तक ही सीमित रखी। इसे मुश्किल से एक अच्छा शब्द कहा जा सकता है; किन्तु फिर भी सुविधा के लिये हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का आयोग जिस समय यहां था उस समय हम ने यह स्थिति स्वीकार की थी। शान्ति प्राप्त करने के लिए हम ने यह बात मान ली थी कि पहिले पहल पाकिस्तानी सेना को, जिस में कि उसकी सहायक सेना भी शामिल हैं, उस राज्य के क्षेत्र का एक एक चप्पा खाली करना चाहिये। हम ने इस बात पर काफी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ज़ोर डाला था, केवल सैनिक कारणों के लिये नहीं, अपितु नैतिक कारणों के लिये भी। उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार न था। उन्हों ने आक्रमण किया था अतः उन्हें वह खाली करना था। यदि पाकिस्तान काश्मीर के भारत में शामिल होने पर संदेह करता है अथवा इसे स्वीकार नहीं करता है--सदन को मालूम है कि उन्होंने इसे जाली प्रवेश कहा है तथा में इस पर कुछ समय बाद प्रकाश डालूंगा--फिर भी उन्हें काश्मीर में ठहरने का कोई अधिकार नहीं, यह बात स्पष्ट है, यह बात निश्चित है; इसका वहां कोई नैतिक, राजनीतिक अथवा संवैधानिक अस्तित्व नहीं। पाकिस्तान का यह काम नहीं था कि वह अपनी सेनाएं वहां भेज दे अथवा दूसरों को आक्रमण करने के लिए उकसाये। इसलिये हम ने पाकिस्तान से समझौता करने के किसी उपाय को क्रियान्वित करने से पूर्व यह आवश्यक शर्त रखी कि वह उस क्षेत्र से पूर्णतया अपनी सेनाएं निकालें जिस पर कि उन्हों ने हमला करके कब्जा कर लिया है। यह बात काश्मीर कमीशन के सकल्प में मान ली गई थी।

दरम्यानी काल में उस राज्य के पाकिस्तान अधिकृत पश्चिमी भाग में तथा-कथित आज़ाद काश्मीर सेनाओं को संगठित किया गया। उन्हों ने स्थानीय व्यक्तियों को भर्ती करके तथा-कथित 'आजाद काश्मीर फौज' बनाई। १९४८ में हमें इस सम्बन्ध में कुछ अधिक जानकारी नहीं थी। हम ने मांग की कि इन व्यक्तियों को विघटित करके निःशस्त्र कर दिया जाये। हम उन्हें वहां से चले जाने के लिये नहीं कह सकते थे क्योंकि वह उसी राज्य के रहने वाले थे। इसलिये हम ने मांग की कि उनका विघटन करके उन से हथियार ले लिये जायें। काश्मीर कमीशन ने बाद में अपने संकल्प में इस विचार को इन शब्दों रखा: "आज़ाद काश्मीर सेनाओं का बड़े पैमाने पर विघटन तथा निःशस्त्रीकरण।" इस विषय पर हमारे तथा पाकिस्तान के बीच मतभेद रहा है। हम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इसका अर्थ यह है कि आज़ाद काश्मीर फौज को यथासम्भव पूर्णतया विघटित करके निःशस्त्र कर दिया जाये। कुछ लोग हथियार डाल दें, कुछ इन्हें छिपायें वह दूसरी बात है। शासकीय रूप से यह पूर्ण होना चाहिये। पाकिस्तान इस निर्वचन से सहमत नहीं हुआ। 'युद्ध-बंदी करार' को अस्थायी शान्ति संधि में बदलने में यही कठिनाई है। पाकिस्तान को यही कुछ करना था। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम ने राज्य क्षेत्र से अपनी विपुल सेना को निकाल लेना मान लिया। "विपुल" शब्द को नोट कर लीजिये। किन्तु शर्त यह थी कि हम काश्मीर की भीतरी तथा बाहरी सुरक्षा को बनाये रखने के लिये वहां काफी सेना रखेंगे। सदैव यह शर्त रखी गई थी कि हम पर्याप्त सेना रखेंगे तथा इसका निश्चय भी हम ही कर सकते थे। हम ने कहा था कि हम काश्मीर से अपनी विपुल सेना को निकाल लेंगे जब पाकिस्तानी सेनाएं पाकिस्तान को चली गई होंगी। हम ने महसूस किया कि हम ऐसा कर सकते थे। अधिकांश रूप से स्थिति यही कुछ थी। इसके बाद युद्ध-बन्दी हुई तथा यह वार्ता चल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कमीशन ने अगस्त १९४८ तथा जनवरी १९४९ में जो संकल्प पारित किये थे, यह वार्ता उन्हीं के निर्वचन पर रुक गई है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा।

डा० ग्राहम, अब, इस तथा-कथित असैनिकीकरण समस्या के निवारण के पीछे पड़े हुए हैं। एक समय उन्हों ने १२

प्रस्थापनाएं पेश कीं। जहां तक मुझे याद है हम ने आठ स्वीकार कर ली हैं; एक अथवा दो में हम ने कुछ परिवर्तन करनें की मांग की है तथा शेष एक अथवा दो को हम ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है।

१९४८ तथा १९४९ में हम ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कमीशन के दो प्रस्ताव स्वीकार किये थे। दरम्यानी काल में कई बातें हुई। परन्तु बाद में सुरक्षा परिषद ने एक संकल्प पारित किया जिसे कि हम ने स्वीकार नहीं किया है; तथा हम ने सुरक्षा परिषद को यह साफ बता दिया कि हम उस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उन सिद्धान्तों के विरुद्ध था जिन्हें कि हम ने अपनाया है; यह उन आश्वासनों के विरुद्ध था जो कि हम ने अपनी जनता को तथा काश्मीर की जनता को दे दिये थे ; तथा यह काश्मीर की सुरक्षा के लिये हमारी ज़िम्मेदारी के विरुद्ध भी था। हम ने महसूस किया कि यह उन संकल्पों के विरुद्ध भी था जो कि सुरक्षा परिषद ने काश्मीर कमीशन के संकेत पर पास किये थे। इसलिये हम ने कभी भी उस संकल्प को अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार नहीं किया। डा० ग्राहम इसी संकल्प के सिलसिले में नियुक्त किये गए। हम ने डा० ग्राहम को यह बात स्पष्ट कर दी . . . .

**पंडित एल० के० मैत्रा** (नवद्वीप) : इस से पहले डिक्सन रिपोर्ट पेश हुई थी।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इन सभी मामलों के विस्तार में नहीं जाता हूं। बीच बीच में और भी लोग आये। मैं केवल यह कह रहा हूं कि हम ने उस संकल्प को स्वीकार नहीं किया। परन्तु सुरक्षा परिषद में तथा अन्य स्थानों पर हमारा सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि हम सहर्ष किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष कर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं। हम उसे मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार हैं, परन्तु हम कोई भी ऐसी बात मानने के लिये तैयार नहीं जो कि हम पर ठोंसी जाये। तथा न ही हम किसी ऐसी बात को मानने के लिये तैयार हैं जो कि इस विषय में हमारी ज़िम्मेदारियों के विरुद्ध जाती हो। जब डा० ग्राहम यहां आये, वह एक मध्यस्थ के रूप में आये। उन्होंने यहां ठहरने के दौरान में कभी भी उस संकल्प का उल्लेख नहीं किया जिसे कि हम ने रद्द किया था। तो उन्होंने अपना सारा ध्यान निसैनीकरण पर लगाया तथा यद्यपि हम ने उनकी कई एक बातें मान लीं, फिर भी पाकिस्तान के विचार में तथा हमारे विचार में अन्तर रहा है तथा यह अभी तक नहीं मिटा है।

मैं डा० ग्राहम की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हूं; विशेषकर उनके असाधारण धैर्य को देख कर तथा उनके सच्चे प्रयत्नों को देखकर। उन्होंने अधिकाधिक प्रयत्न किया है; कुछ एक मामलों में उन्होंने प्रगति भी की है। लेकिन फिर भी एक अन्तर रह ही जाता है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि हम ने भी काफी धैर्य किया है, हमारा धैर्य दूसरों से कुछ कम नहीं। अधीरता का परिणाम बुरा होता है। तो यह वार्ताएं जारी हैं और समाचार पत्रों में कुछ समाचार निकलते रहते हैं। कभी वह सच होते हैं कभी आंशिक रूप से सच होते हैं तथा कभी आंशिक रूप से असत्य होते हैं। हमारे लिये ऐसे समाचारों का निवारण करना कठिन हो जाता है।

अब हम इस मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करेंगे। १९४८ में काश्मीर के सम्बन्ध में तथा अन्य राज्यों के सम्बन्ध में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

स्थिति यह थी कि उन्हों ने अपने तीन मुख्य विषय—विदेशी मामले, रक्षा तथा संचरण व्यवस्था संघ सरकार के हाथ सौंप दिये। फिर अन्य राज्यों का निकटतम एककीरण शुरू हुआ। तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति भी अधिकांश रूप से सरदार पटेल के कहने पर हुई। तो इस तरह से हम ने भारत के भूत-पूर्व राज्यों तथा भूतपूर्व प्रान्तों के बीच भेद भाव मिटा दिया। यह ठीक है कि अस्थायी रूप से कुछ राज्य भाग (क) राज्य कहलाने लगे, कुछ राज्य भाग (ख) राज्य कहलाने लगे तथा कुछ भाग (ग) राज्य कहलाने लगे। परन्तु यह एक बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था है; इसका अन्त होगा, इसका अन्त होना चाहिये तथा इसका अन्त हो रहा है। वैसे तो पुराने प्रान्तों तथा राज्यों में जो अन्तर था वह समाप्त हो गया तथा भारत एक अधिक संगठित राज्य बन गया है।

जब कि एकीकरण का यह काम अन्य राज्यों के सम्बन्ध में हो रहा था; काश्मीर के सम्बन्ध में कई कारणों से जान बूझ कर यह नहीं हुआ। एक कारण यह था कि सारी स्थिति तरल अवस्था में थी क्योंकि मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने था। दूसरा कारण जो इतना ही महत्वपूर्ण था यह था कि शुरू से ही हम ने यह बात मान ली थी कि काश्मीर की स्थिति कुछ भिन्न है। तीसरे शुरू से ही हम ने यह बात दुहराई थी कि काश्मीर की जनता की सम्मति के बिना काश्मीर के सम्बन्ध में कोई भी पग नहीं उठाया जायगा। तो काश्मीर ने केवल इन तीन विषयों में जान बूझ कर भारत में प्रवेश किया। जब मैं तीन विषयों का ज़िक्र करता हूं तो हमें याद रखना चाहिये कि प्रत्येक विषय एक विशिष्ट प्रकार के विषयों की श्रेणी है। यह एक छोटा विषय नहीं, अपितु विषयों की एक श्रेणी है—यदि आप विस्तार में जायेंगे। हम ने इसे हाथ न लगाया। तथा सरदार पटेल इस सारे समय में इन विषयों का निवारण कर रहे थे।

यह सारा सिलसिला, मेरे विचार में नवम्बर १९४९ में समाप्त हुआ जब की हम संविधान सभा में अपना संविधान बना रहे थे। हम सारी स्थिति को अस्पष्ट तथा तरल अवस्था में नहीं छोड़ सकते थे। जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में संविधान में कुछ न कुछ ज़िक्र करना ही था। सरदार पटेल को यह समस्या पेश आई। वह इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते थे, वह इसे विभिन्न बातों के कारण अनिश्चित अवस्था में रखना चाहते थे तथा उन सम्बन्धों को, वैधानिक तथा संवैधानिक सम्बन्धों को धीरे धीरे बढ़ाना तथा दृढ़ करना चाहते थे। यही हमारी भी राय थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जम्भू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में हमारे संविधान में एक तरह का असामान्य उपबन्ध रखा गया। यह उपबन्ध अब भाग २१, अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध, के अनुच्छेद ३७० में रखा गया है। यदि आप उस अनुच्छेद को पढ़ लेंगे तो आप को मालूम होगा कि संविधान के अन्तिम रूप देने के समय स्थिति क्या थी। तथा मैं निवेदन करता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर और भारतीय संघ के पारस्परिक सम्बन्धों की परिभाषा उसी अनुच्छेद ३७० में दी गई है। उस के बाद २६ जनवरी को राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद के निबन्धनों में एक आदेश जारी किया जिस में उन विषय-श्रेणियों तथा संविधान के भागों की परिभाषा दी गई जो कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लाग होने चाहिये। संविधान के तैयार

होने के समय से काश्मीर के सम्बन्ध में स्थिति अनुच्छेद ३७० तथा इसके बाद जारी किये गए राष्ट्रपति के आदेश में दी गई है। अनुच्छेद ३७० स्पष्टतया एक अन्तर्कालीन उपबन्ध था तथा राष्ट्रपति बाद में उस में कुछ फेर बदल कर सकता था अथवा इसे बढ़ा सकता था। उद्देश्य केवल यह था कि यदि किसी फेर बदल की आवश्यकता पड़ती, तो हमें अपने संविधान में संशोधन करने का चक्करदार काम न करना पड़ता; किन्तु राष्ट्रपति को काश्मीर के सम्बन्ध में इस में कोई विषय अथवा विषय का भाग और बढ़ा देने का अधिकार दे दिया गया। परन्तु अनुच्छेद ३७० में उस पुराने सिद्धान्त को दुहराया गया तथा इस बात पर जोर दिया गया कि जो भी फेर बदल करने की आवश्यकता होगी, वह जम्मू तथा काश्मीर राज्य की संविधान सभा के अनुमोदन से होगा। जब हम ने यह उपबन्ध अपने संविधान में रखा, उस समय जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कोई संविधान सभा न थी परन्तु हम ने इसका पूर्वानुमान लगाया था। संविधान सभा के विद्यमान न होने की दशा में भी हमें ऐसे किसी परिवर्तन के सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना था, यही कुछ स्थिति थी।

विभाजन से पूर्व से ही हमारी यह नीति रही है कि हम कोई पग ऐसा नहीं उठायेंगे जिसे कि दबाव अथवा जबर्दस्ती समझ लिया जाये, तथा हर एक बात सम्बन्धित लोगों की सम्मति से होनी चाहिये। मूल स्थिति तो यही थी। इसके अलावा जब यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला बन गया, हम कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहते थे जिस से कि यह समझ लिया जाता कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को दिये गये वचनों अथवा आश्वासनों को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह तरल स्थिति जारी रही तथा हमारे आपसी सम्बन्ध भी उस हद तक तरल अवस्था में थे जहां तक विधि थी ; नहीं तो कोई कठिनाई नहीं थी। हम अपने काम को चलाते गए। यह एक, दो अथवा तीन वर्ष ऐसे ही चलता रहता। हम मित्रता-पूर्वक तथा सहयोग से काम चला रहे थे। कोई कठिनाई नहीं थी ; कुछ छोटे मोटे मामले थे, जिन्हें कि हम पारस्परिक विचार विमर्श के बाद सुलझाते थे।

इसके बाद काश्मीर की संविधान सभा का प्रादुर्भाव हुआ। हमारी शुभ इच्छाएं इस के साथ थीं। जब इस बात का उल्लेख किया गया कि काश्मीर संविधान सभा के चुनाव कराये जायेंगे तो कई विदेशों में इस विचार का विरोध किया गया, स्वयं सुरक्षा परिषद में इसकी गूंज सुनी गई। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि पाकिस्तान ने इसे बहुत ही बुरा मनाया, कुछ भी हो मुझे कोई कारण दिखाई नहीं दिया तथा न अब दिखाई देता है कि क्यों कोई बाहर का देश भारत तथा काश्मीर के आपसी आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। यदि दूसरे देशों ने इस पर आपत्ति की ; तो हम ने उनकी आपत्ति पर भी आपत्ति की तथा इस तरह हम काम चलाते रहे। तो इस संविधान सभा का प्रादुर्भाव गत वर्ष हुआ। इस ने बहुत कुछ किया है, कई महत्वपूर्ण सुधार पुरःस्थापित किये हैं। इस के बाद इस ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये संविधान बनाने का काम हाथ में लिया। इसके तुरन्त बाद ही यह समस्या पेश आई। ठीक है कुछ समय के लिये आप अनिश्चित स्थिति रखें परन्तु, जब आप कोई विधान बना रहे हों तो आप को

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सभी बातों का ठीक ठीक वर्णन करना होगा, यही इन वार्ताओं की पृष्ठभूमि है जो हम आपस में तथा जम्मू और काश्मीर सरकार नेताओं से करते रहे हैं। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि इस सम्बन्ध को अपरिवर्तनीय अथवा अन्तिम बना दिया जाये, क्योंकि स्थिति बदलती रहती है। फिर भी शायद यह अत्यधिक रूप से अनिश्चित थी तथा संविधान बनाते समय इसे कुछ अधिक निश्चित बनाना आवश्यक था, इसके साथ यह भी आवश्यक था कि कोई परस्पर-विरोधी बात न होनी चाहिये जो कि हमारे संविधान के उपबन्धों के समनुकूल न हो। इसी कारण से यह वार्ता हुई। यह वार्ता गत कुछेक दिन में हुई तथा मैं अब आप के सामने इसके परिणाम रखने जा रहा हूं।

किन्तु यह बताने से पहले मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि इस संविधान सभा का एक मुख्य कार्य भूमि-सुधार प्रश्न का निवारण करना था, तथा कुछ ही महीनों में उन्होंने इसका सम्पादन किया है तथा सफलता से सम्पादन किया है। जिस फुरती तथा कार्यचातुर्य से उन्होंने यह काम निभाया है उसे देखकर मुझे कुछ कुछ ईर्षा होती है। मैं यह बात मानता हूं कि मुझे उनके काम की गति को देख कर कुछ कुछ ईर्षा होती है, विशेषकर जब कि मैं देखता हूं कि भारत के विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में कितनी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, कितनी अड़चनें पेश आ रही हैं तथा कितना विलम्ब हो रहा है। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने वहां क्या किया। कहा जाता है कि उन्हों ने जमींदारों को जमीनों से बिना किसी प्रतिकर के बेदखल किया है। यह बात सही नहीं। उन्होंने जमींदारी की अधिकतम सीमा निश्चित की है तथा यह लगभग २३ एकड़ है तथा इसके अलावा जमींदार अपने पास मेवे के बाग रख सकते हैं। मेवे के बागों को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, जिन लोगों के पास जमीनें थीं उन्हें २३ एकड़ भूमि अपने पास रखने की अनुमति दी गई तथा इसके अलावा वह मेवे के बाग अपने पास रख सकते हैं। सदन को याद रखना चाहिए कि काश्मीर में मेवादार बागों का महत्व बहुत कुछ है। उन्हों ने उन्हें हाथ नहीं लगाया। इसके अलावा और भी जमीनें हैं जैसे चरागाहें आदि। यह भी जमींदारों के पास ही हैं। इस पर बाद में अग्रेतर विचार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास २३ एकड़ भूमि रखने दी गई जब कि औसत केवल दो एकड़ है। तो २३ एकड़ की जो अधिकतम सीमा रखी गई है वह तुलना में कुछ कम नहीं दिखाई देती हैं।

अभी काश्मीर सरकार के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार के बीच जो वार्ता हुई हैं, उस में यह बात स्पष्टतया मान ली गई है कि काश्मीर राज्य भारतीय गणतंत्र का एक अंग है। यह भारत का एक हिस्सा है। मूल स्थिति यही कुछ है।

नागरिकता का प्रश्न उत्पन्न हुआ। पूर्ण नागरिकता वहां पर भी लागू होती है। परन्तु हमारे काश्मीरी मित्रों को एक अथवा दो बातों के बारे में आशंकायें हैं। महाराजा के शासन काल में वहां कुछ ऐसे कानून थे जिन के अन्तर्गत काश्मीर से बाहर के लोग वहां कोई जमीन न खरीद सकते थे और न ही अपने पास रख सकते थे। उन दिनों में महाराजा का डर था कि कहीं अंग्रेज बड़ी संख्या में वहां जा कर आबाद न हों, क्योंकि वहां की जलवायु

मनभावनी थी। यद्यपि अंग्रेजों के शासन के अधीन महाराजा से उनके बहुत से अधिकार छीन लिये गये, फिर भी महाराजा इस बात पर अड़ा रहा कि बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां भूमि अर्जित न कर सके। महाराजा ने राज्य के प्रजाजनों से सम्बन्धित जो अधिसूचना जारी की है उस में प्रजाजनों की चार श्रेणियां दी गई हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी। जब तक कि आप इन में से किसी न किसी श्रेणी से सम्बन्ध न रखते हों आप वहां न ही कोई जमीन खरीद सकते हैं और न ही कोई अचल सम्पत्ति। तो जम्मू तथा काश्मीर की वर्तमान सरकार भी उस अधिकार को यथावत् रखना चाहती है, क्योंकि उन्हें डर है, तथा उनका डर सही भी है, कि काश्मीर उन लोगों से कुचल जायगा जो केवल अपने पैसे के बल बोते पर वहां के सुन्दर दर्शनीय स्थानों को खरीद लेंगे। वह महाराजा के कानून में कुछ फेर बदल करके इसे उदार बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वह कुछ न कुछ प्रतिबंध ऐसा रखना चाहते हैं जिस से बाहर का कोई व्यक्ति वहां जमीन अर्जित न कर सके। संविधान के अनुच्छेद १९ खंड (५) के अन्तर्गत यह वर्तमान विधि के सम्बन्ध में अथवा बाद में बनाये जाने वाले किसी विधान के सम्बन्ध में अनुमति योग्य है। कुछ भी हो हम ने यह बात मान ली कि यह मामला साफ हो जाना चाहिये, पुराने कानून के अंतर्गत वहां के प्रजाजनों को भूमि अर्जन, सेवाओं, छात्रवृत्तियों तथा अन्य छोटी मोटी बातों के सम्बन्ध में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसलिये हम ने यह बात मान ली तथा निम्नलिखित उपबन्ध रखा :

"राज्य विधान मंडल को राज्य के स्थायी निवासियों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को, विशेषकर जिनका सम्बन्ध अचल सम्पत्ति के अर्जन, नियुक्तियों तथा ऐसे ही अन्य मामलों से हो विनियमित करने तथा उनकी परिभाषा करने का अधिकार होगा। उस समय वहां वर्तमान राज्य विधि ही लागू रहेगी।"

नागरिकता से सम्बन्धित और भी एक मामला था। १९४७ से गड़बड़ी के कारण बहुत से लोग बाहर चले गये हैं तथा वह अब वापस काश्मीर जाना चाहते हैं। इसलिये उनकी वापसी का भी उपबन्ध होना चाहिये। वास्तव में हमारे अपने संविधान में भी इस सम्बन्ध में उपबन्ध रखा गया है तथा मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष के आरम्भ में अथवा गत वर्ष पूर्वी बंगाल से आने वाले प्रव्रजकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रश्न यहां भी उठाया गया था। हम उन्हें अपनी निर्वाचक नामावलियों में शामिल न कर सके क्यों कि वह बहुत देर से आये थे। अब हम उन्हें शामिल कर रहे हैं। जो लोग निश्चित शर्तों को पूरा करेंगे वह शामिल कर लिये जायेंगे। इसलिये जो लोग काश्मीर से पाकिस्तान अथवा अन्य स्थानों पर चले गए हैं तथा जो सामान्यतया नागरिकता के ग्राह्य नहीं हो सकते हैं, उनके लिए उपबन्ध रखना होगा यदि वह वापस आना चाहें। तो हम ने निश्चय किया कि:

"जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उन स्थायी निवासियों की वापसी के लिये, जो कि १९४७ की गड़बड़ी के सिलसिले में अथवा इस के भय में पहले ही पाकिस्तान चले गए हैं तथा वापस नहीं आ सके हैं नागरिकता से सम्बन्धित नियमों में विशेष

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उपबन्ध रखा जाना चाहिये। यदि वह वापस आयेंगे तो उन्हें नागरिकता से सम्बन्धित अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहियें तथा इसके दायित्व उन पर लागू होने चाहियें।"

इसके बाद मूल अधिकारों का प्रश्न आया। इस बात पर एक सामान्य समझौता हुआ कि मूल अधिकार होने चाहियें तथा वह उस राज्य पर लागू होने चाहियें। किन्तु यहां भी हमारे काश्मीरी मित्रों के मत में भारी आशंकाएं उत्पन्न हुईं। एक प्रश्न यह था कि कहीं यह मूल अधिकार उनके भूमि सुधार सम्बन्धी विधान में इस समय तथा भविष्य में बाधक न बने। निस्सन्देह हम भी यह नहीं चाहते थे कि यह उनकी प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकायें। हमें उनके भूमि सम्बन्धी सुधार पसन्द हैं। हमारे विचार में यह बहुत अच्छे थे, वास्तव में किये कराये काम में गड़बड़ डालना एक असम्भव बात है, परन्तु हम ने कहा कि यह मामला भी साफ होना चाहिये। दूसरी बात यह थी। काश्मीर पर आक्रमण, युद्ध, युद्ध-बंदी तथा अन्य बातों के कारण परिस्थिति में एक प्रकार का तनाव आ गया है; जासूसी करने के लिये कुछ लोग जैसे तैसे राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। इस से कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। बारबार जासूसी के मामलों के बारे में सुना जाता है। कुछ तोड़ फोड़ तथा इस प्रकार की अन्य गतिविधियां भी होती हैं। परन्तु यदि आप उस राज्य में जायेंगे तो आप बिल्कुल सामान्य परिस्थिति पायेंगे। अर्थात राज्य का कार्य सम्पादन काफी हद तक सामान्य रूप से हो रहा है। परन्तु उस सामान्य परिस्थिति को सष्ठ पर यह तनाव है कि शत्रु गड़बड़ डालने तथा परिस्थिति बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। तथा राज्य सरकार को हर समय सावधान तथा चौकस रहना पड़ता है। हमें बताया गया कि मूल अधिकारों से सम्बन्धित उपबन्धों का कोई भी भाग राज्य सरकार की इन कार्यवाहियों में बाधा डाल सकता है। इस लिये हम ने यह बात मान ली कि वर्तमान परिस्थितियों में यह बात अत्यन्त ही आवश्यक तथा काश्मीर के हित में है कि राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये। तो इस शर्त के साथ इस बात पर अग्रेतर विचार किया जा सकता है कि यह काम कैसे हो। इस तरह का पूर्ण विचारविमर्श आवश्यक है जिस से कि मूल अधिकारों को ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू किया जा सके जो इस दृष्टिकोण से आवश्यक हों तथा जिस पर सहमति प्राप्त हो।

यह बात मान ली गई है कि उच्चतम न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद १३१ में उल्लिखित विवादों के सम्बन्धों में मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। यह बात भी मान ली गई कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन मूल अधिकारों के सम्बन्ध में भी होगा जो कि उस राज्य पर लागू होंगे। भारत सरकार की ओर से हम ने सिपारिश की कि वहां का सलाहकार न्यायाधिकरण जो महाराजा के न्यायिक सलाहकार बोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है, तोड़ दिया जाना चाहिये तथा इस का क्षेत्राधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होना चाहिये अर्थात् उच्चतम न्यायालय, संविधान के उपबन्धों के अनुसार सभी दीवानी तथा फौजदारी मामलों में अन्तिम न्यायालय होगा। काश्मीर सरकार के प्रतिनिधि मंडल को हमारे इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं

थी, वह इसे मान लेने को तैयार थे परन्तु उनका कहना है कि वह विस्तार में इस मामले पर अग्रेतर विचार करेंगे।

अब मैं उस प्रश्न पर आता हूं जिस के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई है तथा जिस का समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया है। यह उस राज्य के प्रमुख का प्रश्न है।

पुराने इतिहास को छोड़ कर मैं यह बता देना चाहता हूं कि काश्मीर संविधान सभा के उद्घाटन के समय जो अभिभाषण दिया गया था उस में स्पष्ट रूप से उन नीतियों का उल्लेख किया गया था जिसके अनुसार उस सभा को काम करना था तथा उन में एक नीति यह भी थी कि प्रजातांत्रिक आदेशिका द्वारा राज्य के प्रमुख का निर्वाचन होना चाहिये। यह काश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की चिरकाल से घोषित नीति रही है। उस सिद्धान्त की व्याख्या के सम्बन्ध में उस समय कोई आपत्ति नहीं थी। सतर्कता पूर्वक विचार करने के पश्चात--क्योंकि हमें सदैव दो मामलों पर विचार करना था, एक यह कि काश्मीर की जनता की इच्छाओं को कार्य रूप दिया जा सके तथा दूसरे यह कि हमारे अपने संविधान के अनुसार काम हो सके--हम ने एक ऐसा हल निकाला है जिस पर कि दोनों पक्ष राजी हैं। आप शब्दों के झमेले में न पड़ कर भाषा को अधिक महत्व न दें। वैधानिक तथा संवैधानिक उद्देश्यों के लिये शब्दों में हेर फेर किया जा सकता है, परन्तु यह इस बात को प्रकट करेगा कि हम किस ढंग से विचार करते रहे हैं तथा हम ने क्या कुछ स्वीकार किया है। यह बातें मान ली गई हैं: (१) राज्य का प्रमुख वह व्यक्ति होगा जो राज्य के विधान-मंडल की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा अभिज्ञात होगा, (राज्य का विधान-मंडल किस तरह से अपनी सिफारिश पेश करेगा, इस का निर्णय उस राज्य का विधान-मंडल ही करेगा। क्या यह निर्वाचन द्वारा होगा अथवा नहीं, इसका निर्णय भी वही करेंगे; यह बहुमत द्वारा हो सकता है, दो-तिहाई बहुमत द्वारा हो सकता है, कुछ भी हो, उन्हें सिफारिश करनी है; तथा उन के बाद उस व्यक्ति को अभिज्ञात करना राष्ट्रपति का काम है)। (२) वह, अर्थात राज्य का प्रमुख, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेगा। (३) वह--राज्य का प्रमुख—राष्ट्रपति के नाम अपने हाथ से लिख कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। (४) इस अनुच्छेद में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन, राज्य का प्रमुख उस दिनांक से, जब कि वह उस पद को ग्रहण करेगा पांच वर्ष तक अपना पद धारण करेगा, किन्तु वह अपनी पदावधि के समाप्त होने पर भी उस समय तक अपने पद को धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी इस पद को ग्रहण न करेगा। राज्य के प्रमुख के सम्बन्ध में इतना कुछ है।

राष्ट्रीय झंडे के बारे में काफी गलत-फ़हमी हुई है। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में स्थिति को सार्वजनिक वक्तव्यों द्वारा स्पष्ट किया गया है। फिर भी हम ने सोचा कि इसे और भी स्पष्ट किया जाना चाहिये। जम्मू तथा काश्मीर के प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला ने खुले आम कहा है कि जहां तक कि उनका सम्बन्ध है यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि राष्ट्रीय झंडा सर्वोच्च झंडा है तथा जम्मू तथा काश्मीर राज्य में इसका बिल्कुल वही दर्जा है जो कि भारत के किसी अन्य भाग में इसका है। राज्य के झंडे का राष्ट्रीय झंडे से कोई मुकाबला नहीं है। परन्तु वह राज्य के इस निशान को जारी रखना चाहते हैं क्योंकि इस का

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सम्बन्ध काश्मीर के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास तथा भावना से है। यह बात मान ली गई। साथ ही यह भी कहा गया कि इसे औपचारिक रूप से हो सके तो राज्य की संविधान सभा द्वारा, स्पष्ट किया जाना चाहिये।

यह बात भी मान ली गई कि मृत्यु-दंड को मंसूख करने अथवा बदलने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होना चाहिये।

आर्थिक एकीकरण के सम्बन्ध में भी कुछ वार्ता चली है। इस बात का फैसला किया गया कि उस राज्य तथा भारत सरकार के बीच आर्थिक व्यवस्था पर अग्रेतर विचार किया जाना चाहिये। तथा इसका विस्तार तैयार किया जाना चाहिये। जैसे कि मैं ने निवेदन किया स्थिति बदलती रहती है। इन मामलों पर कुछ कुछ विचार हुआ है; जो कुछ भी आर्थिक व्यवस्था होगी उसे हम धीरे धीरे कार्य रूप देते रहेंगे।

फिर आपात सम्बन्धी अधिकारों का प्रश्न है। यह हमारे संविधान में, विशेष कर संविधान के अनुच्छेद ३५२ में दिए गए हैं। यह भी मान लिया गया है; मैं सदन को याद दिलाऊं कि अनुच्छेद ३५२ क्या है ? आक्रमण, बाहरी खतरे अथवा भीतरी गड़बड़ के मामले में राष्ट्रपति को आपात की स्थिति घोषित करने का अधिकार होगा तथा फिर इसके परिणाम स्वरूप और भी बातें होती हैं। फिर सारा मामला संसद् के हाथ में आ जाता है। यह बात भी मान ली गई परन्तु हमारे काश्मीरी मित्रों को 'भीतरी गड़बड़" शब्दों के सम्बन्ध में कुछ आशंकाएं उत्पन्न हुईं। शेष के सम्बन्ध में उन्हों ने कहा कि निस्सन्देह ऐसा ही होना चाहिये यदि गम्भीर आपात उत्पन्न हो जाये। 'भीतरी गड़बड़' के बारे में वह चाहते हैं कि राज्य सरकार की सम्मति से ऐसा होना चाहिये। तो यह बात मान ली गई कि अनुच्छेद ३५२ उस राज्य पर भी निम्नलिखित संशोधन के साथ लागू होगा; अर्थात यह कि पहले पैरा के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें :—

> "किन्तु भीतरी गड़बड़ के सम्बन्ध में यह काम राज्य सरकार की प्रार्थना पर अथ वा उसकी सम्मति से किया जायगा"

अर्थात उस राज्य में राज्य सरकार की सम्मति से आपात घोषित किया जायगा।

यही वह मुख्य बातें है जिन पर कि चर्चा की गई है तथा मेरे विचार में हम ने संतोषजनक फैसले किये हैं। यह समझौते काश्मीर की जनता की इच्छाओं के अनुकूल हैं तथा हमारे संविधान के अनुकूल हैं। मैं इस बात को दुहराना चाहता हूं कि इस में कोई अन्तिम बात नहीं तथा हम बाद में धीरे धीरे इस में विस्तार की बातें शामिल कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि इस समय काश्मीर तथा भारतीय संघ के आपसी सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद ३७० द्वारा अधिशासित हैं। उस राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश पूर्ण है। इस सम्बन्ध में लोगों के दिमाग में कुछ भ्रान्ति है। प्रवेश वस्तुतः तथा कानून की दृष्टि से पूर्ण है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य भारत का उसी तरह अंग तथा क्षेत्र है जैसे कि अन्य कोई राज्य है। जम्मू तथा काश्मीर के लोग भी अन्य राज्यों के लोगों की भांति ही भारत के नागरिक हैं। जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने जिन विषयों में भारत में प्रवेश

किया है वह सीमित हैं अथवा उस से कम हैं जो अन्य राज्यों पर लागू होते हैं; इसी बात से ऐसी कुछ गलतफ़हमी पैदा हो रही है कि उस राज्य का भारत में प्रवेश आंशिक है। परन्तु यह बात नहीं है। प्रवेश बिल्कुल पूर्ण है। वास्तव में, शुरू में इन सभी राज्यों ने इन्हीं तीन विषयों में प्रवेश किया था। यह हो सकता कि बाद में और विषय केन्द्र को सौंपे जायें, परन्तु हम ऐसे मामलों में अन्य सम्बन्धित पक्षों की सम्मति से काम करते आये हैं तथा हम आगे भी ऐसा ही करने की प्रस्थापना करते हैं। अब मेरे विचार में राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत इन परिवर्तनों को, जिनका कि हम ने सुझाव दिया है, लागू करने के लिये कुछ आदेश जारी करना होगा।

श्रीमान्, आप ने मेरे वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुनने का जो कष्ट किया है उस के लिये मैं आपका तथा सदन का आभारी हूं।

**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : श्रीमान्, २६ जून को माननीय प्रधान मंत्री ने बचन दिया था कि सदन को काश्मीर के विषय पर पूर्ण रूप से वाद विवाद करने के लिये अवसर मिलेगा। अभी बताये गये महत्वपूर्ण मामलों को दृष्टि में रखते हुए क्या उस बचन को पूरा करने का अवसर दिया जायगा ?

**श्री जवाहरलाल नहरू** : श्रीमान्, सरकार इन मामलों पर पूर्णतयः चर्चा अथवा विचार कराने के लिये कुछ समय अथवा एक दिन देने के लिये बिल्कुल तैयार है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य उतनी देर यहां ठहरने के लिये तैयार होंगे जितना कि इसके लिये तथा अन्य उद्देश्यों के लिये आवश्यक होगा।



## राज्य परिषद सें संदेश

**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सूचना देनी है कि निम्नलिखित संदेश राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त किया गया है :—

"राज्य परिषद के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम १२५ के उपवन्धों के सनुसार मुझे आपको यह सूचना देने का निदेश दिया गया है कि राज्य परिषद् ने अपनी २२ जुलाई १९५२ वाली बैठक में निम्न-लिखित विधेयकों को जिन्हें कि लोक सभा ने १६ जुलाई १९५२ वाली अपनी बैठक में पास किया था, बिना किसी संशोधन के स्वीकृत किया है:—

१, भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५२।

(२) रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) विधेयक, १९५२।

## रक्षित तथा वायु सेना विधेयक

**श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर)** : सदन के कल स्थगित होने से पूर्व मैं माननीय रक्षा मंत्री को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई दे रहा था। एक सक्षम सेना तैयार करने से ही हम शान्ति की रक्षा कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस पर अभी भी आई० सी० एस० अधिकारियों का पुरानी तरह राज है। रक्षा मंत्रालय के संघटन तथा विचार धारा में जरा भी परिवर्तन नहीं आया है। इस विधेयक के अन्त में जो वित्तीय ज्ञापन दिया गया है उसे पढ़ कर बड़ी निराशा होती है। इस के प्रथम पैरा में कहा गया है कि इस विधयक के सिलसिले में तुरन्त ही कोई विशेष धन व्यय नहीं करना रड़ेगा। किन्तु इसके तीसरे ही

[ श्री बी० दास ]

पैरा में कहा गया है कि इस रक्षित बल की संख्या उपलब्ध धन आदि बातों पर निर्भर होगी। इसके अन्तिम पैरा में भी आवश्यक स्थिति का उल्लेख किया है।

श्री उमा चरण पटनायक ने अपने भाषण में कहा कि कर-दाता का यह कर्तव्य है कि वह देश के लिये एक शक्तिशाली सेना तैयार करने के लिये धन उपलब्ध करें परन्तु ऐसी बात नहीं है। बजट में काफी धन की व्यवस्था है। लगभग २२७ करोड़ रुपये रखे गये हैं। मेरा सुझाव यह है कि सेना की तीनों शाखाओं के लिये एक उच्चतम प्रधान सेनापति होना चाहिये। तथा इस के साथ साथ सेना का विस्तार होना चाहिये। परन्तु मैं यह कभी नहीं चाहता हूं कि यह विस्तार अंग्रेज अफसरों की कमान में हो जैसे कि वायु सेना तथा जल सेना में हो रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षा मंत्रालय में प्रत्येक चीज़ पवित्र है तथा इसकी पवित्रता को हाथ भी न लगाया जाना चाहियें। मेरा निवेदन यह है कि हम ने सत्ता प्राप्त की है तथा हमें विश्वास में लिया जाना चाहिये, जिस से कि हम यह जान सकें कि जो भी काम वहां हो रहा है क्या वह भारत के हित में किया जा रहा है अथवा अंग्रेज अफसरों के हित में।

माननीय वित्त मंत्री चारों ओर मित-व्ययिता को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु रक्षा मंत्रालय उसी तरह काम कर रहा है जैसे कि यह आज २५ वर्ष पूर्व किया करता था। वह नहीं चाहते हैं कि कोई असैनिक व्यक्ति जिस में कि स्वयं रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, उनके प्रशासकीय रहस्यों को जान लें, उन्हों ने एक विभागीय समिति नियुक्त की, इस समय तक भी हमें मालूम नहीं कि उस समिति ने क्या कुछ काम किया है।

**रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी)** : मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वह मितव्ययिता के सम्बन्ध में अपने सुझाव इस समय न देकर उचित समय पर दें, जब कि मैं इन से लाभ उठा सकूंगा। इस समय तो हम केवल रक्षित वायु सेना विधेयक पर विचार कर रहें हैं।

**श्री बी० दास** : मितव्ययिता के सम्बन्ध में कुछ कहना मेरा कोई शगुल नहीं परन्तु मेरा यह निवेदन है कि यदि माननीय मंत्री गम्भीरता से इस बारे में सोच लेंगे तो वह श्री उमा चरण पटनायक के सुझावों के अनुसार २५ करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि यह विधेयक पास हो जाये तथा यह रक्षित सेना बनाई जाये तो अनुमानित अतिरिक्त व्यय कितना होगा ?

**श्री गोपालस्वामी** : श्रीमान, इसका अनुमान लगाना कठिन है। आरम्भ में व्यय कम ही हो, किन्तु यह बाद में सेना के बढ़ने के साथ साथ बढ़ भी सकता है।

**श्री बी० दास** : मुझे अपने मित्र में पूर्ण विश्वास है। मैं केवल यह चाहता हूं कि उनका मंत्रालय चौकस तथा कार्य-चतुर होना चाहिये जो कि वह इस समय नहीं है। वह अधिकांश रूप से अंग्रेज अफसरों के मश्वरे पर चलते हैं। वह भारत के लिये कैसे एक योग्य सेना तैयार कर सकते हैं ?

खंड ३३ में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सरकारी गजट में एक अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। यह हमें कानून बनाने का अधिकार दिया गया है ? कहीं भी इस बात का उल्लेख

नहीं किया गया है कि वह नियम संसद् के सामने रखे जायेंगे । १९४७ से ऐसी प्रथा चली आ रही है कि शेष अन्य सभी मंत्रालय इस प्रकार के नियम संसद् के समक्ष रखते हैं । मैं निवेदन करता हूं कि यह इस सदन का अधिकार है कि वह ऐसे सभी महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करे । वह यह नियम बनाने वाले कौन हैं ? यदि वह बनाते भी हैं तो उन्हें इस सदन का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिये । मुझे आशा है कि ज्यों ही संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की जायगी, वह माननीय मंत्री पर इस आशय का एक खंड विधेयक में रखने पर ज़ोर देंगे ।

यदि मेरे तरुण मित्र श्री पटनायक मेरी आयु के होते तो उन्हें अधिक अच्छी तरह मालूम होता कि १९२० में किस उद्देश्य से हमारे अंग्रेज शासकों ने सहायक सेना अधिनियम पारित किया था । इसका उद्देश्य अंग्रेजों तथा आंग्ल-भारतीयों को सशस्त्र करके जनता को दबाना था । उन दिनों में इस सेना को प्रायः हड़तालों तथा मज़दूर आन्दोलनों के दबाने के लिये प्रयोग में लाया जाता था । माननीय रक्षा मंत्री इस समय जो कुछ कर रहें हैं, उस पर मुझे प्रसन्नता है । हमें रक्षा मंत्रालय को पुनःसंगठित करना है । आज हमारे आई० सी० एस० सचिव हमारी सेनाओं के लिये शस्त्र खरीदने के लिये बाहर जाते हैं । क्या यह कोई विशेषज्ञ हैं ? क्या युद्ध सामग्री खरीदना सचिव का ही काम है ? यही मैं जानना चाहता हूं ।

हम यहां ब्रिटेन के पद-चिन्हों पर नहीं चल सकते हैं । हम में अभी अनुशासन तथा देश भक्ति की भावना उतनी व्यापक तथा उग्र नहीं जितनी कि ब्रिटेन के लोगों में है हमें यह नियम बनाना चाहिये कि हर कोई स्वस्थ व्यक्ति देश की सेनाओं में पांच वर्ष तक सेवा करे जिस से कि वह आपात में देश की रक्षा कर सके ।

जब तक कि हमारा सचिवालय उचित रूप से संगठित नहीं होगा तब तक हम देश की रक्षा के लिये कैसे प्रभावी रूप से लड़ सकते हैं । हमारे सचिव प्रतिक्रियावादी हैं, देश-विरोधी हैं तथा उन्होंने गत पांच वर्षों में भारत की रक्षा के लिये बहुत ही कम काम किया है, हमारे प्रश्नों के वही कुछ उत्तर दिये जाते हैं जो हम ने १९२५ में सुने थे । इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमें इसका अंगभंग करके नये सिरे से इसे स्थापित करना चाहिये । हमारे सचिव अंग्रेजों के सम्पर्क पर ज्यादा भरोसा रखे हुये हैं । घटिया किस्म की युद्ध-सामग्री खरीदते हैं जो कि बिल्कुल बेकार होती है । उन्हों ने करोड़ों रुपयों के व्यादेश दिये हैं और चार पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद माल अभी नहीं पहुंचा है । यह इनका सामर्थ्य है तथा यह इनकी बुद्धि है । आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मंत्रि-मंडल के तीन मंत्रियों को इस काम पर लगाइये कि वह इस बात की जांच करें कि रक्षा सचिवालय ने गत तीन अथवा चार वर्षों में कितनी गलतियां की हैं तथा कितना रुपया गंवाया है। इस तरह से आप २५ करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं । फ्रांस तथा इंगलैंड के महाजनों के पास इस समय भी हमारा करोड़ों रुपया पड़ा है जिसे कि देश के विकास कार्यों में आसानी से लगाया जा सकता है । आज हमारे वित्त मंत्री पूंजीपतियों के धन से नहीं अपितु हमारे जैसे गरीब लोगों के बचाये हुए धन से काम चला रहे हैं। मंत्रालय के कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वह इस धन को

[ श्री बी० दास ]

बेकार न गवायें । यदि इस अनुचित धन नाश को रोका जाये तो सहायक वायु सेना के लिये हमें अवश्य ही रुपया मिल सकता है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई खंड सचिवों की ओर भी निर्देश करता है ?

**श्री बी० दास** : यह विधेयक कैसे सफल रह सकता है जब तक कि आपके पास एक सक्षम व्यवस्था न हो इस के बिना प्रगति नहीं हो सकती । तो मैं माननीय रक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि बिगड़ी हुई स्थिति फिर ठीक हो सकती है यदि वह इस मंत्रालय पर अपना नियंत्रण रख सकेंगे तथा इसे आई० सी० एस० सचिवों से मुक्त करेंगे ।

**श्री धुलेकर** (जिला झांसी—दक्षिण) : श्रीमान, जहां मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं वहां मैं यह महसूस कर रहा हूं कि इस से उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी जिनके लिये यह प्रस्तुत किया जा रहा है । इस से सम्बन्ध वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि इस बल में अन्ततोगत्वा सात स्काडरन होंगे तथा प्रत्येक स्काडरन में लगभग १२ वायुयान तथा आवश्यक अधिकारी, चालक और अन्य लोग होंगे । 'अन्ततोगत्वा' शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है । हमें मालूम नहीं कि इतने थोड़े विकास में कितने वर्ष लग जायेंगे । यदि इसका श्रीगणेश इन ८४ वायुयानों से किया जाता तो भी कोई बात होती । परन्तु यह कहना कि अन्ततोगत्वा इस में ८४ वायुयान होंगे, यह एक दुःसह स्थिति है इस छोटे से हवाई बेड़े की सहायता से हम आपात में कैसे अपने वायु-बल में अविलम्ब विस्तार कर सकते हैं।

दूसरे विस्तार का कार्य कुछेक तत्वों से सीमित है । पहिले यह कि भारतीय वायु सेना कहां तक प्रशिक्षण की सेवाएं उपलब्ध कर सकती है । दूसरे यह कि इस कार्य के लिए प्रतिरक्षा बजट में कुल कितना धन उपलब्ध होगा । तो माननीय मंत्री हमें निश्चित रूप से यह नहीं बताते हैं कि इस विधेयक के पास होने पर वह क्या कुछ करेंगे ।

स्थायी रक्षित वायु सेना के सम्बन्ध में भी स्थिति अनिश्चित दी गई है । इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय मंत्री को चाहिये था कि वह इस बात का निश्चय करते कि इस रक्षित सेना की संख्या क्या होगी । यह संख्या क्या होगी, इसका फैसला करना अभी भी बाकी है । माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में आसानी से आंकड़े मिल सकते थे । सेना विभाग को मालूम है कि कितने लोग सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की सूची में हैं, तथा कुल कितने लाइसेंस-धारी है । हर किसी व्यक्ति के पास वायुयान नहीं होता है और न ही हर कोई व्यक्ति वायुयान चालक होता है । ऐसे लोग पंजीबद्ध होते हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि यह संख्या पहले ही प्राप्त की जा सकती थी । मैं महसूस करता हूं कि सदन के सामने सारे तथ्य नहीं रखे गए हैं ।

जहां तक वायु रक्षा रक्षित सेना का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि देश में असैनिक टैकनीकल व्यक्तियों की जनगणाना कराना बेकार है, हमें मालूम है कि देश की ३५ करोड़ जनसंख्या में से कई करोड़ लोग शारीरिक दृष्टिकोण से सैन्य-सेवा के योग्य हैं । हमें यह भी मालूम है कि बहुत से लोगों ने मैट्रिक पास किया है तथा बहुत से कालिजों में पढ़ रहे हैं । इन

बातों को ध्यान में रखते हुये टैकनीकल व्यक्तियों की जनगणना कराना निरर्थ दिखाई देता है ।

अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि यद्यपि यह विधेयक सही तथा आवश्यक आधार पर आधारित है ; फिर भी इसे और अधिक उदार बनाया जाना चाहिये था तथा उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये था कि युवकों को सहायक वायु-बल में अपने आप को भरती करने का अवसर मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस बल में अन्ततोगत्वा केवल सात स्काडरन होंगे, मैं इस विधेयक के बारे में अधिक आशावादी नहीं हूं । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री और अधिक तथ्य सदन के सामने रखेंगे तथा अपने इस निश्चय में संशोधन करेंगे कि अन्ततोगत्वा केवल सात ही स्काडरन होंगे । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन देंगे कि आरम्भ में इस में सात स्काडरन होंगे तथा पांच एक वर्षों में ही वह देश के सभी भागों में वायु-यान चालन प्रशिक्षण केन्द्र तथा टैकनालोजी के बड़े बड़े केन्द्र स्थापित करेंगे ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** (जिला प्रतापगढ़—पूर्व) : इस विधेयक का विषय बड़े महत्व का है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने अब एक ऐसा प्रबन्ध सोचा है कि जिस के जरिये से हमारे देश में रक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध थोड़े दिनों में हो सकेगा ।

जहां तक डिफैन्स (रक्षा) के प्रबन्ध का सम्बन्ध है यह बड़े महत्व की चीज है और इसी लिये हम इस पर अपने देश की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा लगाते हैं । लेकिन इस रक्षा के सम्बन्ध में मुझे विशेष रूप से यह निवेदन करना है कि इस में कई परिवर्तन करने की जरूरत है । पहले हमारे देश में और दुनिया में फौजों का बड़ा महत्व था । और अगर बहुत बड़ी फौज हो तो उस से हमारे बहुत से काम चल सकते थे । उसके पश्चात जहाजी बेड़े पर ज्यादा जोर दिया गया और बहुत वर्षों तक जहाजी बेड़े का स्थान बड़े महत्व का रहा । लेकिन थोड़े दिनों से न तो फौजों का वह स्थान रह गया है और न जहाजी बेड़े का वह स्थान रह गया है जो कि पहले था । इस वक्त जो सब से उच्चतम स्थान है वह हमारे हवाई बेड़े का है और हमारा जो बजट इस वक्त है उस को देखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि हम को अपने हवाई बेड़े पर जितना खर्च करना चाहिये उतना हम खर्च नहीं कर रहे हैं । अब भी हमारा खर्च दूसरे रास्तों पर ज्यादा हो रहा है और इस हवाई बेड़े पर हमारा खर्च कम है । इस में सन्देह नहीं है कि यह एक ऐसा बेड़ा है जिस को बढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है । इस में कुछ टैकनिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लोगों को तैयार करने की जरूरत होती है, उस में खासा समय लगता है । उतना समय तो जरूर लगाया जाय । लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना ध्यान अब तक नहीं दिया जा रहा है ।

यह जो रिजर्व हम बनाने चले हैं इस में भी हम बहुत सी शर्तें लगाते जा रहे हैं । हमारे यहां एक तो वैसे ही थोड़े आदमी हैं जो इस रास्ते पर ट्रेन्ड (प्रशिक्षित) हैं । उनकी संख्या बहुत कम है । जब तक हम इस को बहुत आकर्षक नहीं बनायेंगे तब तक हम काम करने वालों की खासी संख्या नहीं पा सकते । पहले इस के कि हम

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

रिजर्व पर ध्यान दें आवश्यकता तो यह है कि जगह जगह पर फ्लाइंग क्लब (उड्डयन क्लब) खुले हों और दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशन्स हों जहां पर ऐसी ट्रेनिंग मिल सके। अगर इन इंस्टीट्यूशन्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग मिल सकेगी तो हमको हवाई बेड़े के लिये बहुत से लोग मिल सकेंगे। तो इस के पहले कि हम इन रिजर्वस को बनायें इन के लिये खासी तादाद बनाने के लिये यह आवश्यक है कि हम पहले कुछ प्रबन्ध करें कि हमारे नौजवानों को कहीं न कहीं क्लबों में या और इंस्टीट्यूशन्स में इस चीज की शिक्षा मिले और इस शिक्षा के लिये हम को अपने बजट में यह प्रबन्ध करना पड़ेगा कि उसका काफी हिस्सा इस बात पर लगाया जाय। जैसा कि मैंने निवेदन किया हमारे यहां जो तीन शाखायें हैं जिन पर हम रक्षा के सम्बन्ध में खर्च करते हैं, उन में से हवाई बेड़े पर हम को सब से ज्यादा खर्च करना चाहिये। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि जो विधेयक हमारे सामने रक्खा गया है वह बड़ा आवश्यक है और मैं समझता हूं कि हमारे जितने साथी हैं वह सब इसका स्वागत करेंगे। लेकिन इस का स्वागत करते हुए भी हम देखते हैं कि जितनी सहूलियत लोगों को इस में दाखिल होने के लिये दी जानी चाहियें वह सहूलियतें नहीं दी गई हैं। बहुत से लोग जो कि इस काम के सह हो सकते हैं वह नौकरियों में लगे हुए हैं। उन को वह नौकरियां छोड़ कर इस काम पर आना पड़ता है। जब वह आते हैं तो उन के रास्ते में तरह तरह की अड़चनें पेश आती हैं और यहां से लौट कर जाने पर उन को अपना काम मिलने में मुश्किल होती है। यहां से लौट कर जाने पर उन को अपना स्थान भी नहीं मिलता, जो वेतन उन को मिलना चाहिये वह नहीं मिलता, कभी कभी वह तरक्की जो कि वह वहां रह कर कर लेते वह नहीं मिलती है। इस वजह से बहुत से लोग जो कि स्थान पा गये हैं वह आने की सोचते नहीं हैं। इस लिये जो लोग कि बेकार हैं वह इस तरफ आते हैं। और जैसा कि हम ने शुरू में निवेदन किया ऐसे लोग जो कि बेकार हैं उन की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। उन की कोई शिक्षा नहीं होती है। वह इस में कारगर नहीं हो सकते। तो इस को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है कि हम को वेतन या और जो कुछ भी दे सकते हैं उस में काफी लिबरल (उदार) रहें और ज्यादा देने की कोशिश करें। तो एक बात तो हम को यह करनी चाहिये।

दूसरी बात यह कि हम उन पर जो दुनिया भर के प्रतिबन्ध लगा रहे हैं वह नहीं होने चाहियें। एक प्रतिबन्ध जो मैं ने विशेष रूप से देखा वह यह है कि ३७ वर्ष से ऊपर के लोग तो इस में लिये ही नहीं जायेंगे। मैं समझता हूं कि ३७ तो क्या ४०, ४५, या ५० वर्ष तक के लोग इस में आसानी से काम कर सकते हैं। चूंकि हमारे यहां शिक्षित आदमियों की कमी है इस लिये मैं समझता हूं कि यह उम्र का जो प्रतिबन्ध है वह बढ़ा दिया जाये। मैं नहीं जानता कि इस पर जो हमारे टैकनिकल ऐक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हैं वह क्या राय रखते हैं। अगर यह असम्भव है कि उस उम्र से ज्यादा वाला कोई काम कर ही नहीं सकता है तब तो दूसरी बात है लेकिन आम तौर पर जैसा हम देखते हैं यह असम्भव नहीं मालूम होता है।

अब सब से पहली आवश्यकता जो कि संख्या के बारे में है उस में तो

दिक्कत है ही । इस के अलावा उन के पास कोई सामान भी नहीं होता । हमारे यहां एयर क्राफ्ट (वायुयान) के तैयार करने का कोई प्रबन्ध नहीं है जिस से कि हम इस बढ़ती हुई संख्या को, इस बढ़ती हुई ताकत को, सामान पहुंचा सकें और अपना बेड़ा स्वयं बना सकें । यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि यह सामान हमारे देश ही में तैयार हो । अगर हम इस बात पर ध्यान देना जरूरी समझते हैं तो हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर चला जायगा । इन मशीनों के बनने में इस तेजी के साथ तरक्की हो रही है कि दो तीन साल बाद हमारी मशीनें बेकार हो जाती हैं । क्योंकि उन से बहुत तेज जाने वाली और बहुत अच्छी मशीनें दूसरे देशों में बनन लगती हैं । तो इस लिये हम को इस पर भी ध्यान देना होगा कि कितनी जल्दी जल्दी हम को बदलना पड़ेगा । और कितना रुपया इस पर खर्च होगा । तो जैसा मैं ने निवेदन किया कि जिस रास्ते पर हम चलने को तैयार हो रहे हैं इस में बहुत रुपया खर्च होता है । इस प्रश्न को हम को सोच लेना चाहिये । अब तक अपने समुद्री बेड़े के लिये जिस तरह हम विदेशों पर निर्भर रहे हैं उसी तरह इसमें न रहें । अभी हमारे ऐक्सपर्ट और सलाहकार वहीं से आते हैं और हम उन्हीं पर निर्भर रहे हैं । अगर इस एअर फोर्स (वायु-सेना) के बारे में भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो एक समय ऐसा आयेगा कि हम अपने को बेबस पायेंगे ।

इस वास्ते आवश्यक यह है कि एक तो रुपये का प्रबन्ध होना चाहिये । इस में ज्यादा फंड दिया जाय और यहां पर इस के सामान के तैयार करने का भी प्रबन्ध किया जाये ।

तीसरी बात यह है कि जो लोग इस में आवें जहां कहीं से भी जावें वह जिस जगह से भी आवें जहां कि काम कर रहे हों तो वहां से आने पर यहां भी उन की सहूलियत का प्रबन्ध होना चाहिये । और इस में जब तक रहें तब तक उन को ऐसा वेतन मिले जो कि आकर्षक हो । तभी लोग इस में आ सकते हैं । फिर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उन को अगर ढीला कर दिया जाये, हटा लिया जाये, तभी हम थोड़े दिनों में शायद इस काबिल हो सकें कि हम और देशों के मुकाबिले में आ सकें ।

जैसा मैं ने निवेदन किया अब तक इस में खर्चा बहुत कम हो रहा है । मैं समझता हूं कि यह बार बार मंत्री जी के सामने भी आ चुका है और इस सदन के सामने आ चुका है कि जहां तक इन तीन शाखाओं के खर्चों पर हम ने गौर किया है जो आवश्यक अंग है उन पर खर्चा कम हो रहा है । इस खर्चे में हम को इस तरह एडजस्टमेंट (समन्वय) करना चाहिये कि हम खर्चा अधिकतर एयर फोर्स पर अपने हवाई बेड़ों पर, करें । इस में मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि फाइनेंस (धन) के लिये जो पैसे के मुहय्या करने का प्रबन्ध इस में जो बताया गया है उस से जान पड़ता है कि हमारी सरकार का का ध्यान इस में केवल इतना ही है कि एक छोटा सा कोई रिजर्व बन जाये । ऐसा नहीं है कि एक इस तरह का रिजर्व बने जिस में इतनी शक्ति हो, जिस की इतनी संख्या हो कि जो हमारे देश की रक्षा के लिये पर्याप्त हो सके । मैं निवेदन करूंगा कि इस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये, पैसे के बारे में, और यहां सामान बनाने का भी प्रबन्ध होना चाहिये और जो प्रतिबन्ध हैं उन को हटा कर संख्या को बढ़ाने का प्रबन्ध करना चाहिये ।

**श्री ए० सी० गुहा** (शान्तिपुर) : मेरे विचार में इस विधेयक की उपयोगिता के बारे में कोई मतभेद नहीं। शिकायत केवल यह की गई है कि इसका क्षेत्र संकुचित है। तथा इसे देर में प्रस्तुत किया है। वर्तमान युग में किसी देश की रक्षा व्यवस्था में वायु-सेना का क्या स्थान है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि यह विधेयक हमारी उद्देश्यपूर्ति के लिये अपर्याप्त है।

१९४९ में थल सेना के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का एक अधिनियम पास किया गया जिस का उद्देश्य प्रादेशिक सेना का संघठन था। इस अधिनियम का कुछ ही महीने पहले संशोधन किया गया। किन्तु इस संशोधन के बावजूद यह जनता में उत्साह पैदा नहीं कर सका है। माननीय मंत्री ने भी एक प्रश्न के उत्तर में इस तथ्य की ओर संकेत किया। इसका कारण केवल यह है कि कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में भरती होने के लिये उचित सुविधाऐं नहीं दी जाती हैं। सरकारी दफ्तरों में भी ऐसा ही हाल है। मुझे आशंका है कि कहीं इस विधेयक का भी ऐसा ही हाल न हो। मुझे मालूम नहीं कि क्या माननीय रक्षा मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकेंगे कि जो कर्मचारी इस सेना में भरती होने के इच्छुक हों उन्हें सेवा, प्रतिकर तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रतिभूति दी जायेगी यदि उनके नियोजक उन्हें स्वेच्छा से यह सुविधाऐं देने के लिये तैयार न होंगे। इस बात का हमें आश्वासन मिलना चाहिये।

विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के लिये जोकि आदेशों का पालन न करें, १,०००, रुपये तक का दंड तथा कुछ मामलों में छे महीने कारावास का दंड रखा गया है। मुझे मालूम नहीं कि क्या माननीय मंत्री के लिये विधेयक में यह उपबन्ध रखना सम्भव है कि कोई भी वालंटीयर जो इस रक्षित सेना में भरती होगा, स्थायी सशस्त्र सेनाओं के अनुशासन का पाबन्द होगा तथा किसी आदेश का पालन न करने की दशा में उसके साथ वही व्यवहार किया जायेगा जो स्थायी सेना के सैनिकों के साथ इसी प्रकार की दशा में किया जाता है।

खंड २६ के उप-खंड (४) में कहा गया है कि वह नियोजक दंड का भाजन होगा जो अपने किसी कर्मचारी की सेवायें, उसके 'भरती आदेश' के जारी होने के बाद समाप्त करेगा। लेकिन इस बात की भी सम्भावना है कि वह नियोजक 'भरती आदेश' जारी होने से पहले ही किसी न किसी तरह से यह जान जाये कि अमुक कर्मचारी भरती होने जा रहा है तथा इस कारण से उसकी सेवायें पहिले ही समाप्त कर दें। मेरा निवेदन यह है कि यदि कोई नियोजक 'भरती आदेश' के जारी होने से सात दिन पहिले अपने भरती होने वाले कर्मचारी की सेवायें समाप्त करेगा तो उसे भी दन्ड मिलना चाहिये।

प्रादेशिक सेना अधिनियम में उपबन्ध रखा गया है कि केन्द्रीय सरकार के विशेष अथवा साधारण आदेश के बिना किसी अधिकारी अथवा भरती हुये व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर सैन्य-सेवा पर नहीं भेजा जायेगा। किन्तु इस सहायक सेना के सम्बन्ध में उपबन्ध यह रखा गया है कि भरती हुये व्यक्तियों को भारत में अथवा आपात में भारत से बाहर सैन्य सेवा पर लगाया जायेगा। मुझे मालूम नहीं कि इन दोनों का उद्देश्य एक होते हुये भी इनकी भाषाओं में यह अन्तर क्यों रखा गया है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें।

कई माननीय सदस्यों ने आशंका प्रकट की कि कहीं इस विधेयक का भी वैसा ही हाल न हो जैसे कि कई अन्य अधिनियमों का हुआ है। यहां पास करा कर उन्हें ताक पर रखा गया है। मेरे विचार में इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इसे एक निश्चित समय के अन्दर अन्दर, हो सके तो नये वर्ष से पहले पहले, क्रियान्वित किया जायेगा।

मुझे आशा है कि प्रवर समिति इस विधेयक में उचित सुधार करके उन शिकायतों का निवारण करेगी जिनका इस सदन में उल्लेख किया गया है।

**बाबू रामनारायण सिंह**: मेरे पीछे बैठे हुए मित्र चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी में बोलूं, लेकिन मैं उन को बतलाऊं कि कोई न कोई सदस्य तो यहां पर ऐसा होना ही चाहिये जो हिन्दी में भी बोले, चाहे फिर मेरे उन दोस्तों को उस के समझने में कुछ दिक्कत हो क्यों न पड़े, उन को थोड़ा थोड़ा कर के समझने की कोशिश करनी चाहिये। अब हालात बदल गये हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और इस लिये यहां पर अब हिन्दी में भाषण होने चाहिये। आज भी अंग्रेजी में बोलने का अर्थ होता है कि लोगों को अब तक गुलामी से मुहब्बत है, इस लिये जहां तक संभव हो, हिन्दी में ही लोगों को बोलना चाहिये।

अब मैं अपने असली विषय पर यानी इस विधेयक पर आना चाहता हूं। यह विधेयक ऐसा है जिस का मैं विरोध तो कर ही नहीं सकता, और मैं इस का किसी न किसी रूप में समर्थन ही करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा विधेयक नहीं आया है जिस का हम लोग सब दिल से समर्थन कर सकें। कल श्री पटनायक ने बड़ा सुन्दर भाषण दिया यहां तो जो कोई बिल या विधेयक किसी डिपार्टमेंट (विभाग) के सम्बन्ध में आता है, उस में तो यही रहता है कि डिसिप्लनरी ऐक्शन (अनुशासनात्मक कार्यवाही) कैसे लिया जाय और उस का उल्लंघन करने वाले को कितनी सजा दी जा सकती है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमें देश की रक्षा करने के वास्ते जबरदस्त से जबरदस्त प्रबन्ध करना चाहिये। मैं इस के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन अब तो हमारी अपनी सरकार है और हमें रक्षा के हेतु सिर्फ सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि आज भी सरकार और जनता के बीच एक दीवार बनी हुई है और सरकार एक चीज है और जनता एक दूसरी चीज है, इन दोनों के बीच में कोई विशेष सम्बन्ध, या उन की दूरी में कोई घटाव हुआ हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है इसी के साथ सरकार उसी पुरानी रीति से चल रही है और यह मालूम नहीं पड़ता कि सरकार चल रही है, क्योंकि उस का चलने का अपना एक अलग ढंग है। सरकार तेज़ चलती है या किस तरह चलती है यह किसी को पता नहीं है, वह तो जैसे वायु चलती है और पानी बहता है, उसी प्रकार सरकार भी इस देश में चल रही है। होना तो यह चाहिये कि सेना सम्बन्धी जितने भी विधेयक यहां आये उस में ऐसी ऐसी बातें रहनी चाहियें जिस का सारे देश में जनता के भीतर प्रचार हो, ताकि जनता भी यह महसूस करे कि उस को भी देश के प्रति और रक्षा की जिम्मेदारी है, रक्षा करने का काम सरकार का तो होता ही है, लेकिन सरकार तो रोज आती जाती रहती है, और इस देश में कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है कि जिस वक्त कोई भी सरकार न रहे, इस लिये हम को सारे देशवासियों को तैयार करना है, और ऐसे

[बाबू रामनारायण सिंह]

वक्त और अवसर के लिये भी तैयार करना है, हर व्यक्ति को तगड़ा और मजबूत बनाना है कि अगर जरूरत हो तो वह अपनी तथा अपने देश की रक्षा स्वयं कर सके। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सारे देश में एक सैनिक भाव फैलाना चाहिये सब कोई बहादुर हों, सब कोई मजबूत हों, और सब के हृदय में अपनी रक्षा अपने आप करने की भावना उत्पन्न हो। सभापति महोदय इस में कोई शक नहीं कि एक जमाना था कि हमारा देश बहादुरी में दुनिया में सब से प्रसिद्ध था, लेकिन दुर्भाग्य से और भेद भाव के कारण हमारा देश उत्तरोत्तर कमजोर होता गया और गुलाम हो गया और गुलाम हो जाने के बाद तो अब कोई कुछ करने की बात तक नहीं जानता, अपनी रक्षा स्वयं करना नहीं जानते और उस के लिए कभी पुलिस और कभी पलटन की तरफ ताकते हैं। मैं चाहता हूं कि समय बदलने के साथ साथ हमारा देशवासियों में से यह भाव भी निकल जाना चाहिये और उन्हें समर्थ बनना चाहिये। और हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिये कि उसे स्वयं अपनी ही रक्षा नहीं करनी है, बल्कि समय पड़ने पर उसे अपने गांव अथवा देश की रक्षा का भी काम करना है। लेकिन आप का जिस तरह से आज तक काम चल रहा है, उस से मुझे तनिक भी संतोष नही है। करीब चार अरब रुपये इस देश की आमदनी है और सब का सब सरकार खा जाती है, और उस रकम से देश को क्या लाभ पहुंचता है, यह बतलाना मुश्किल है।

लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो फौज में खर्च होता है उस का सद्व्यवहार होता है। हमारे भाई बी० दास ने कहा कि रुपया बहुत बर्बाद होता है। मैं कह सकता हूं कि या तो इस सरकार को रुपया खर्च करने की अक्ल नहीं है या इस में ईमानदारी नहीं है। देश का रुपया तो सरकार पानी की तरह सब जगह बहा रही है! लेकिन और विषयों पर जो रुपया बर्बाद होता है वह बहुत खटकता है। फौज के सम्बन्ध में जो खर्च होता है। उससे दूसरी बात होती है। उस से कुछ तसल्ली होती है कि फौज में जो गये हैं वह देश के लिये मरने वाले हैं और जरूरत होगी तो वह देश के लिये मरेंगे, इस वास्ते इस विषय में जितना भी खर्च हो उस के लिये तसल्ली होती है। फिर भी, जैसा हमारे भाई बी० दास ने कहा है, हमारे आनरेबुल मंत्री को इस बारे में चेष्टा करनी चाहिये कि खर्च ठीक ठीक हो। अब तक जिस तरह का प्रबन्ध होता आया है वैसे नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात है। अब तक सेना के सम्बन्ध में, चाहे गगन सेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो, जो सैनिक लोग हैं उन को सन्तुष्ट रखने का प्रबन्ध नहीं किया गया है। जहां तक मुझे खबर है सेना के लोग कतई सन्तुष्ट नहीं रहते हैं। इस देश का इतना रुपया खर्च होता है तो भी वह लोग सन्तुष्ट नहीं किये जाते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि इस कानून के मुताबिक सरकार नियम बनायेगी और उस के अनुसार बहुत बहुत काम होंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं आप से कहना चाहता हूं कि अब से कुछ पहले की बात है, मैं ने पेन्शन के बारे में एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के उत्तर में मुझ से कहा गया कि पेन्शन देना किसी कायदे या कानून के मुताबिक नहीं है, पेन्शन देना सरकार की मर्जी पर है। उस वक्त कहा जाता था कि यह तो एक प्रोरोगेटिव (परमाधिकार) है।

**वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी)** : वह आप से किस ने कहा ?

**बाबू रामनारायण सिंह** : वह मैं कहता हूं । सन् १९४६ ई० में मैं ने प्रश्न किया था कि जो पेन्शन सैनिक लोगों को दी जाती है वह किस कायदे कानून के मुताबिक दी जाती है । इस के लिये सैनिक लोगों को कोई अख्त्यार या कोई हक है कि सरकार की मर्ज़ी से दी जाती है । उत्तर में मुझ से कहा गया कि नहीं यह अधिकार का कोई मामला नहीं यह बादशाह के परमाधिकार की बात है ऐसी बात कही गई थी । अब तक हमारे पास सैनिक आते रहते हैं और बहुत तरह से अपने कष्ट कहते हैं कि हमारी पेन्शन इस तरह से बन्द हो गई और आज जब आप कानून बनाने का अधिकार लेते हैं कि नियम बनायेंगे तो उस में प (वेतन) ऐलाउन्स (भत्ते) वगैरह तो है कि वह मिलेगा, उस के लिये नियम बन गये, लेकिन नौकरों को पेन्शन मिलेगी, इस सम्बन्ध में कहीं भी नियम बनाने की बात नहीं कही गई । इस के लिये नियम तो होना ही चाहिये क्योंकि इस से लोगों को बड़ा कष्ट है और याद रहे कि इस के बिना लोगों को बहुत नाराज़गी है । यह अंगरेज़ी राज का ज़माना नहीं है कि जब कह दिया गया था कि यह रायल प्रोरोगेटिव है, सरकार की मर्ज़ी है कि पेन्शन दे या न दे या जब चाहे जितनी कर दे । अब तो हमारा कान्टिट्यूशन (संविधान) चल रहा है, आज प्रेरोगेटिव किस का हो, रक्षा मंत्री जी का नहीं किसी सरकार का नहीं यहां तो सारे देश की बात है । देश में जितना काम होगा वह नियम और कानून के मुताबिक होगा । जिस तरह से आज हो रहा है वह ठीक नहीं है । मैं तो रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि उन को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जो पेन्शन लोगों को मिलती है । वह किस नियम से मिलती है । और जो पेन्शन बन्द कर देने या बन्द कर के फिर से जारी कर देने का काम होता रहता है वह किस नियम के मुताबिक होता है । जैसा प्रबन्ध मैं आज देख रहा हूं वह तो सब गड़बड़ है ही, इस में कोई शक नहीं है । अब एअर फ़ोर्स (वायु सेना) का कमाण्डर इन चीफ (प्रधान सेना पति) दूसरा रक्खा गया.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य विस्तार की बातों पर चर्चा कर रहे हैं । निवृत्तिवेतन के सम्बन्ध में जो नियम शेषसेना पर लागू होंगे वह यहां भी होंगे ।

**बाबू रामनारायण सिंह** : मेरे कहने का मतलब यह था कि जब नियम बनाने जा रहे हैं कि जो लोग इसमें काम करेंगे उन को इनता वेतन मिलेगा, इतना भत्ता मिलेगा तो उस के बाद यह भी लिखना चाहिये कि उस की सर्विस के बाद उस को पेन्शन क्या मिलनी चाहिय । इस वास्ते मैं ने कहा कि ऐसी बातें हमारे पास बहुत बार आई हैं और बराबर आती रहती हैं । और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो डिस्चार्ज्ड सोल्जर्स (निकाले गए सैनिक) हैं, जो नौकरी से हटाये हुए सिपाही हैं उन के बीच में तो बहुत ही असन्तोष हैं । मैं इस वास्ते कर रहा हूं कि पेन्शन नियम के मुताबिक लोगों को मिले जिस में यह अन्तोष न रहे । और जैसा कि हमारे उमाचरण पटनायक कह रहे थे कि फ़ौज में जो भर्ती होती है वह सारे देश से नहीं होती है, किसी किसी राज्य या प्रान्त से होती है, किसी से नहीं होती है लेकिन मैं समझता हूं कि और जैसा मैं ने पहले भी कहा हम लोगों को यह मालूम नहीं रहता कि कब सेना में नई भर्ती होती है और कब लोगों के भर्ती के लिये दरख्वास्त देनी चाहिये मैं समझता हूं कि जैसे थल सेना के लिये है, जल सेना के लिये है उसी तरह गगन सेना के लिये भी सब सूबों म और सब ज़िलों म

[बाबू रामनारायण सिंह]

ऐडवाइजरी बोर्ड (सलाहकार बोर्ड) बनना चाहिये न कि केवल गगन सैनिक शिक्षा केन्द्रों में। मैं तो कहता हूं कि भर्ती के सम्बन्ध में सब जगह, कम से कम हर ज़िले में एक एक संस्था रखनी चाहिये जो अपने अपने इलाके में भर्ती का काम करे और जिस तरह थल सेना में भर्ती होती है, जल सेना में भर्ती होती है उसी तरह गगन सेना में भी भर्ती का काम हो। सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार का काम है कि देश को तैयार करे। केवल ऐसी बात न हो कि जो सरकार हो उसी की रक्षा होती रहे और देश के बारे में कोई सवाल न हो। सरकार का काम है कि वह देश की रक्षा करे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सच्ची सरकार का काम है कि जनता को सुसज्जित करे आर्म्स (शस्त्रों) से। मेरा तो यह विचार है कि केवल पलटन से काम नहीं चलेगा, देश में सब लोगों के दिल में रक्षा का भाव आयेगा तभी ठीक होगा। लेकिन आप न तो आर्म्स ऐक्ट (शास्त्र अधिनियम) लगा रक्खा है। कांग्रेस में हमेशा यह पास होता था कि जो आर्म्स एक्ट है उसे उठा देना चाहिय। लेकिन वह लगा रक्खा गया है। उस के लिये प्रश्न भी किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार को चाहिये कि देश को तैयार करे और इस तरह से तैयार करे कि अगर ज़रूरत हो तो सरकार को भी हटा कर दूसरी सरकार कायम करे। मैं तो इसी तरह की सरकार को सच्ची सरकार कहूंगा। और यह नहीं कि लोगों को इसलिये तैयार किया जाये कि सरकार की रक्षा होती रहे और ज़रूरत हो तो दूसरा काम भी हो सकता हो तो हो जाय। यहां तो जो जो काम होता है और जब जब काम होता है उसमें यही लक्ष्य रहना चाहिये कि देश के लोगो को देश की रक्षा के लिये देश के हित के लिये तैयार किया जाय। अभी यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाने वाला है। मैं देखूगा कि इस में क्या संशोधन होता है और जो जो कमियां हमारे साथियों न बताई हैं वह कहां तक पूरी की जाती हैं। यह भी देखना है। लेकिन इस का विस्तार होना चाहिये और ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि इस पर ठीक से खर्च हो सके।

अभी हमारे भाई बी० दास ने कहा कि इस में सरविस वाले और आई० सी० ऐस० वाले काम करेंगे। उन को मालूम होना चाहिये कि अब आई० सी० ऐस० लोग तो मंत्री तक हो रहे हैं, फिर अगर वह सेक्रटरी और दूसरो जगहों पर हों तो इस में कौन भारी बात है।

एक बात और हमारे भाई बी० दास जो ने यह कही कि इस में सेक्रेटेरियट (सचिवालय) की प्रधानता है। इस विषय में, अध्यक्ष महोदय, आप न भी टीका टिप्पणी की थी। यह देश का दुर्भाग्य है कि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि सेक्रेटेरियत ही असली चीज है। जो कुछ सेक्रेटेरियट कहता है वही य मंत्री लोग करते और जो कुछ ये मंत्री लोग कहते हैं यह पार्लियामेंट करती है। तो सेक्रेटेरियट तो असली चीज़ है। और जब तक सेक्रेटेरियट ठीक नहीं किया जायगा तब तक देश का काम ठीक से नहीं चल सकता और न किसी डिपार्टमेंट का काम ठीक से चल सकता है। यह तो दुःख और लज्जा की बात है कि देश स्वतन्त्र होने के बाद भी वही सेक्रेटेरियट जो हम पर पहले हकूमत करती थी उसी सेक्रेटेरियट की आज भी हकूमत हो रही है चाहे सेना विभाग हो, चाहे शासन विभाग हो चाहे और कोई विभाग हो। तो यह बात खत्म होनी चाहिये। पार्लियामेंट की प्रधानता होनी चाहिये। पार्लियामेंट की

प्रधानता तभी होगी जब सब लोग मिलेंगे जब तक यह दलबन्दी रहेंगी पार्लियामेंट की प्रधानता नहीं हो सकती है।

**श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर)** : प्रस्तुत विधेयक देखने में तो प्रशंसनीय लगता है परन्तु रक्षा विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने इस समय तथा इस से पहले के अवसरों पर जो विचार प्रकट किये हैं उन्हें ध्यान में रखते हुये इसकी सफलता तथा उद्देश्यों के बारे में कुछ संदेह उत्पन्न होता है।

खंड २४ में बताया गया है कि इन सेनाओं को तीन प्रयोजनों के लिये बुलाया जा सकता है। (१) सामयिक प्रशिक्षा तथा स्वास्थ्य परीक्षा के लिए (२) असैनिक प्रशासन की सहायता के लिए तथा (३) भारत में तथा आपात में भारत से बाहर विमान-बल से सम्बन्धित सेवा के लिए। जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है इस पर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं हो सकती है। दूसरी बात के बारे में लोगों के मन में अवश्य ही कुछ आशकांए उत्पन्न होंगी। वहीं सत्ताधारी दल अपने विरोधियों के दमन के लिये इन सेनाओं को अनुचित रूप से प्रयोग में न लाये। प्रवर समिति में इस बात पर पूर्णतयः विचार किया जाना चाहिये। इसी तरह यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इन सेनाओं को किन उद्देश्यों के लिये आपात में विदेशों में भेजा जा सकता है। और भी एक बात है जिसकी ओर कई माननीय सदस्यों ने भी आप का ध्यान दिलाया है। यह इन सैनिकों की सेवा-स्थितियों से सम्बन्ध रखती है। एक सन्तुष्ट सेना ही कठिनाइयों का मुकाबला कर सकती है। तथा हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि कहीं अंग्रेजों के सिखिये अधिकारी इन की सेवाओं को अनुचित रूप से समाप्त तो नहीं करते हैं। सच तो यह है कि कई अधिकारियों ने देश की रक्षा की उपेक्षा करके लोगों को नौकरी से निकाल देने की इस शक्ति का दुरुपयोग किया है। जब तक कि हम उनकी इस मनोवृत्ति को न बदल डालेंगें जब तक ऐसी बातों के जारी रहने की सम्भावना है :

खंड २६ से यह बात स्पष्ट है कि जिन लोगों को स्थायी नौकरियों से बुला कर इन सेनाओं में काम करने के लिये कहा जायगा उन्हें अपनी पुरानी नौकरियां मिलने का कोई गारंटी नहीं। हमें मालूम है कि नियोजकों की हटधर्मी के कारण कितने स्थायी कर्मचारियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। ऐसी दशा में जनता, विशेषकर युवकों में उत्साह पैदा करना बहुत ही कठिन है। प्रवर समिति को इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये।

जब तक कि हम अपनी सेनाओं की विभिन्न शाखाओं में, विशषकर सैनिकों में संतोष की भावना पैदा न करेंगे तब तक इस प्रकार के कानूनों के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं। हमें मालूम है कि किस तरह वायुयान कम्पनियों ने वायुयान चालकों को नौकरी से निकाल दिया है। अभी कुछेक महीने पहिले समाचार निकला था कि बम्बई की एक वायुयान कम्पनी ने किस तरह से बहुत से विमान चालकों को नौकरी से निकाल दिया। मुझे मालूम नहीं कि क्या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं।

खंड ३३ में सरकार को नियम बनाने के अधिक व्यापक अधिकार दिए गये हैं। प्रवर समिति को चाहिये कि वह इन विहित अधिकारों को कुछ सीमित करे।

[श्री के० के० बसु]

यह विधेयक जिस सिद्धान्त के आधार पर तैयार किया गया है वह एक स्वस्थ तथा सुन्दर सिद्धान्त है । परन्तु इसके बावजूद मुझे इसकी सफलता पर शक है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्थिति का सुधार करके देश तथा युवकों में एक जोश अथवा उत्साह पैदा करें । हमें अपनी सेवाओं को राजनीतिक शिक्षा देने पर भी विचार करना होगा । हमें गत दो महायुद्धों से यह सबक सीख लेना चाहिये कि एक सचेत सेना ही कठिनाइयों का मुकाबला कर सकती है । परन्तु आजाद हिन्द फौज के फौजियों अथवा हड़ताली जहाजियों के साथ यहां जो दुर्गति हुई है वह हमें मालूम है । राष्ट्रीय सरकार का उनके साथ क्या व्यवहार रहा ? इन बातों को ध्यान में रखते हुये हमें अपनी नीति में परिवर्तन करके देश में राजनीतिक चेतना तथा राजनीतिक उत्साह पैदा करना होगा; तभी हमारे विधेयक हमारी रक्षा व्यवस्था में सहायक सिद्ध हो सकते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

**श्री गोपालस्वामी** : सदन ने जिस ढंग से इस विधेयक का स्वागत किया है उसके लिये मैं इसका कृतज्ञ हूं । मैं उन सुझावों के लिये भी आभारी हूं जो कि सदस्यों ने इस विधेयक में सुधार करने के उद्देश्य से दिये हैं । पहले पहल हम ने श्री उमाचरण पटनायक का भाषण सुना । मैं सदैव उनके रक्षा सम्बन्धी भाषणों को ध्यानपूर्वक सुनता हूं । उन्हों ने कई सुझाव पेश किये । उन्हों ने यहां की स्थिति का अन्य देशों की स्थिति से तुलना की तथा कहा कि हम ने भारत में सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीयकरण की समस्या पर पूर्णरूप से ध्यान नहीं दिया है । अंग्रेजों के शासनकाल में शब्द 'राष्ट्रीयकरण' का अर्थ सीमित था । इसका अर्थ सेनाओं में कुछ उच्च-पदों का भारतीयकरण था । परन्तु अब जो कुछ हम कर रहे हैं अथवा जो कुछ हमें करना चाहिये वह यह है कि सही अर्थ में सेना का राष्ट्रीयकरण हो । अंग्रेजों के शासनकाल में जो सेना कुछ विशिष्ट बातों के आधार पर भर्ती कर ली गई थी वह अब राष्ट्रीय सेना है । अंग्रेजों के चले जाने के बाद के समय से इस ने देश में बहुत सुन्दर काम किया है, इस ने राष्ट्र के हित में काम किया है, तथा जानकार लोगों से इसे जो शाबाश मिली है, यह उसकी पात्र है । अन्तिम वक्ता की बात सुन कर मुझे कुछ अचम्भा हुआ । उन्हों ने अपना विचार प्रकट किया कि हमारी सशस्त्र सेनाओं में असन्तोष की भावना फैली है, तथा हमें इस भावना के निवारण के लिये पग उठाने चाहियें और अपने सैनिकों में उत्साह तथा विश्वास की भावना पैदा करनी चाहिये । हमें क्या कुछ करना चाहिये, मैं इस सम्बन्ध में उन से सामान्यतया सहमत हूं । परन्तु उन्हों ने असंतोष आदि की जो बात कही है, उस से मैं चौंक पड़ा हूं । सशस्त्र सेनाओं तथा उन के अधिकारियों के साथ मेरा निकटतम सम्बन्ध केवल गत दो महीनों से चला आ रहा है तथा मैं यह बिना किसी झिझक के कह सकता हूं कि यदि हमारी सेनाओं में कोई भी बिशेष बात है तो वह उनकी अपने देश तथा अपनी सरकार के प्रति अटूट निष्ठा है । उन्हें कुछ शिकायतें हों जैसे कि हर कर्मचारी को हुआ करती है, परन्तु इसे 'असन्तोष' नहीं कहा जा सकता है । हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में यह शब्द प्रयोग में लाने में सावधानी बर्तनी चाहिये । यह न केवल अबुद्धिमतापूर्ण है अपितु निराधार भी है ।

मेरे माननीय मित्र श्री पटनायक ने बहुत ही दिलचस्प बातें कही हैं। इन में से बहुत ही कम बातें ऐसी हैं जिनका इस विधेयक द्वारा निवारण हो सकता है। अधिकांश बातों से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका हमें एक विस्तृत पृष्ठ-भूमि को दृष्टि में रखते हुए निवारण करना होगा। हमें इनकी उपलक्षणाओं पर विचार करना होगा तथा इस बात निश्चय करना होगा कि इन्हें कैसे न केवल गगन सेना पर अपितु जल सेना तथा थल सेना पर लागू किया जा सकता है। मैं उन्हें यह आश्वसन दे सकता हूं कि उन्होंने जो विचार प्रकट किये हैं, उन पर सविस्तार विचार किया जायगा तथा जो कुछ भी करना सम्भव होगा उसे यथा-सम्भव शीघ्र ही किया जायगा।

जहां तक मेरे पुराने मित्र श्री बी० दास के प्रश्नों का सम्बन्ध है, उन में से एक ही बात को वह मुख्यतयः कल तथा आज दुहराते रहे। इस देश के रक्षा प्रसाशन में उन्हें जो भी कमियां मिली हैं उनके लिये उन के मतानुसार आई० सी० एस० अधिकारी जिम्मेदार हैं जो कि रक्षा मंत्रालय को चला रहे हैं। उन्हों ने कुछ ऐसे 'अंग्रेजों' का उल्लेख किया जो आज २५ वर्ष पहले राज्य सचिव थे। उन में से कुछ लोग मुझे भी याद हैं तथा उन्हें भी याद हैं। उन आई० सी० एस० व्यक्तियों के लिये उन्हों ने जो विशेषण प्रयोग किये हैं उनके लिये चाहे जो कुछ भी औचित्य हो परन्तु हमारे अपने आई० सी० एस० व्यक्तियों के प्रति उनका रवैया न्यायोचित नहीं दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि वह अंग्रेजी शासन काल की संकुचित परम्पराओं के उत्तराधिकारी हैं। उन्हों ने कहा कि वह सशस्त्र सेनाओं से सम्बन्धित बातों की जानकारी नहीं रखते हैं। वह नीति-निर्धारण तथा कार्यारम्भ करते जिनके भावी परिणामों को वह देख नहीं सकते हैं। मुझे आशा है कि मैं ने उन के विचारों का संक्षिप्त ब्योरा दिया है। (**श्री बी० सी० दास** : किसी हद तक।) मैं केवल इतना कह सकता हूं कि दुर्भाग्यवश मेरे माननीय मित्र ने कभी भी इन आसनों को—शासकीय आसनों को—सूशोभित नहीं किया है।

**श्री बी० दास** : मैं वहां नहीं आना चाहता हूं।

**श्री गोपालस्वामी** : यदि हमारा सौभाग्य होता···

**श्री त्यागी** : इस से सारी स्थिति बदल जाती।

**श्री गोपालस्वामी** : इस से सारी स्थिति में भारी परिवर्तन आ जाता। अभी श्री त्यागी का उदाहरण हमारे सामने ही है। मेरा विश्वास है कि यदि मेरे माननीय मित्र मेरी जगह होते तो उनको आई० सी० एस० अधिकारियों की सहायता पर उतनी आपत्ति नहीं होती जितनी कि उन्हें आज है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि यह अधिकारी न केवल प्रतिभा तथा परिश्रम से काम करते हैं अपितु देशभक्ति से भी प्रेरित होकर काम करते हैं। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है तथा न ही मैं उनकी उन कार्यवाहियों के विस्तार में जाना चाहता हूं जिनकी ओर मेरे माननीय मित्र ने निर्देश किया है।

मैं हर उस बात की ओर निर्देश करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं जिस की वाद विवाद के दौरान में चर्चा की गई है। परन्तु और भी एक बात थी जिसकी ओर मेरे माननीय मित्र ने तथा श्री के० के० बसु ने भी निर्देश किया। यह इस

[श्री गोपालस्वामी]

विधेयक के खंड ३३ से सम्बन्ध रखती है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कार्यपालिका को स्वेच्छा से नियम बनाने के लिए अबाध शक्ति नहीं होनी चाहिये। निस्सन्देह उन्होंने इस पर केवल इस लिये आपत्ति की कि उन्हें आई० सी० एस० अधिकारियों से घृणा है जो कि उनके मतानुसार सचमुच शरारत करने वाले हैं किन्तु इस के उलट स्थिति यह है कि यद्यपि नियम सचिवालय में ही बनाये जाते हैं, नियम बनाने की शक्ति को सं ढंग से प्रयोग में लाया जाता है कि कहीं इन में उभयान्त विचारों को स्थान न मिले। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मंत्रालय को नियम बनाने हों तो वह उन्हें उन सभी लोगों से मशवरा करके बनाता है जिन्हें कि उन नियमों को कार्य रूप देना होगा। फिर इन नियमों को उन मंत्रालयों के पास भेजा जाता है जिनके नियमों के साथ इनकी किसी न किसी तरह टक्कर होती है। तथा अन्त में इन्हें संविहित नियमों के रूप में अधिनियमित किये जाने से पूर्व विधि मंत्रालय के पास भेजा जाता है, जहां इसका परीक्षण सम्भवतः भारत के महान्यायवादी द्वारा भी होता है। तो मेरे विचार में आई० सी० एस० अधिकारियों को शरारत करने की कोई खुली छूट नहीं, यदि वह ऐसी शरारत करना भी चाहते हों। परन्तु मैं अवश्य ही इस बात को भली भान्ति समझता हूं कि सचिवालय अथवा सचिवालयों में बनाये जाने वाले नियमों की जांच के लिये, आई० सी० एस० अधिकारियों के अलावा, कोई व्यवस्था होनी चाहिये जिस से कि उन पर नये विचारों की छाप पड़े। अब हम ने अधीनस्थ विधान समिति नाम की एक समिति स्थापित की है जिसके सदस्य इस सदन में से लिये जायेंगे। इसका एक काम यह भी होगा कि वह नियमों की, उनके अधिनियमित किये जाने से पूर्व, जांच करे! इस तरह से संसद् को इन नियमों के परीक्षण का मौका मिलेगा। मुझे नियमों को सदन पटल पर रखने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इस तरह से सदन का कोई भी सदस्य किसी भी नियम पर चर्चा कर सकता है; चाहे वह नियम पहिले के बनाये हुये हों अथवा प्रारूप अवस्था पर हों। हम प्रवर समिति में इस बात पर विचार तथा चर्चा करेंगे कि इस वांछनीय परिवर्तन को कार्य रूप देने के लिये क्या हम खंड ३३ में उचित संशोधन करेंगे।

मैं अब उस प्रश्न पर आता हूं जो कि मेरे माननीय मित्र श्री धुलेकर ने उठाया है। उनकी शिकायत है कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कोई विस्तार की सूचना नहीं दी गई है। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई है कि इन रक्षित सेनाओं में सैनिकों की संख्या क्या होगी, इनका आविर्भाव कब होगा तथा इसका पूर्ण विस्तार कितने समय में होगा। परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के दस्तावेज में इन बातों के सम्बन्ध में कोई सूचना देना सम्भव नहीं, यह विधेयक हमें केवल यह सेनाएं बनाने के लिए विधायिनी शक्ति प्रदान करता है। वह सम्भवतः हम से यह आशा रखते हैं कि हमें यह सूचना देने में समर्थ होना चाहिये। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि इस विधान के पास होने के बाद मेरा इसे ताक़ पर रखने का कोई इरादा नहीं। वास्तव में मेरा उद्देश्य इस काम को यथासम्भव शीघ्र ही आरम्भ करने का है। किन्तु इनका विकास काय जनता के सहयोग तथा उपलब्ध धन दो बातों

पर निर्भर है। इन शर्तों के सहित हमें इन सेनाओं की संख्या के सम्बन्ध में एक स्थूल अनुमान है। उदाहरण के रूप में मेरे रक्षा मंत्री के बनने से कई महीने पूर्व यह सूचना सदन की एक समिति को दी गई थी। स्थाई वायु रक्षित सेना की अधिकतम संख्या का अनुमान दल स्काडरन वाले बल के स्थायी कर्मचारी वृन्द के लगभग एक चौथाई भाग के बराबर लगाया गया था। मूल विचार तो यही था तथा मेरा विश्वास है कि सहायक वायु सेना के सम्बन्ध में प्रस्थापना यह थी कि एक ऐसा बल तैयार किया जाये जिस में ज्यादा से ज्यादा सात लड़ाके एवं बम-वर्षक स्काडरन हों। तथा यह बात छप हुये लेख्य में भी दी गई है। उस समय विचार यह था कि दो स्काडरन यथासम्भव शीघ्र ही बनाये जाएं तथा शेष १९५४ तक बनाये जाएं। उस समय अनुमान यही था तथा मैं अवश्य ही इस अनुमान के विस्तार में जाऊंगा जिस से कि ऐसे लक्ष्य निश्चित किये जा सकें जो कि वर्तमान पारस्थितियों में व्यवहार्य होंगे।

**श्री धुलेकर**: इस पर कितना व्यय होगा?

**श्री गोपाल स्वामी**: इसका अनुमान नहीं लगाया गया है। मुझे खेद है कि मैं यह नहीं बता सकूंगा।

**श्री धुलेकर**: कम से कम आरम्भ में दो स्काडरनों के लिये कितना होगा?

**श्री गोपालस्वामी**: विस्तृत विवरण अभी तैयार नहीं किया गया है।

वायु रक्षा (रक्षित) सेना के सम्बन्ध में इस विधेयक के बनाये जाने से पूर्व विचार यह था कि इसे धीरे धीरे संगठित करके इसमें सभी शाखाओं के ४०० अधिकारी तथा सभी श्रणियों के ४००० विमान सनिक भर्ती कर लिये जायेंगे। प्रति वर्ष इस में कहां तक विकास किया जायगा यह बात ऊपलब्ध जन धन पर निर्भर है। तो इस से आप हमारे स्थूल प्राक्कलनों का अनुमान लगा सकते हैं।

मेरें माननीय श्री गुहा ने खंड २६ का उल्लेख किया जिसका सम्बन्ध नियोजकों द्वारा अपने उन कर्मचारियों को सुविधा देने से है जो कि इन सेनाओं में प्रशिक्षा पायेंगे। मैं ने और भी एक अन्य अवसर पर इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की है। हम ने विमान बल के सम्बन्ध में भी वही उपबन्ध रखे हैं जो हम ने सेना के लिए रखे हैं

अपनी मूल नौकरी से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने के बाद कर्मचारी को पुनः अपने पद पर लगाने के सम्बन्ध में मेरे विचार में पर्याप्त संरक्षण रखे गए हैं। प्रतिकर सम्बन्धी उपबन्धों की कुछ आलोचना भी होगी। हम ने अधिकतम प्रतिकर छै महीने को उपलब्धियां रखी हैं। इस सम्बन्ध में भी कुमत भेद हो सकता हैं। इस बात पर हम अवश्य ही प्रवर समिति में विचार करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन उपलब्धियों में भी कुछ अन्तर होगा जो किसी व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी में मिलती हों तथा जो उसे इन सेनाओं में प्रशिक्षण काल के समय अथवा सेवा के समय मिलेंगी। जहां यक सरकारी विभागों का सम्बन्ध है कोई भी हमारे जारी किये गये अनुदेशों के विरुद्ध काम नहीं करेगा। हम ने उन्हें बताया है कि, जिस किसी भी कर्मचारी को वह इन सेनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते के लिए अथवा सेवा के लिये मुक्त करने हैं उसके सम्बन्ध में उन्हें यह कमी पूरी करने का प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिये। जहां तक प्राइवेट नियोंजकों का सम्बन्ध है इस में अवश्य ही कुछ कठिनाइयां हैं जिन पर कि पहिले भी एक दूसरे विधेयक के सिलसिले में सदन में विचार किया जा चुका

[श्री गोपालस्वामी]

हैं। इस समय तो हम नियोजकों की सद्भावना पर ही निर्भर करते हैं कि वह इस मामले में हम से सहमत होंगे। यह कमी पूरी करने के लिये क्या हम उन पर कोई संविहित दायित्व डाल सकते है; यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता है। कुछ भी हो। यदि माननीय सदस्यों के पास इस सम्बन्ध में कोई सुझाव हैं, तो हम प्रवर समिति में सहर्ष उन पर विचार कर सकते हैं।

श्री गुहा ने प्रश्न उठाया है कि इस विधेयक में जितने दंड का उपबन्ध रखा गया है क्या वह पर्याप्त है? वह इस बात के पक्ष में दिखाई दिए कि इन सेनाओं में भी दंड की व्यवस्था वही हो जो कि सशस्त्र बल के स्थायी सैनिकों के लिये ऐसे ही अपराधों के लिये रखी गई है। तर्किक रूप से इस पर कुछ कहा जा सकता है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह दूसरे दृष्टिकोण से भी इस पर विचार करें। हम बहुत से तरुण युवकों को इन रक्षित सेनाओं में शामिल करने के लिये उत्साहित कर रहे हैं। यदि हम इस विधान में उतने दंड का उपबन्ध रखें जिसे कि अत्यधिक समझा जाय—जनसाधारण में पहिले ही यह भावना फैली हुई है कि सशस्त्र बल के सैनिकों को जो दंड दिया जाता है वह उससे काफी कड़ा होता है जो कि असैनिक लोग सहन करने के असमर्थ हैं—यदि यह कहा जाता है कि हमें उस से अधिक कड़े दंड का उपबन्ध रखना चाहिये जिस का कि हम ने रखा है, तो इस पर भी प्रवर समिति में विचार किया जा सकता है।

भारत से बहार की सेवा के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं। यह प्रश्न मेरे मित्र श्री बसु ने उठाया। वास्तव में मैं श्री बसु तथा श्री गुहा दोनों की शंकाओं का समाधान कर सकता हूं। श्री बसु के मतानुसार खंड २४ के भाग (ख) का औचित्य संदेहपूर्ण है। उन्हें आशंका है कि कहीं इन रक्षित सेनाओं को सत्ता धारी दल अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिये प्रयोग में न लायें। इसी तरह उन्हें आशंका है कि कहीं इन रक्षित सेनाओं को भारत से बाहर इस उद्देश्य के लिये न भजा जाये कि वह वहां राजनीतिक आन्दोलनों को दबाने में वहां की सरकार की सहायता करें। (**एक मानीय सदस्य**: कभी भी नहीं।) इस सम्बन्ध में मैं एक बात पर ज़ोर देना चाहता हूं तथा वह यह है कि जो कोई भी सरकार देश का शासनभार सम्भाले हुये हो आप को उस के सद्भावों पर विश्वास करना होगा। इस प्रकार की विधि को लागू करने के सिलसिले में यह समझना अन्याय होगा कि इन रक्षित सेनाओं को राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिये प्रयोग में लाया जायगा। ऐसा कहना इस देश की किसी भी सरकार के प्रति अन्याय होगा। यदि कानून बनाने के लिये हमारे पास यही कसौनी है तो हम कोई भी कानून नहीं बना सकते ह। तो आप को कानून बनाने का काम किसी ऐसी संस्था के हाथ सौंपना चाहिये जो कि किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व न करती हो। फिर आप को यह विचार ही छोड़ देना चाहिये कि बहुमत दल देश का शासन करेगा। यह किसी भी संसदीय सरकार के लिये एक दुःसह स्थिति होगी।

जहां तक रक्षित सेनाओं के देश से बाहर भेजने का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है

कि हमारी प्रतिरक्षा नीति आक्रमणात्मक न होने के रक्षात्मक हैं। और यदि हमारे विमानबल को देश की सीमाएं छोड कर बाहर जाना होगा तो वह केवल हमारे देश की रक्षा के लिये ही किया जायगा। हमारा उद्देश्य किसी देश पर आक्रमण करने का नहीं होगा और न ही विदेशी सरकारों को वहां के राजनीतिक आंदोलन दबाने के लिये इस प्रकार की सहायता दी जा सकेगी। बताया जाता है कि प्रादेशिक सेना के सम्बन्ध में हम ने यह उपबन्ध रखा है कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना सैनिकों को बाहर नहीं भेजा जायेगा तथा इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गगन सेना इस मामले में स्थल सेना से भिन्न हैं। विमान-बल को तत्काल ही अपने फैसले करने होते हैं। कोई आपात उत्पन्न हो जाये तथा सोच विचार तथा केन्द्रीय सरकार के पास अनुमति की प्रार्थना करने तथा वह अनुमति प्राप्त करने का कोई मौका न मिले। हमें इस विशेष बात को समझना होगा। आप केवल यह मांग कर सकते हैं कि यदि वह देश की सीमाओं से बाहर जायेंगे तो यह केवल हमारे हितों की रक्षा के लिए तथा शत्रु को हमारे देश पर आक्रमण करने से रोकने के लिये होना चाहिये। हमें इस सम्बन्ध में गगन सेना को थल सेना की अपेक्षा अधिक आजादी देनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि मैंने यहां उठाए गए अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि, यदि सम्भव हो तो इस विधेयक को इसी सत्र में एक विधि का रूप धारण करया चाहिये। इसलिए हमने संयक्त प्रवर समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट इस सदन को पेश करने का आन्तिम दिनांक ३० जुलाई रखा है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य प्रवर समिति में इस पर निश्चित समय के अन्दर चर्चा समाप्त करने में हमें अपना सहयोग देंगे। पहिले यह एक संदेश के साथ दूसरे सदन में जायगा तथा हमें उनके उन दस सदस्यों के बारे में उन की सम्मति प्राप्त करनी है जो कि इस समिति के सदस्य होंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"इस विधेयक को दोनों सदनों के ३१ सदस्यों पर बनी एक संयुक्त समिति के हाथ सौंप दिया जाये जिन में से २१ सदस्य इस सदन के हों अर्थात् :--

मेजर-अनरल जगन्नाथ राव कृष्ण राव भोंसले, श्री शाहनवाज़ खां, सरदार सूरजीत सिंह मजीठिया, श्री पी० टी० चाको, श्री टी० अविनाशी लिंगम चेट्टियार, श्री टेकु सुब्रह्मण्यम, चौधरी रघुबीर सिंह, प्रो० निवारण चन्द्र लापूकर, श्री उमा चरण पटनायक, श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी, श्री हीरेद्रनाथ मुखर्जी, श्री गिरिराज शरण सिंह, श्री रायसम शेषागिरि राव, श्री रामेश्वर साहू, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, पंडित बालकृष्ण शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा श्री टी० आर० नेस्वी, श्री जयपाल सिंह, श्री अजीत सिंह तथा प्रस्तावक और राज्य परिषद से १० सदस्य ;

संयुक्त समिति की बैठक में गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक-तिहाई भाग होगी ;

समिति ३० जुलाई १९५२ तक सदन को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी;

अन्य मामलों के सम्बन्ध में संसदीय

[उपाध्यक्ष महोदय]

समितियों से सम्बन्धित इस सदन के प्रक्रिया नियम ऐसे फेर बदल के साथ जो कि अध्यक्ष को करना चाहिये, लागू होंगे; तथा

यह सदन राज्य परिषद् से सिपारिश करता है कि वह उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो जाये तथा उन सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को दे जो परिषद् द्वारा इस संयुक्त समिति के लिये नियुक्त किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## राज्य परिषद् से संदेश

**सचिव :** श्रीमान मुझ सूचना देनी है कि निम्नलिखित संदेश राज्य परिषद के सचिव से प्राप्त हुआ है :—

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश दिया गया है कि राज्य परिषद् ने बृहस्पतिवार २४ जुलाई १९५२ को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया है तथा वह लोक-सभा की इस सिपारिश से सहमत ह कि राज्य परिषद् निवारक निरोध अधिनियम १९५० का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सदनों की संयुक्त समिति में शामिल हो जाये। राज्य परिषद् द्वारा उक्त संयुक्त समिति के लिये जो सदस्य नामनिर्दिष्ट किये गए हैं उनके नाम प्रस्ताव में दिये गए हैं।"

प्रस्ताव

" यह परिषद् लोक-सभा की इस सिपारिश से सहमत है कि राज्य परिषद् निवारक निरोध अधिनियम, १९५० का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सदनों की संयुक्त समिति में शामिल हो जाये तथा संकल्प करती है कि राज्य परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति के लिये नामनिर्दिष्ट किया जाये :—

दीवान चमन लाल, पंडित सीताचरण दुबे, श्री आर० सी० गुप्ता, श्री बालचन्द्र महेश्वर गुप्ता, श्री के० एस० हेगडे, श्री जयसुख लाल हाथी, पंडित हृदय नाथ कुंजरू, श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू, श्री के० पी० माधवन नायर, आचार्य नरेन्द्र देव, श्री उस्मान सोभानी तथा श्री पी० सुन्दरैय्या।

**उपाध्यक्ष महोदय :** निवारक निरोध अधिनियम का अग्रेतर संशोधन करने वाले बिधेयक से सम्बन्धित संयुक्त प्रवर समिति की पहली बैठक कल दिन के ढाई बजे होगी तथा इसलिये कल अपराह्न को सदन की कोई भी बैठक नहीं होगी।

## आवश्यक वस्तु (क्रय तथा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक

**वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'संविधान के अनुच्छद २८६ के खंड ३ के अनुसार कुछ वस्तुओं को सार्वजनिक जीवन के लिये आवश्यक घोषित करने वाले विधेयक के प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार किया जाये।"

मैं प्रवर समिति के सदस्यों का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने सदन में वाद-विवाद में भाग लेने के बाद समिति में भी काफी सोच-विचार करके बहुत से सुझाव दिए। इन

पर तथा अन्य सुझावों पर विचार करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे कि सदन के सदस्यों ने पढ़ लिया होगा। प्रवर समिति में ज्यादा बातों पर चर्चा नहीं करनी थी केवल इस बात का फैसला करना था कि विधेयक की अनुसूची में कितनी वस्तुओं को रखना होगा तथा कितनी वस्तुओं को निकाल देना होगा।

इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के समय मेरे सहयोगी ने और भी एक बात पर चर्चा की थी। प्रश्न यह था कि इस विधेयक के पारित होने से पूर्व अथवा संविधान के लागू होने से पूर्व राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में जो कानून बनाये हैं क्या उनका संशोधन भी इस विधेयक द्वारा होगा। इस सम्बन्ध में मेरे सहयोगी ने स्थिति पहले ही स्पष्ट की है। विधेयक में "अधिनियम के लागू होने के बाद बनाए गए" जो शब्द रखे गए हैं उनसे मेरे कुछ मित्र घबरा गए हैं। वह यह समझने लगे हैं कि इन शब्दों के रखे जाने से यह विधेयक उन राज्य अधिनियमों पर छा जायगा जो कि पहिले बनाये गए हैं। मेरे कुछ सुयोग्य मित्रों के मन में सन्देह उत्पन्न हुआ तथा वह इन शब्दों को विधेयक में से हटाने के पक्ष में दिखाई देते हैं। दरम्यानी काल में हमने विधि मंत्रालय से सलाह पूछी तथा वह भी हम से सहमत है। हमारी यह धारणा है कि हम इस विधान द्वारा उन अधिनियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो राज्य सरकारों ने संविधान के लागू होने से पहले अथवा इस विधेयक के पारित होनेसे पहले बनाए हों। अपना कोई तर्क देने के बजाय मैं विधि मंत्रालय की राय को यहां पढ़कर सुनाऊंगा :—

"इस प्रश्न को दो शीर्षों के अन्तर्गत विभक्त किया जा सकता है :—

(१) क्या अनुच्छेद २८६ (३) संविधान के लागू होने से पूर्व अर्थात् २६ जनवरी १९५० से बनाए गए कानूनों पर लागू होता है। (२) क्या यह अनुच्छेद उन कानूनों पर लागू होता है जो संविधान के प्रवर्तन के समय से लेकर उस अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद् द्वारा कोई अधिनियम बनाने तक की कालावधि में बनाये गए हों।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है इस में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं। विधेयक में "किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाये गए" जो शब्द दिये गए हैं उस से स्पष्ट है कि यह केवल उन विधानों की ओर निर्देश करता है जो संविधान के लागू होने के बाद बनाये गए हों। संविधान में कई जगह उन कानूनों के बारे में, जो कि संविधान के लागू होने से पहिले विद्यमान थे, इस तरह निर्देश किया गया है:— संविधान के लागू होने से शीघ्र पहिले भारतीय क्षेत्र में प्रवर्तित विधि। यदि अनुच्छेद २८६ के खंड (३) का भी यही आशय होता तो निसन्देह यहां भी शब्द रचना वैसी ही होती। २६ जनवरी १९२६ से पूर्व 'प्रान्त' थे राज्य नहीं थे। यह अनुच्छेद 'राष्ट्रपति के विचारार्थ विधिरक्षण' की ओर निर्देश करता है। चूंकि संविधान के लागू होने से पूर्व कोई राष्ट्रपति नहीं था इसलिये यह स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद को उन विधियों पर लागू करने का कोई विचार नहीं जो कि संविधान के प्रवर्तन से पहले बनाये गए हैं। अधिकांश राज्य विक्रय अधिनियम संविधान के लागू होने से पहले पारित किये गए थे। नीचे की तालिका में इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना दी गई है :—

[श्री त्यागी]

**सारणी**

| राज्य का नाम | विक्रय-कर अधिनियम के प्रवर्तन का वर्ष |
|---|---|
| आसाम | १९४७ |
| बंगाल | १९४१ |
| बिहार | १९४७ |
| बम्बई | १९४६ |
| मध्य भारत | १९४७ |
| पंजाब | १९४८ |
| मद्रास | १९३९ |
| उड़ीसा | १९४७ |
| उत्तर प्रदेश | १९४८ |
| मैसूर | १९४८ |
| त्रावणकोर-कोचीन | १९५० |

उन्होंने ५ जनवरी को यह पारित किया अर्थात् संविधान के लागू होने से पहले ।

मध्य भारत : उन्होंने २९ अप्रैल १९५० को यह पारित किया अर्थात् संविधान के लागू होने के बाद ।

उपर की सारणी से पता लगेगा कि केवल एक ही विक्रय- कर अधिनियम अर्थात् जो मध्य भारत का ह, संविधान के लागू होने के बाद पारित किया गया है । व्यवहारिकता के दष्टिकोण से सारा मामला पहले प्रश्न के उत्तर में ही समाप्त हो जाता है । फिर भी दूसरे प्रश्न की संक्षेप में जाँच की जा सकती है । संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) की भाषा इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी असंदिग्ध है । 'ऐसी वस्तुएं जो संसद् ने विधि द्वारा घोषित की हों' इन शब्दों ते यह बात स्पष्ट है कि संसद् को पहले एक कानून द्वारा कुछ वस्तुओं को सार्वजनिक जीवन के लिये आवश्यक घोषित करना चाहिये फिर यह अनुच्छेद किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये कानून पर लागू हो सकेगा । 'राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित' शब्द भी महत्वपूण हैं । किसी राज्य विधान--मंडल द्वारा पारित कोई विधेयक अनुच्छेद २०० के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित है । उस अनुच्छेद में लिखा गया है कि जब कोई विधेयक किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किया जाये तो इसे राज्यपाल के सामने पेश किया जायगा तथा राज्यपाल इस बात की घोषणा करेगा कि वह उस विधेयक विशेष को अपनी स्वीकृति प्रदान करता है अथवा उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है अथवा इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखता है । ऐसा दिखाई देगा कि यह केवल एक ऐसे प्रकार का विधेयक है जिसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखा जा सकता है । जब कोई विधेयक किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित किया जाय तथा राज्यपाल उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करे तो वह विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित नहीं रखा जा सकता है । तो इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो विक्रय कर अधिनियम पहले ही पास किये गए हैं तथा जिन्हें राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की ह वह अब राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं रखे जा सकते हैं । ऐसे अधिनियमों के सम्बन्ध में अनुच्छेद २८६ (३) के उपबन्धों का पालन करना व्यवहार्य नहीं । इसलिए इस से यह स्पष्ट है कि यह अनुच्छेद ऐसे अधिनियमों पर लागू नहीं हो सकता है ।"

विधि मंत्रालय की यही कुछ राय है ।

**श्री बी० दास** (जाजपुर-क्योंझर) : तो अब ऐसा दिखाई देता है कि संसद् को बेवकूफ बना लिया गया है ।

**श्री त्यागी** : संसद् ने कार्यवाही करने में विलम्ब किया है । कुछ सदस्यों के मन में

और एक गलतफहमी हो रही है। वह समझते हैं कि अनुसूची में दी गई सारी वस्तुएं विक्रय-कर से पूर्णतयः मुक्त होंगी। ऐसी बात नहीं है। वास्तव स्थिति यह है कि इस अधिनियम द्वारा संसद् उन वस्तुओं पर और अधिक कर लगाने नहीं देगी जो कि सार्वजनिक जीवन के लिये आवश्यक घोषित जायेंगी।

कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने अभी तक कोई विक्रय कर अधिनियम पारित नहीं किये हैं। ज्योंही करारों के अनुसाय उनके सीमा-शुल्क लिये जायेंगे त्योंही वह उस आय से हाथ धो बैठेंगे। उन्हें इस के स्थान पर और कोई चीज रखनी होगी। कुछ राज्यों न अभी तक अपने विधान मंडलों में विक्रय-कर अधिनियम प्रस्तुत नहीं किये हैं इस विधेयक के अनुसार जिन वस्तुओं को आवश्यक घोषित किया जायगा उन से वह विल्कुल कुछ आय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। वह राज्य भी इस अनुसूची में दी गई वस्तुओं पर कर लगा सकते हैं। परन्तु यह बात राष्ट्रपति के हाथ में होगी कि वह इस विधेयक को अपने विचार के लिये रक्षित रखें तथा जांच करने के पश्चात इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इसलिए सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि जिस दर के हिसाब से वह कर लगाने की प्रस्थापना कर रहे हैं वह उस दर से न बढ़ जाये जो कि अन्य राज्यों में लागू हैं। इसलिये इन आवश्यक वस्तुओं के करारोपण पर पूर्णतः कोई प्रतिबन्ध नहीं। जिन राज्यों ने अभी तक ऐसे अधिनियम पारित नहीं किये हैं वह करारोपण के उन स्त्रोतों के सम्बन्ध में कानून बना सकते हैं जो कि उन्हें दे दिये गये हैं। परन्तु अनुसूची में दी गई वस्तुओं के सम्बन्ध में उनके करारोपण दर पर नियंत्रण रहेगा।

मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं मुझे आशा है कि इस विधेयक को बिना अधिक संशोधनों के पास किया जायगा।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव): श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यह विधेयक एकरूपता के सिद्धान्त पर आधारित है तथा भविष्य में ऐसे करारोपण की अनुमति देना न देना राष्ट्रपति के हाथ में होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने पहले ही इस विधेयक में दी गई वस्तुओं पर कर लगाया है क्या केन्द्रीय सरकार उन पर यह कर न लेने के आशय का प्रभाव डाल सकती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद २८६ में इस विधि के सम्बन्ध में जो नीति दी गई है वह स्पष्ट है। क्या सरकार की भी यही नीति है?

**श्री त्यागी**: हमें मालूम है कि इस अनुच्छेद का आशय देश में एक समान रूपी विक्रय कर व्यवस्था स्थापित करना था। परन्तु वैधानिक तथा संवैधानिक अड़चनों के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए यह सम्भव नहीं कि वह राज्य सरकारों को उन की मर्जी के विरुद्ध कोई काम करने के लिए विवश करें। हमें सचमुच प्रसन्नता होगी यदि सारे देश में किसी प्रकार की समानरूपता स्थापित की जाये तथा यदि हम इस सम्बन्ध में कुछ सहायना दे सकेंगे तो हमें ऐसा करने में हर्ष होगा। लेकिन यह केवल तभी हो सकेगा जब कि राज्य अपनी आय निश्चित कर पायेंगे। कुछ राज्य तो हाल ही के बने हुये हैं। करारोपण जांच समिति शीघ्र ही नियुक्त की जाने वाली है। वित्त आयोग पहले से ही काम कर रहा है। इन दोनों से

[उपाध्यक्ष महोदय]

संस्थाओं का काम जांच करके अपनी रपोर्ट पेश करना है । हम सदा इस बात का स्वागत करेंगे यदि राज्य न केवल विक्रय कर के सम्बन्ध में अपितु अन्य मामलों के सम्बन्ध में भी, जिन में एकपता की आवश्यकता है, पास पास आ जायेंगे । सरकार के लिय यह अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात होगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—

(चर्चाधीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया)

मुझे माननीय सदस्यों को कहने की आवश्यकता नहीं की इस अवस्था पर चर्चा का क्षेत्र प्रवर समिति की रिपोर्ट तक ही सीमित है । विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा नहीं जा सकती है । प्रवर समिति ने इस विधेयक में जो परिवर्तन किये हैं अथवा जो और भी परिवर्तन आवश्यक हैं केवल उन्हीं पर चर्चा होनी चाहिये ।

**श्री बी० दास** : श्रीमान्, मैं इस प्रवर समिति का एक सदस्य था । मे यह देख कर दंग रह गया कि राज्यों ने केन्द्र के विरुद्ध एक प्रकार का विद्रोह किया है । आप को याद होगा कि १९४८-४९ में हम ने संविधान सभा में किस तरह विक्रय-कर की समानस्पता के विरुद्ध अन्दोलन किया । आज स्थिति यह है कि कुछ राज्यों ने विक्रय कर, उत्पाद कर आदि दुगने किये हैं । कारण यह है कि उन्हें पैसा चाहिये था । मद्रास में खाद्यान्न के विक्रय पर विभिन्न अवस्थाओं पर कर लगाया है । बिहार सरकार ने उस कोयले पर विक्रय कर लगाया है जो बम्बई तथा मद्रास में प्रयोग में लाया जाता है । यह अन्याय है जो कि हम सह रहे हैं.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि इस का सम्बन्ध विधेयक के सिद्धान्त से है । मुझे माननीय सदस्य से मत भेद है । यह विधेयक इस समय प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में प्रस्तुत हुआ है । यह कहा जा सकता है कि अनुसूची में से कुछेक वस्तुओं को निकाल दिया जाये अथवा कुछेक को इस में शामिल कर लिया जाये । इस से अधिक इस समय कुछ नहीं कहा जाना चाहिये । माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में रह कर अपना असहमति पत्र भी पेश नहीं किया है ।

**श्री ए० सी० गुहा** (शान्तिपुर) : यद्यपि हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ एकरूपता हों परन्तु कानूनदानों का कहना है कि हमारे संविधान के अनुसार यह एकरूपता प्राप्त नहीं हो सकती है । मैं समझता हूं "इस अधिनियम के लागू होने के बाद बनाये गए" शब्दों का निराकरण करके हम केवल मुकदमेबाज़ी को बढ़ावा दे देंगे । कुछ राज्य तो विक्रय-कर लगाने के लिये बहुत उत्सुक हैं तथा इसका कारण यह है कि उनके पास धन नहीं.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सिद्धान्त की बात है । माननीय सदस्य को इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं । यदि वह इस सूची में और कोई वस्तु शामिल करना चाहते तो वह बता दें ।

**श्री ए० सी० गुहा** : मेरे विचार में अनुसूची मे कागज भी शामिल कर लिया जाना चाहिये । जैसे कपास अथवा पटसन कच्चा माल है । इसी तरह से कागज भी एक कच्चा माल है जो पुस्तकों तथा समाचार पत्रों में प्रयोग में लाया जाता ह ।

**श्री त्यागी** : संशोधनों को प्रस्तुत करना होगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस पर पहले विचार किया जाना चाहिये।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तूर) :** श्रीमान् प्रश्न यह है कि क्या आप ने यह बताया कि प्रवर समिति की रिपोर्ट में जो असहमति-पत्र शामिल है उस के सम्बन्ध में सदन में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** जी नहीं। ऐसी बात नहीं है। जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है वह तो सदन ने पहले ही मान लिया है। यह कहना कि संविधान ग़लत है, इसका संशोधन होना चाहिये आदि आदि इस समय ठीक नहीं। अनुसूची में जो फेर बदल किया गया है, उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह होना चाहिये था अथवा नहीं अथवा यह भी कहा जा सकता है कि इस में और अधिक फेर बदल होना चाहिये।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** श्रीमान्, इस अवस्था पर जब कि हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा गया है कि इस विधेयक पर विचार किया जाये, मैं समझता हुं कि प्रत्येक सदस्य आप के विचारार्थ यह निवेदन करने का अधिकार रखता है कि इस विधेयक पर विचार न किया जाये तथा उसे यह बताने की अनुमति मिलनी चाहिये कि वह किन आधारों पर इस विधेयक के विचार प्रस्ताव के विरुद्ध है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जी नहीं। अन्ततोगत्वा यह भी कहा जाये कि इस विधेयक को छोड़ दिया जाये क्योंकि इसका सिद्धान्त ग़लत है। माननीय सदस्य सदन के नियमों से सुपरिचित हैं। नियम ९८ स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करता है।

वैकल्पिक सुझाव दिये जा सकते हैं परन्तु वह विधेयक के सिद्धान्त के संगत होने चाहिये जैसे कि नियम ९८ में कहा गया है।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** "लागू होने से पहले" शब्दों को यदि विधेयक से निकाल दिया जाये तो भी यह अच्छा विधेयक रह सकता है।

**श्री ए० सी० गुहा :** चूंकि सरकार का उद्देश्य एकरूपता लाना है ; मैं समझता हूं कि सदस्यों को इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने दिये जाने चाहियें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं इस पर पुनः विचार करूंगा। विधेयक को प्रवर समिति में भेजने से पहले ऐसा करने की अनुमति थी। अब इसकी अनुमति नहीं। कुछ भी हो हम इस पर पुनः विचार करेंगे।

**इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, २५ जुलाई १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।**